रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28, 1995/माघ 8, 1916
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28, 1995/MAGHA 8, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1995

सा. का. नि. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 290 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 585, तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

1. भाग "21" में, "निर्माण और आवास मंत्रालय के मामले में शीर्ष " के अन्तर्गत मद 7 में, "भूमि और विकास कार्यालय के मामले में" से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(i) भूमि और विकास अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आने वाले मामलों से संबंधित संपत्ति की सभी संविदाएं और बीमें,

(ii) दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी निर्मित संपत्ति से संबंधित या उसके विक्रय/पट्टा विलेखों के निबंधनों और शर्तों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए सभी संविदाएं, विलेख या अन्य लिखतें;

(iii) नीलामकर्ताओं द्वारा कार्य के सम्यक् पालन के लिए नीलामी करारें, नीलामकर्ताओं के बंधपत्र और प्रतिभूति बंधपत्र;

भूमि और विकास अधिकारी, उप भूमि और विकास अधिकारी, सहायक बंदोबस्त आयुक्त, सतर्कता तथा विधि अधिकारी और सहायक इंजीनियरों द्वारा।

[फा. सं. 17/3/94-न्या.]

पी. सी. कन्नन, अपर विधि सलाहकार

पाद टिप्पण:—मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 585 द्वारा तारीख 1-2-1966 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसका समय-समय पर निम्नलिखित संशोधन किया गया।

1. सा. का. नि. सं. 166 तारीख 5-3-90
2. सा. का. नि. सं. 541, तारीख 19-7-90
3. सा. का. नि. सं. 542 तारीख 19-7-90
4. सा. का. नि. सं. 711, तारीख 14-11-90
5. सा. का. नि. सं. 713 ,तारीख 15-11-90
6. सा. का. नि. सं. 570, तारीख 27-8-91
7. सा. का. नि. सं. 333, तारीख 9-7-92
8. सा. का. नि. सं. 497, तारीख 16-10-92
9. सा. का. नि. सं. 540, तारीख 14-10-93
10. सा. का. नि. सं. 601, तारीख 16-11-93

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 6th January, 1995

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 299 of the Constitution, the President hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) published in Gazette of India bearing No. G.S.R. 585 dated the 1st February, 1966, namely :—

In the said notification :

1. In part "XXI" under the heading "IN THE CASE OF THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING" in item 7 for the entry relating to "In the case of Land and Development Office", the following entry shall be substituted, namely :

(i) all contracts and assurances of property relating to matters falling within the jurisdiction of Land and Development Officer ;

(ii) all contracts, deeds or other instruments relating to or for the purpose of enforcement of the terms and conditions of the sale/lease deeds of the Government Built property in Delhi/New Delhi ;

(iii) auctioneering agreements, bonds of auctioneers and security bonds for the due performance of work by the auctioneers ;

By the Land and Development Officer, Deputy Land and Development Officer, Assistant Settlement Commissioner, Vigilence-Cum-Legal Officer and Assistant Engineers.

[F. No. 17(3)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Addl. Legal Adviser.

Foot Note.—The Principal notification was published on 1-2-1966 vide notification No. GSR 585 and subsequently amended from time to time.

1. GSR No. 166 dated 5-3-90.
2. GSR No. 541 dated 19-7-90
3. GSR No. 542 dated 19-7-90
4. GSR No. 711 dated 14-11-90
5. GSR No. 713 dated 15-11-90
6. GSR No. 570 dated 27-8-91
7. GSR No. 333 dated 9-7-92
8. GSR No. 497 dated 16-10-92
9. GSR No. 540 dated 14-10-93
10. GSR No. 601 dated 16-11-93

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1995

(रबड़ नियंत्रण)

सा. का. नि. 37.—केन्द्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम 1947 (1947 का 24) की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (XV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रबड़ बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम 1995 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रबड़ बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1966 में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :—

"8. विघटन बोर्ड के विघटन पर, निधि की सभी आस्तियां और दायित्व विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित हो जाएंगे और तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार इन नियमों द्वारा शासित सभी कर्मचारियों की बाबत दायित्व का निर्वहन करेगी।"

[फा. सं. 25 (3)/93 प्लांट (बी)]

सी. ए. भास्करन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 (i) तारीख 7 मई, 1966 में भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 686 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 17th January, 1995

(Rubber Control)

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by clause (xv) of sub-section 2 of Section 25 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government makes the following Rules further to amend the Rubber Board Employees Pension Fund Rules, 1966, namely :—

(a) These Rules may be called the Rubber Board Employees Pension Fund (Amendment) Rules, 1995.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rubber Board Employees Pension Fund Rules, 1966.—For Rule 8, the following shall be substituted, namely :—

"8. Dissolution,—

On the dissolution of the Board, all the assets and liabilities of the Fund shall stand transferred to the Central Government within a period of six months from the date of the dissolution and thereafter the Central Government shall discharge the liability in respect of all the employees governed by these Rules."

[File No. 25(3)/93-Plant (B)]

C. A. BHASKARAN, Under Secy.

Footnote.—The principal Rules were published by Government of India, Ministry of Commerce vide Notification No. GSR 686 in the Gazette of India, Part II; Section 3(i) on the 7th day of May 1966.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1995

सा०का०नि० 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण विकास विभाग अधीक्षण इंजीनियर और सहायक इंजीनियर (केन्द्रीय परियोजना प्रबंध सेल) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में अधीक्षण इंजीनियर (केन्द्रीय परियोजना प्रबंध सेल के) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रामीण विकास विभाग अधीक्षण इंजीनियर (केन्द्रीय परियोजना प्रबंध सेल) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हताएं : वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अधीक्षण इंजीनियर (केन्द्रीय परियोजना प्रबंध सेल)	1*(1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अननुसचिवीय)	3700-125-4709-150-5000 रु	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	नहीं

	6
	प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा ,सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/विद्युत/यान्त्रिक इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या समतुल्य (ii) ड्रिलिंग रिग्स के प्रचालन और अनुरक्षण में छह वर्ष का अनुभव या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या समतुल्य । (ii) ड्रिलिंग रिग्स के प्रचालन और अनुरक्षण में तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 अर्हताएं अन्यथा सुविहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण - 2 अनुभव संबंधी अर्हता - (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । वांछनीय : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंध और तालिका नियंत्रण में डिप्लोमा या समतुल्य । (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से तंत्र विश्लेषण या उच्च कम्प्यूटर तंत्र में प्रशिक्षण या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष/अधिवर्षिता से पूर्व पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है । द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।

11	12
सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन भूतपूर्व सैनिकों के लिए)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सवृण पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने 3000–5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की है या (iii) जिन्होंने 3000–4500 रु. समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और (ख) जिनके पास स्तंभ 6 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरण किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है। यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत हो गए है या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जा चुके हों तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी। सिविल पद के प्रतिनिवेश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कायर/वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण तया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. प्रभाग का प्रधान जो निदेशक/उप सचिव—(प्रशासन) की पंक्ति के नीचे का न हो —सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी । किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-12018/11/88-स्था. 1]

ए. के. सोनी, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 12th January, 1995

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Rural Development, Superintending Engineer and Assistant Engineer (Central Project Management Cell) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintending Engineer, (Central Project Management Cell) in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Rural Development, Superintending Engineer (Central Project Management Cell) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Superintending Engineer (Central Project Management Cell)	1* (1994) *Subject to variation on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 3700-125-4700-150-5000/-	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto	No	Essential 1 (a)(i) Bachelors degree in Civil/Electrical/

6	7	8
5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lohnrl Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Mechanical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Six years experience in operation and maintenance of Drilling Rigs. OR (b)(i) Master's degree in Public Health Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Three years experience in Operation and Maintenance of Drilling Rigs. Notes : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Diploma in Material Management and Inventory Control from a recognised University/Institute or equivalent. (ii) Training in Systems Analysts or Advanced Computer System from a recognised Institute or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies is to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	1 year for direct recruits. 2 years for ex-servicemen re-employed before superannuation.	By transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel : Transfer on deputation/re-employment (for ex-servicemen).

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation (including short-term contract) :— Officers under the Central/State Government/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/ Autonomous or Statutory Organisations :— (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with four years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3000—5000 or equivalent; or (iii) with five years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3000—4500 or equivalent, and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. Transfer on deputation/Re-employment (for ex-servicemen) : The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8 shall also be considered. If selected such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil post). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.	Group A Departmental Promotion Committee (for confirmation) : 1. Joint Secretary (Administration)—Chairman 2. Head of Division not below the rank of Director/ Deputy Secretary (Administration)—Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be persided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[F. No. A-12018/11/88-Estt.I]
A. K. SONI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1994

मा. का. नि. 39.—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किए जाते हैं और यह सूचना दी जाती है कि उक्त

प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई ऐसा व्यक्ति, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव देना चाहता है या कोई आक्षेप करना चाहता है, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय सरकार कार्यालय, नया भवन, नेबरहुड–4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) को भेज सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ:–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जायफल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1994 है।

(2) ये भारत में उत्पादित साबुत जायफल और पिसा जायफल (चूर्णित) को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसे इन नियमों में विनिर्दिष्ट श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार साबुत जायफल और/या पिसा जायफल (चूर्णित) का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;

(ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया ऐसा जो व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न से साबुत जायफल और/या पिसा जायफल (चूर्णित) श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकृत करता है प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान:– साबुत जायफल और पिसा जायफल (चूर्णित) की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्तंभ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा :– सम्बद्ध श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 1 के स्तंभ 2 से स्तंभ 5 और अनुसूची 2 के स्तंभ 2 से स्तंभ 8 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न :– श्रेणी अभिधान चिह्न में निम्नलिखित होगा – (i) एक लेबल जिस पर उत्पाद का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और उस पर अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित से मिलता हुआ एक डिजाईन होगा जिसमें "AGMARK" "एगमार्क" शब्द के साथ भारत के मानचित्र का रेखाचित्र और PRODUCE OF INDIA तथा "भारतीय उत्पाद" शब्दों के साथ उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा; या

(ii) अनुसूची 4 में यथा उपवर्णित से मिलती हुई "AGMARK" "एगमार्क" प्रतिकृति जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र का संख्यांक सम्मिलित करते हुए एक डिजाइन "AGMARK" "एगमार्क" शब्द उत्पाद का नाम, श्रेणी अभिधान होगा।

परन्तु, "एगमार्क" लेबलों के बदले "एगमार्क" प्रतिकृति उपभोग केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों के लिए अनुज्ञात होगा जिसे कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुज्ञा दी गई है और ऐसा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा।

6. पैक करने की रीति :– (1) साबुत जायफल स्वच्छ मजबूत और शुष्क जूट थैलों/खाद्य श्रेणी प्लास्टिक की बनी थैलियों में पैक किया जाएगा।

(2) जायफल चूर्ण नए, स्वच्छ मजबूत और शुष्क टीन या शीशे से बने आधानों में या स्तरिकापित/बहिर्वेधित/धातुयुक्त/बहुस्तरीय खाद्य श्रेणी प्लास्टिक सामग्री से बनी थलियों में पैक होंगे :–

(3) आधान कीट-ग्रस्त कवक संदूषण, हानिकारक पदार्थ और किसी अवांछनीय या घृणजनक गंध से मुक्त होंगे ;

(4) प्रत्येक आधान सुनिश्चित रूप से बन्द और उपयुक्त रूप से सीलबन्द किया जाएगा ;

(5) उपयुक्त संख्या में उपभोक्ता पैक जिसमें उसी श्रेणी अभिधान की और उसी लाट/बैच श्रेणीकृत सामग्री है मास्टर आधान जैसे कि काष्ठ पेटियों, कार्ड बोर्ड गत्ता बक्सों में पैक किया जा सकता है।

7. चिन्हांकन की रीति :– (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक आधान पर मजबूती से लगाया या स्पष्ट और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा ;

(2) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां लेबल या आधान पर स्पष्ट और अमिट रूप से चिन्हित की जाएगी :

(क) पैकर का नाम और पता,

(ख) पैकिंग का स्थान,

(ग) पैकिंग की तारीख, मास और वर्ष,

(घ) लाट/बैच संख्यांक,

(ङ) शुद्ध भार,

(च) मूल्य ;

(3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राईवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड अंकित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि वह ऐसी क्वालिटी उपदर्शित नहीं करता है जो श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित से भिन्न है।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र देने के लिए विशेष शर्तें :—

साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट साधारण शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन साबुत जायफल और पिसे जायफल (चूर्णित) के प्राधिकार प्रमाणपत्र देने "ग" के लिए अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत पैकर साबुत जायफल और पिसे जायफल (चूर्णित) की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए या तो अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा जिसमें कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अर्हित रसायनज्ञ होगा या उसकी इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या प्राईवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच होगी।

(2) प्रसंस्करण, पिसाई और पैकिंग के लिए परिसर पूर्ण स्वास्थ्यकर और स्वच्छ अवस्था में रखी जाएगी ;

(3) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक पूर्णतः स्वस्थ और किसी संसर्गिक रोग से मुक्त होंगे।

अनुसूची-1

(नियम 3 और नियम 4 देखिए)

साबुत जायफल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा			
	विशेष अपेक्षाएं			
	द्रव्यमान द्वारा आर्द्रता अंतर्वस्तु का प्रतिशत अधिकतम	द्रव्यमान द्वारा कीट ग्रसित अति ग्रस्त और टूटी हुई गिरी का प्रतिशत अधिकतम	वाष्पशील तेल अंतर्वस्तु मि. लि./ 100 ग्राम न्यूनतम	सामान्य लक्षण
1	2	3	4	5
मानक	8.0	3.0	6.0	साबुत जायफल

(क) मिरिस्टिका फैगरेन्स होट्यून

जायफल वृक्ष के पके फल की सूखी गिरी होगी

(ख) गोलाकार का धूमर भरे रंग सहित किंचित अंडाकार आकार में और अनेक मुक्ति खांचों से चिन्हित कठोर सतह का होगा,

(ग) अभिलाक्षणिक और सुरभित गंध और तीक्ष्ण, गर्म कुछ-कुछ कड़वा स्वाद होगा ;

(घ) विकृत गंधिता, गंधहीनता फफूंदी गंध, फफूंदी लगना और कृन्तक दूषण से मुक्त होगा ;

(ङ) बाह्य पदार्थों और मिलाए गए रंजक सहित पदार्थों से मुक्त होगा ;

(च) एफ्लेटोक्सीन अंतर्वस्तु धात्विक संदूषक और कीटनाशी अवशेष के बारे में निर्बंधन का अनुपालन करेगा जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित है।

अनुसूची–2

(नियम 3 और नियम 4 देखिए)

पिसे जायफल (चूर्णित) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी का परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा			
	विशेष अपेक्षाएं			
	द्रव्यमान द्वारा आर्द्रता के प्रतिशत अधिकतम	शुष्क आधार पर द्रव्यमान द्वारा कुल भस्म का प्रतिशत अधिकतम	शुष्क आधार पर द्रव्यमान द्वारा अविलेय भस्म का प्रतिशत अधिकतम	शुष्क आधार पर द्रव्यमान द्वारा कच्चे रेशों का प्रतिशत अधिकतम
1	2	3	4	5
मानक	8.9	3.0	0.5	5.0

शुष्क आधार पर द्रव्यमान अवाष्पशील निष्कर्षण प्रतिशत न्यूनतम	वाष्पशील तेल मि०लि०/100 ग्राम न्यूनतम	सामान्य लक्षण
6	7	8
30.0	6.0	पिसा जायफल (चूर्णित) का अर्थ– (क) मिरिस्टिका फैगरेन्स होट्यन जायफल वृक्ष के पके फलों की सूखी गिरियों को पीसकर प्राप्त चूर्ण होगा। (ख) अभिलाक्षणिक सुरभित गंध और तीक्ष्ण गर्म कुछ-कुछ कड़वा स्वाद होगा। (ग) विकृत गंधिता गंधहीनता फफूंदी गंध, फफूंदीदूषण कीट ग्रसन, कृन्तक दूषण बाह्य पदार्थों और मिलाए गए रंजक से मुक्त होगा (घ) एफलेटॉक्सीन अंतर्वस्तु, धात्विक संदूषक और कीटनाशी अवरोध के बारे में निर्बंधन का अनुपालन करेगा, जैसा कि खाद्यअपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित है।

अनुसूची—3

[नियम 5(1) देखिए]

श्रेणी अभिधान चिन्ह

एगमार्क लेबल पर डिजाईन

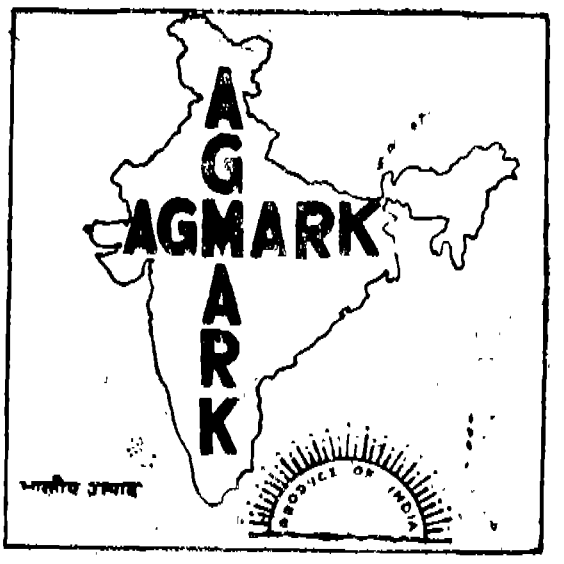

अनुसूची–4

[नियम 5 (ii) देखिए]

श्रेणी अभिज्ञान चिन्ह

"एगमार्क प्रतिकृति का डिजाईन"

Name of Commodity.....

Grade.....

[फा. सं. 18011/5/93-एम-I

पी. ज्यानि राव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 19th December, 1994

G.S.R. 39.—The following draft rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) are hereby published, as required by the said section, for information of all the persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public ;

Any person desiring to make any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same, for consideration by the Central Government, within the period so specified, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Central Government Offices, New Building, Neighbourhood-IV, Faridabad-121001 (Haryana).

DRAFT RULES

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Nutmeg Grading and Marking Rules, 1994.

(2) They shall apply to Nutmeg whole and Nutmeg ground (powdered) produced in India.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;

(b) "Authorised Packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation to grade and mark nutmeg whole and/or nutmeg ground (powdered) in accordance with the grade standards and procedure specified in these rules ;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark nutmeg whole and/or nutmeg ground (powdered) with the grade designation mark ;

(d) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.

3. Grade designations.—The grade designations to indicate the quality of nutmeg whole and nutmeg ground (powdered) are as set out in column 1 of Schedule I and II.

4. Definition of quality.—The quality indicated by the respective grade designations shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 5 of Schedule-I and in columns 2 to 8 of Schedule-II.

5. Grade designation marks.—The grade designation mark shall consist of—

(i) a label specifying name of the produce, grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and the figure of rising sun with words "produce of India" and " भारतीय उत्पाद " resembling the one as set out in Schedule III ; or

(ii) "AGMARK replica" consisting of a design incorporating the number of Certificate of Authorisation, the word "AGMARK", name of the produce, grade designation and resembling the one as set out in Schedule IV :

Provided that the use of AGMARK replica in lieu of AGMARK labels shall be allowed only to such authorised packers who have been granted necessary permission by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised in this regard and subject to the conditions prescribed under the General Grading and Marking Rules, 1988.

6. Method of packing.—(1) Nutmeg whole shall be packed in clean, sound and dry jute bags or in pouches made of food grade plastic.

(2) Nutmeg powder shall be packed in new, clean, sound and dry containers made of tin, glass or in pouches made of laminated/extrusioned/metalised/multilayer food grade plastic materials.

(3) The containers shall be free from insect infestation, fungus contamination, deleterious substances and any undesirable or obnoxious smell.

(4) Each container shall be securely closed and suitably sealed.

(5) Suitable number of consumer packets containing graded material of the same grade designation and from the same lot/batch may be packed in master containers such as wooden cases, card board cartons etc.

7. Method of Marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container.

(2) In addition to the grade designation the following particulars shall be clearly and indelibly marked on the label or the container—

(a) Name and address of the packer,

(b) Place of packing,

(c) Date of packing, in month and year,

(d) Lot/batch number,

(e) Net weight,

(f) Price.

(3) The authorised packer may, with prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised in this regard, affix his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same does not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages.

8. Special conditions for grant of Certificate of Authorisation.—In addition to the general conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the additional conditions for grant of certificate of Authorisation for grading and marking nutmeg whole and nutmeg ground (powdered) under these rules, namely :—

(1) The authorised packer shall either set up his own laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised in this regard for testing quality of nutmeg whole and nutmeg ground (powdered) or have access to the State grading laboratory or private commercial laboratory approved for the purpose.

(2) The premises for processing, grinding and packing shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions.

(3) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any contagious disease.

SCHEDULE-I

[See rules 3 and 4]

Grade designation and definition of quality of NUTMEG (Jaiphal) whole

Grade designation	Definition of quality			
	Special requirements			
	Moisture content per cent by mass Maximum	Insect damaged and broken kernels per cent by mass Maximum	Volatile oil content ml/100 gm Minimum	General characteristics
1	2	3	4	5
Standard	8.0	3.0	6.0	Nutmeg (Jaiphal) whole shall :— (a) be the dried kernel of ripe fruit of nutmeg tree Myristica fragrans, Houttuyn; (b) be spherical or slightly ovoid in shape with grayish brown colour and hard surface marked with numerous braided furrows, (c) have characteristic and aromatic odour and acrid warm slightly bitter taste; (d) be free from rancidity, off-flavour, musty odour mould growth, insect infestation and rodent contamination; (e) be free from extraneous matter and added colouring matter; (f) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants and insecticide residue as prescribed under the prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

SCHEDULE-II

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of NUTMEG GROUND (powdered).

Grade designation	Definition of quality					
	Special requirements					
	Moisture per cent by mass	Total ash per cent by mass on dry basis	Acid insoluble ash per cent by mass, on dry basis	Crude fibre per cent by mass on dry basis	Non-volatile either extract percent by mass on dry basis	Volatile oil ml/100 gm.
	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Minimum	Minimum
1	2	3	4	5	6	7
Standard	8.0	3.0	0.5	5.0	30.0	6.0

General characteristics

8

Nutmeg ground (powdered) shall :—

(a) be the powder obtained by grinding and dried kernels of ripe fruits of nutmeg trees Myristica fragrans, Houttuyn;

(b) have the characteristic aromatic flavour and acrid, warm, slightly bitter taste;

(c) be free from rancidity, off-flavour musty odour, fungal contamination, insect infestation, rodent contamination extraneous matter and added colouring matter;

(d) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants and insecticide residue as prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

SCHEDULE-III

[See Rule 5(i)]

Grade Designation Mark

'Design on the AGMARK label'

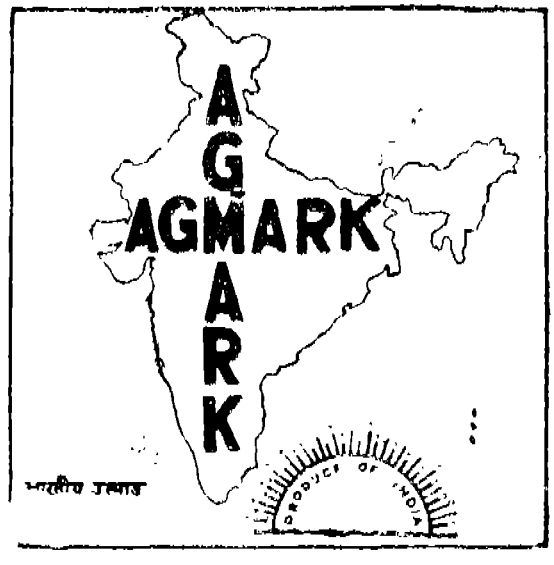

SCHEDULE-IV

[See Rule 5(ii)]

Grade Designation mark

'Design of AGMARK replica'

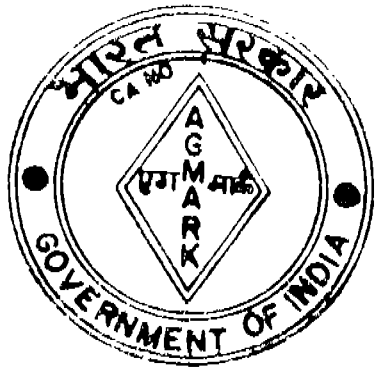

NAME OF COMMODITY.....

GRADE.....

[File No. 18011/5/93-M.II]

P. JYOTI RAO, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1995

सा.का.नि. 40 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ दंत तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग") (ज्येष्ठ दंत तकनीशियन) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत-पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ दंत तकनीशियन	1 (एक)* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचित्रीय	1400-40-1800-द. रो.-50-2300 रु.	अचयन	नहीं	18 और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) । टिप्पण: 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा, अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित इंटरमीडिएट या समतुल्य । (ii) रजिस्ट्रीकृत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और (iii) दंत स्वास्थ्य विज्ञानी/दंत तकनीशियन के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।	आयु : नहीं अर्हता : नहीं, किन्तु विज्ञान विषय सहित कम से कम मैट्रिक पास या समतुल्य और रजिस्ट्रीकृत दंत स्वास्थ्य विज्ञानी होना चाहिए ।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	ऐसे दंत स्वास्थ्य विज्ञानी/दंत तकनीशियन में से प्रोन्नति जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. परामर्शी/ज्येष्ठ चिकित्सक/ज्येष्ठ शल्य चिकित्सक—अध्यक्ष 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3. संबद्ध विभागाध्यक्ष —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. ए-12018/8/92-आरआर (एच)]

लाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 9th January, 1995

G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Senior Dental Technician in the Safdarjang Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Safdarjang Hospital, New Delhi (Group 'C') (Senior Dental Technician) Recruitment Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Dental Technician	1(One)* (1993) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Non-Selection

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No	Between 18 and 28 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti Distt. and Pangi sub-division of Chamba Distt. of Himachal Pradesh, A&N Islands or Lakshadweep). 2. In the case of rectt. made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential : (i) Intermediate or equivalent with Science subjects from a recognised Board. (ii) Registered Dental Hygienist; and (iii) One year's experience as Dental Hygienist/Dental Technician.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made
9	10	11	12
Age : No Qualification : No, but should be atleast Matriculate or equivalent with Science subjects and Registered Dental Hygienist.	Two years.	100% by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion from Dental Hygienist/Dental Technician with 5 years regular service in the respective grades.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Consultant/Senior Physician/Senior Surgeon—Chairman. 2. Chief Administrative Officer—Member. 3. Concerned Head of the Deptt. —Member.	Not applicable.

[No. A-12018/8/92-RR(H)]
LAL SINGH, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1994

सा.का.नि. 41 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सत्यजित राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कलकत्ता में समूह "ग" और "घ" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) : इन नियमों का संक्षिप्त नाम सत्यजित राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कलकत्ता (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान आदि : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
निजी सहायक	एक* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि-कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 1200–2040 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, (ख) हिंदी/अंग्रेजी आशुलिपि में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक	दो* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सक्षम पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 1200–2040 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) स्थापन/साधारण प्रशासन/लेखा मामलों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. निम्न श्रेणी लिपिक टाइपिस्ट (अंग्रेजी)	दो* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी :— (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, (ख) अंग्रेजी/हिन्दी टाइपिंग में कम से कम 30 शब्द प्रति-मिनट की गति। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होना

1	2	3	4	5	6	7
4. ड्राइवर	एक (1994)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-ब.रो.-25-1500 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।) न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	नही

7
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी।

8	9	10
आवश्यक : (i) आठवां स्तर उत्तीर्ण। (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान। (iii) विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'ग' विभागीय समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) : जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (i) परियोजना रजिस्ट्रार—अध्यक्ष; (ii) कार्यपाल इंजीनियर (सी सी डब्ल्यू)—सदस्य; (iii) प्रशासनिक अधिकारी—सहसचिव/संपदा प्रबंधक—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. चपरासी	तीन* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित अननुसचिवीय	750-12-870 द.रो.-14-940 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	नहीं

2	6
पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक : मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण वांछनीय : होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा में बुनयादी और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) परियोजना रजिस्ट्रार—अध्यक्ष (2) कार्यपालक इंजीनियर (सी.सी.डब्ल्यू.)—सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी/सह-सचिव/संपदा प्रबंधक—सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 9/2/94-एफ (एफ.टी.आई.)]
पी. गोपालन डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd December, 1994

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and 'D' posts in the Satyajit Ray Film and Television Institute, Calcutta, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sayajit Ray Film and Television Institute, Calcutta, (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay etc.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification.—No person—

(a) who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-Selection post
1		2	3	4	5
1.	Personal Assistant	One (1994)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	No applicable.

Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Mehod of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Sevice Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By transfer on deputation.	Transfer on deputation : Officers of the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on a regular basis or (ii) with 5 years regular service in the pay scale of Rs. 1200-2040; (b) with a minimum speed of 80 w.p.m. in Hindi/English Stenography. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cader post held immediately proceeding this appointment in the same or some other Organisation/department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years, the maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).	Not applicable.	Not applicable.

1	2	3	4	5
2. Assistant	Two (1994)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Not applicable.

6	7	8	9	10
Not applicable.	No	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

11	12	13	14
By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers of the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years regular service in the pay scale of Rs. 1200-2040; and (b) with minimum 3 years experience in establishment/General Administration/ Accounts matters.	Not applicable.	Not applicable.

11	12	13	14
	(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years, by the maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).		

1	2	3	4	5
3. LDC/Typist	Two* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
By transfer on deputation	Transfer on deputation : Central Government servants : (a) holding analogous posts on regular basis; (b) with a minimum speed of 30 w.p.m. in English/Hindi typing. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years, the maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5
4. Driver	One* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable.

6	7	8	9	10
Between 18 to 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi-sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Laksha-dweep). 2. In the case of recruitment through the Employment Exchange' the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	No	Essential : (i) Eighth Standard pass; (ii) Knowledge of motor mechanism; (iii) Holder of a valid driving licence.	Not applicable	Two years

11	12	13	14
By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Project Registrar—Chairman. (ii) Executive Engineer (CCW)—Member. (iii) Admn. Officer-cum-Security/ Estate Manager—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5
5. Peon	Three* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 750-12-870-EB-14-940.	Not applicable

6	7	8	9	10
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi-sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	No	Essential : Middle School Standard pass. Desirable : Training in 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guards and Civil Defence.	Not applicable.	Two years.

11	12	13	14
By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (i) Project Registrar—Chairman. (ii) Executive Engineer (CCW)—Member. (iii) Admn. Office-cum-Security/ Estate Manager—Member.	Not applicable.

[F. No. 9/2/94-F(FTI)]

P. GOPALAN, Desk Officer

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1994

सा.का.नि. 42—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रवीणता प्रमाणपत्र और विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली प्रचालन अनुज्ञप्ति) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अभिसमय" से अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ का अभिसमय अभिप्रेत है।

(ख) "रेडियो टेलीग्राफी" के अन्तर्गत रेडियो टेलीफोनी है।

3. प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों के प्रवर्ग :

केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसी परीक्षा के, जो उसके द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाये, परिणाम के आधार पर (अभिसमय के निबन्धनों के अनुसार) विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली का प्रचालन करने के लिये निम्नलिखित प्रवर्गों के प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) प्रथम वर्ग रेडियो इलैक्ट्रानिक प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति ;

(ii) द्वितीय वर्ग रेडियो इलैक्ट्रानिक प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति ;

(iii) साधारण आपरेटर प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति :

(iv) निबंन्धित आपरेटर प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति।

4. परीक्षा में प्रवेश और अनुज्ञप्ति के लिये पात्रता :

कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन आयोजित किसी परीक्षा में प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिये प्रवेश के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति—

(i) भारत का नागरिक न हो,

(ii) इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट तारीख को अठारह वर्ष की आयु से अधिक न हो,

(ii) वैकल्पिक विषयों के रूप में गणित और भौतिक विज्ञान सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।

5. आवेदन :

ऊपर नियम 3 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन, सरकार द्वारा समय-समय पर विहित प्ररूप में, सभी समनुषंगी प्ररूपों और दस्तावेजों को सम्यक् रूप से भर कर तथा सभी प्रकार से पूरा करके, केन्द्रीय सरकार को या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये अधिकारी को दिया जाएगा।

6. परीक्षा के लिये फीस :

नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिये किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित मापमान में फीसों का संदाय करेगा :—

(i) प्रथम वर्ग आर.ई.सी. और द्वितीय वर्ग आर.ई.सी. :	
(क) भाग–1	250.00
(ख) भाग-2 और 1 या भाग-3	250.00
(ii) साधारण और निर्बन्धित आपरेटर प्रमाणपत्र : भाग–2 और 1 या भाग-3	250.00
(iii) आर.ओ.जी.सी. और एस. एन.डी. वर्ग सी. ओ.पी. से संपरिवर्तित परीक्षा	250.00
(iv) प्रमाणपत्रों में पृष्ठांकित प्रचालन करने के लिये प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिये पुनः परीक्षा	250.00

(ऊपर विनिर्दिष्ट किसी परीक्षा के लिये फीस केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए है।)

7. परीक्षा :

(i) रेडियो टेलीफोनी में विश्व समुद्री-विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र के प्रदान के लिये परीक्षा अभिसमय के निबन्धनों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित रीति से आयोजित की जायेगी, जो वह स्थान जहां और वह तारीख जिसको ऐसी परीक्षा होगी, अधिसूचित करेगी।

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे परीक्षा में प्रवेश दिया गया है और ऐसे गढे हुए दस्तावेजों को, जिन्हें बिगाड़ा गया है, प्रस्तुत करने के प्रतिरूपण का या ऐसे कथन, जो गलत या मिथ्या हैं या जिनमें तात्विक जानकारी छिपाई गई है, करने का या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का अन्यथा आश्रय लेने का दोषी पाया गया है, आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त, नियम 3 के अधीन

प्रदान किये जाने वाले रेडियो टेलीफोनी के विश्व समुद्री-विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र के प्रदान के लिये आयोजित परीक्षाओं में से किसी में बैठने से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये विवर्जित किया जा सकेगा :

परन्तु इस नियम के अधीन आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यक्ति को की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

8. गोपनीयता :

प्रमाणपत्र का प्रत्येक धारक पत्राचार की गोपनीयता बनाये रखेगा । इस आशय की एक घोषणा में प्रवेश के लिये आवेदन में उसके द्वारा की जायेगी।

9. अनुज्ञप्तियों की विधिमान्यता :

(1) प्रचालन करने के लिये अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये विधिमान्य होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष से कम या पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की आरंभिक अवधि के समाप्त होने पर, वह किसी एक समय में तीन वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत की जा सकेगी यदि धारक नियम 10(3) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व, किन्तु वह तारीख उस तारीख से तीन मास से पूर्व की न हो, आवेदन करता है, और

(i) वह 200 रु. की फीस का संदाय करता है,

(ii) उसके पास अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से ठीक पहले तीन वर्ष के भीतर कम से कम 3 मास का कुल अनुभव है, या

(iii) वह पुनःपरीक्षा द्वारा या अन्यथा केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास अभी भी उसके प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट सभी अर्हताएं हैं ।

(2) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, अनुज्ञप्ति के धारक ने अनुज्ञप्ति के पुनः विधिमान्यकरण के प्रयोजन के लिये जानबूझकर या उपेक्षा-पूर्वक गलत या मिथ्या जानकारी दी है, तो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित, निलंबित या रद्द कर सकेगी ;

परन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये, "अनुभव' मद से विश्व समुद्री विपत्ति और सुरक्षा प्रणाली का प्रयोग कर रहे समुद्रीय चल स्टेशन या वैमानिक चल सेवा में प्राप्त अनुभव अभिप्रेत है।

10. प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों की दूसरी प्रति या प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना;

(1) ऐसा धारक, जिसका प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति खो गई है, विकृत या नष्ट हो गई है, केन्द्रीय सरकार को ऐसी हानि के बारे में तुरन्त अधिसूचित करेगा। प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिये समुचित रूप से निष्पादित आवेदन केन्द्रीय सरकार को किया जायेगा, जिसमें उस प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की, जिसके लिये दूसरी प्रति अपेक्षित है, हानि, विकृति या नाश में अंतर्वलित परिस्थितियों का एक विवरण सन्निविष्ट होगा । यदि प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति खो गई है, तो आवेदक को यह कथन अवश्य करना चाहिये कि उसके लिये उचित तलाश की गई है और इसके अतिरिक्त, यह कि उसके मिल जाने की दशा में, मूल प्रति या दूसरी प्रति रद्द किये जाने के लिये वापस लौटा दी जायेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रभारों का संदाय किये जाने पर, किसी प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रतियां जारी कर सकेगी :—

(i) दूसरी प्रति जारी करना	200.00
(ii) दूसरी प्रति नवीकरण पर्ची जारी करना	100.00

11. आपरेटरों का अनुशासन : प्रमाणपत्र, अभिसमय और अधिनियम के अधीन निगमों की शर्तों का पालन—

(1) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति का धारक अभिसमय के या रेडियो साधित्र के प्रचालन की बाबत उसे विधिपूर्वक लागू इन नियमों के या किन्हीं विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक असफल हो गया है, तो केन्द्रीय सरकार प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित, निलंबित या रद्द कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय प्रवीणता प्रमाणपत्र के धारक से उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी और धारक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, प्रवीणता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के धारक से उसके ज्ञान और योग्यता की जांच करने के लिये पुनः परीक्षा की जाने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसी परीक्षा के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति को पृष्ठांकित निलंबित या रद्द कर सकेगी। ऐसी परीक्षा के लिये कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार रेडियो टेलीफोनी में विश्व समुद्री विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र के जारी किये जाने को शासित करने वाली शर्तों में से किसी को धारक

को लिखित रूप में विनिर्दिष्ट सूचना देकर या नई दिल्ली में राजपत्र या समाचारपत्र में प्रकाशित साधारण सूचना द्वारा उपांतरित, परिवर्तित, रद्द या प्रतिसंहृत कर सकेगी।

12. रेडियो टेलीफोनी (विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली) में प्रवेश और प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह समय-समय पर अधिरोपित करे :—

(i) किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन आयोजित परीक्षाओं में प्रवेश दे सकेगी, और

(ii) उसे रेडियो टेलीफोनी (विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली) में प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी।

13. अन्य देशों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र की मान्यता :—

केन्द्रीय सरकार, किन्हीं ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह समय-समय पर विहित करे, किसी अन्य देश में, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये रेडियो टेलीफ़ोनी (विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली) के प्रमाणपत्र को उसके द्वारा जारी किये गये वैसे ही वर्ग के प्रवीणता प्रमाणपत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी।

14. परीक्षाओं के परिणाम :

(1) ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी का, जो परीक्षा में अर्हित हुआ है, परिणाम, परिणाम के प्रकाशन के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र उसे भेज दिया जायेगा

(2) किसी भी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच का अनुरोध ग्रहण नहीं किया जायेगा।

15. रेडियो टेलीफोनी प्रमाणपत्र (विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रमाणपत्र के प्रदान के लिये संपरिवर्तन परीक्षा :

किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने आर.ओ. जी.सी. या सी. ओ.पी. द्वितीय वर्ग) परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थीं या जिसे आर.ओ. जी. सी. या सी.ओ.पी. एस. एन. डो. अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था या कोई ऐसी अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र नवीकृत की गई थी। किया गया था, यह अपेक्षा की जायेगी कि वह रेडियो टेलीफोनी (विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सुरक्षा प्रणाली) में समुचित प्रमाणपत्र के लिए संपरिवर्तन परीक्षा उत्तीर्ण करे।

16. भाषा :

परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी।

[संख्या आर-11014/18/93-एल आर]

एस. वेंकटसुब्रमयम सहायक बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 20th December, 1994

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1985. The Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio operator's certificate proficiency and licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 1994.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—Unless the context otherwise requires, in these rules :—

(a) "Convention" means the convention of the International Telecommhication Union.

(b) "Radio telegraphy" include Radio telephony.

3. Categories of Certificates and Licencces.—On the result of an examination which may, from time to time be held by it or by an officer empowered by it in this behalf, the Central Government may grant (in accordance with the terms of the Convention) the following categories of the Certificate and Licence to operate Global Maritime Distress and safety System, namely :—

(i) First Class Radio Electronic Certificate and Licence ;

(ii) Second Class Radio Electronic Certificate and Licence;

(iii) General Operator's Certificate and Licence ;

(iv) Restricted Operator's Certificate and Licence.

4. Eligibility for admission to the examination and licence.—No person shall be eligible for admission to an examination held under these rules for grant of a certificate unless such person is—

(i) a Citizen of India,

(ii) above the age of eighteen years on the date specified from time to time by this Ministry,

(iii) has passed all India senior secondary school certificate examination or an equivalent examination conducted by a recognised board/University with Mathematic and Physics as optional subjects.

5. Application.—An application for admission to an Examination specified in Rule 3 above, shall be made to the Central Government or to an officer empowered by it, in this behalf, in the form prescribed by the Government from time to time, together with all the subsidiary forms and documents duly filled in and completed in all respect.

6. Fee for an examination.—A candidate for admission to an examination for the grant of certificates specified the Rule 3 shall pay fees in the following scale.

(i) First Class REC and Second Class REC :

(a) Part-I	250.00
(b) Part-II anl|or Part-III	250.00
(ii) General and Restricted operator certificates Part-II and|or Part-III	250.00
(iii) Conversion examination from ROGC and SND Class COP	250.00
(iv) Re-examination for the renewal of certificate to operate endorsed in the certificate	250.00

(Fee for an Examination specified above is subject to revision by Central Government from time to time.)

9. Examination.—(1) The examination for the award of GMDSS certificate in Radio telephony shall be held in accordance with the terms of the convention and in the manner determined, from time to time, by the Central Government who shall notify the place at which and the date on which such an examination shall be held.

(2) Any person admitted to the examination and found guilty of impersonation of submitting fabricated documents which have been tempered with or making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admissions to the examination may, in addition to rendering him/herself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period from appearing in any of the examination held for the award of GMDSS certificates of Radio telephony awarded under Rule (3).

Provided that order under this rule shall not be made unless the person has been given a reasonable opportunity of making a representation against the action proposed to be taken.

8. Secrecy.—Every holder of the certificate shall observe secrecy of the correspondence. A declaration to this effect shall be made by him/her in the application for admission to the examination.

9. Validity of Licences.—(1) Licence to operate shall be valid for a period specified by the Central Government, but it shall in no case, be less than three years or more than five years from the date of declaration of result of the examination.

Provided that on the expiry of the initial period of the validity of licence, it may be renewed for a period of three years at a time if the holder applies for it before the date of expiry of licence except as provided in rule 10(2) but not earlier than three months prior to that date, and

(i) pays a fee of Rs. 200.

(ii) has a total experience of not less than 3 months within 3 years immediately preceding the date of expiry of a licence, or

(iii) satisfies the Central Government by re-examination or otherwise that he still possesses all of the qualificaions specified in his certificate.

(2) If the holder of a licence, in the opinion of the Central Government has wilfully or negligently provided incorrect or false information for the propose of re-validation of the licence, the Central Government may endorse, suspend or cancel the licence.

Provided that no order to suspend or cancel the licence under this rule shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the action proposed to be taken.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression 'experience' means the experience gained at a mobile station in the Maritime or Aeronautical Mobile Service using GMDSS.

10. Issue of duplicate or replacement certificates and licences.—(1) A holder whose certificate or licence has been lost, mutilated or destroyed shall immediately notify the loss to the Central Government. A properly executed application for duplicate certificate shall be made to the Central Government embodying a statement of the circumstances involved in the loss, mutilation or destruction of the certificate or licence for which a duplicate is required. If the certificate or licence has been lost, the applicant must state that reasonable search has been made for it and further, that in the event it be found, either the original or the duplicate shall be returned for cancellation.

(2) The Central Government may issue duplicate copies of any certificate or licence on the payment of the charges as follows :—

(i) Issue of Duplicate	200.00
(ii) Issue of Duplicate Renewal slip	100.00

11. Discipline of operators.—(1) If in the opinion of the Central Government the holder of the certificate or licence has wilfully or negligently failed to comply with the provisions of the convention, or of these rules or of any regulations lawfully applicable to him/her in respect of operation of Radio Apparatus the Central Government may endorse, suspend or cancel the certificate.

(2) The Central Government may at any time require the holder of a certificate of proficiency to produce the same and the holder shall comply with such requisition.

(3) The Central Government may at any time require the holder of a certificate of proficiency or licence to be re-examined in order to test his knowledge and ability and may as a result of such examination, endorse, suspend or cancel the licence. No fee shall be chargeable for such examination.

Provided that the Central Government may modify, vary, cancel or revoke any of the conditions governing the issue of GMDSS certificate in Radio Telephony either by specified notice in writing to the holder or by a general notice published in the official gazette or News paper in New Delhi.

12. Admission and award of certificates in Radio Telephony (GMDSS).—Nowithstanding anything contained in these Rules, the Central Government may, subject to such conditions as it may impose from time to time :—

(i) admit a person, who is not a citizen of India to examination held under these Rules, and

(ii) award him/her a certificate in Radio telephony (GMDSS).

13. Recognition of certificates issued by other countries.—The Central Government may recognize, subject to any conditions it may prescribe from time to time, certificate of Radio telephony (GMDSS) issued by a competent authority in any other country as a certificate of proficiency of the same class issued by it.

14. Results of the examinations.—(1) The result of each candidate who has qualified in the examination would be forwarded him/her as soon as possible after publication of the result.

(2) No request for revaluation or re-scrutiny of any paper would be entertained.

15. Conversion examination for award or Radio Telephony certificate (GMDSS).—Any person, who had passed the ROGC or COP (second Class examinations or was granted ROGC or COP SND licence or certificate or any such licence/certificate was renewed shall be required to pass examination for conversion to appropriate certificate in Radio Telephony (GMDSS).

16. Language.—The language of the examination shall be English.

[No. R-11014/18/93 LR]

S. VENKATSUBRAMANIAN, Asstt. Wireless Adviser

जल, भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1995

(वाणिज्य पोत परिवहन)

सा. का. नि. 43:—वाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा वहन) नियम, 1995 का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 457 के साथ पठित धारा 330 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) धारा

331 और धारा 332 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (खतरनाक माल वहन) नियम, 1978, वाणिज्य पोत परिवहन (डेक स्थारी) इमारती लकड़ी में (स्थोरा सहित) नियम, 1980 और वाणिज्य पोत परिवहन (खाद्यान्न वहन) नियम, 1991 को अधिक्रान्त करते हुए, बनाना चाहती है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 330 और धारा 332 की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से, जिनको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे आक्षेप या सुझाव पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पहले उक्त प्रारूप नियम की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगें, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रस्तावित प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, और लागू होना :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (स्थोरा वहन), नियम 1995 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।

(3) ये निम्नलिखित को लागू होंगें :—

(क) ऐसा प्रत्येक भारतीय पोत जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट स्थोरा का कहीं भी वहन कर रहा है या करने वाला है, और

(ख) भारतीय पोत से भिन्न ऐसा प्रत्येक पोत जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट स्थोरा का भारत के भाग या स्थानों में वहन कर रहा है या करने वाला है:

परन्तु यह कि जहां ऐसा स्थोरा का 500 टन सकल टन भार से न्यून के भारतीय पोत पर वहन किया जाना है, वहां, महानिदेशक, समुद्री यात्रा की प्रकृति और शर्तों को ध्यान में रखते हुए पोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रभावी उपायों की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) ये नियम पोत के भंडार और उपस्कर के वहन को लागू नहीं होंगें।

2. परिभाषा :—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन संहिताओं में यथा उल्लिखित "प्रशासन" से महानिदेशक पोत परिवहन अभिप्रेत है;

(ग) "बी. सी. संहिता" से समय-समय पर यथा संशोधित अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत किए गए ठोस प्रपुंज स्थोरा के लिए सुरक्षित पद्धति संहिता अभिप्रेत है;

(घ) "बी सी एच" संहिता से खतरनाक रसायनों का प्रपुंज में वहन करने वाले पोत के सन्निर्माण और उपस्कर के लिए अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा 1 जुलाई, 1986 से पूर्व निर्मित पोतों के लिए अंगीकृत की गई समय-समय पर यथासंशोधित संहिता अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थोरा एकक" से ऐसा यान, आधान, फ्लैट, पैलेट, वहनीय टंकी, पैक की गई एकक या कोई अन्य अस्तित्व और लदाई उपस्कर या उसका भाग जो पोत से संबंधित है किन्तु पोत में लगा नहीं है अभिप्रेत है।

(च) "स्थोरा भरण संहिता" से अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा स्थोरा भरण और सुरक्षा के लिए अंगीकृत की गई समय-समय पर यथा संशोधित सुरक्षित पद्धति संहिता अभिप्रेत है;

(छ) "रसायन टैंकर" से आई बी सी/बी सी एच संहिता में सूचीबद्ध खतरनाक तरल रसायनों के प्रपुंज में वहन के लिए सन्निर्मित या अंगीकृत प्रयोग होने वाला हाई स्थोरा पोत अभिप्रेत है।

(ज) "मुख्य सर्वेक्षक" से मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार या उपमुख्य पोत सर्वेक्षक पोत परिवहन महानिदेशालय अभिप्रेत है;

(झ) "आधान" से ऐसी परिवहन उपस्कर सामग्री अभिप्रेत है, —

(क) जो स्थायी प्रकृति की और तदनुसार बार-बार प्रयोग के लिए उपयुक्त रूप से पर्याप्त मजबूत हो;

(ख) जिसे माध्यक लदाई के बिना परिवहन के एक या अधिक साधनों द्वारा माल के परिवहन को सुकर बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हो;

(ग) जिसे सुरक्षित और/या आसानी से उठाई-धराई के लिए डिजाइन किया हो, जिसमें इन प्रयोजनों के लिए कोणों पर फिटिंग हो;

(घ) ऐसे आकार का हो जिसकी बाहरी कोणों की तली का क्षेत्र :

(1) कम से कम 14 वर्ग मीटर (150 वर्गफीट); या

(2) यदि इसमें सबसे ऊपर कोण में फिटिंग लगा हो तो कम से कम 7 वर्ग मीटर (75 वर्ग फीट) का हो,

(ङ) सुरक्षित आधानों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की अपेक्षाओं के अनुरूप हो । तथापि जब आधानों या "आधान" पद में न तो यान और न ही पैकेजिंग सम्मिलित है तथा आधान तब सम्मिलित है जब चेसिस पर वहन किए जाते हैं,

(ञ) "खतरनाक स्थोरा" में विस्फोटक अधिनियम 1884 और आई. एम. डी. जी. संहिता में यथा परिभाषित पैक किए गए विस्फोटक माल; और प्रपुंज में उवाय कर या खतरनाक रसायन, ठोस प्रपुंज स्थोरा, द्रवित गैस आई.एम.डी. जी. संहिता में सामुद्रिक प्रदूषक के रूप में पहचाने गए हानिकर पदार्थ सम्मिलित हैं। डैक स्थोरा में इमारती लकड़ी और ऐसे अन्य स्थोरा सम्मिलित हैं जो अपनी प्रकृति के कारणों से मात्रा या भरण साधनों से एकल रूप में या सामूहिक रूप में पोत पर या उसके नजदीक के व्यक्तियों के जीवन या स्वास्थ्य के लिए संकटापन्न होने का दायी है या पोत सुरक्षा को खतरे में डालने का दायी है।

(ट) "खतरनाक माल" से पैक किए गए रूप में या ठोस में प्रपुंज में वहन किया जाने वाला खतरनाक स्थोरा अभिप्रेत है और जिसमें आई एम डी जी संहिता में सामुद्रिक प्रदूषक के रूप में पहचान किया गया पदार्थ भी सम्मिलित है;

(ठ) इन नियमों के संदर्भ में "दस्तावेज" में ऐसी सूचना जो इलैक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रसंस्करण (ईडीपी) के और कागजी पुलेखीकरण में सहायक के रूप में इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा व्यतिहार (ई डी-आई) परेषण तकनीक के माध्यम से दी जाती है, सम्मिलित हैं;

(ड) "गैस वाहक" से ऐसा सन्निर्मित या अंगीकृत किया गया स्थोरा पोत जिसका उपयोग किसी भी द्रवित गैस को प्रपुंज में वहन के लिए है या जो आईजीसी गैस संहिता में सूचीबद्ध अन्य उत्पाद अभिप्रेत है;

(ढ) "गैस संहिता" से प्रपुंज में द्रवित गैस का वहन करने वाले और उसके उपस्कर के सन्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा अंगीकृत समय-समय पर यथासंशोधित ऐसी संहिता अभिप्रेत है जो 31 दिसंबर, 1976 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 1986 से पूर्व सन्निर्मित पोतों को लागू होती है।

(ण) "अनाज" में गेहूं, मक्का (कार्न), जई, राई, जौ चावल, दाल, बीज और उनके प्रसंस्कृत रूप जिनका व्यवहार प्राकृतिक अवस्था के अनाज के समरूप है;

(त) "अनाज संहिता" से प्रपुंज में अनाजों के सुरक्षित वहन के लिए समय समय पर यथासंशोधित अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक संगठन द्वारा अंगीकृत की गई अंतरराष्ट्रीय संहिता अभिप्रेत है;

(थ) "आई.बी.सी." संहिता से प्रपुंज में खतरनाक रसायनों का वहन करने वाले पोत और उसके उपस्कर के सन्निर्माण के लिए समय समय पर यथासंशोधित रूप में अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत की गई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संहिता अभिप्रेत है जो 1 जुलाई, 1986 को या उसके पश्चात सन्निर्मित पोतों को लागू होती है;

(द) "आई. जी. सी. संहिता" प्रपुंज में द्रवित गैस वहन करने वाले पोत और उसके उपस्कर के सन्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत की गई समय समय पर यथासंशोधित ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संहिता अभिप्रेत है जो 1 जुलाई, 1986 को या उसके पश्चात सन्निर्मित पोतों को लागू होती है।

(ध) "आई. एम. डी. जी. संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत की गई समय-समय पर यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय खतरनाक माल संहिता अभिप्रेत है;

(न) "द्रवित गैस" से ऐसी गैस अभिप्रेत है जो 30+8 से. ग्रेड तापमान पर 2.8 स्केल से अधिक वाष्प दाब पर निरपेक्ष हो और इसमें आई. जी. सी. संहिता में विहित अन्य उत्पाद भी सम्मिलित है;

(प) "मारपोल कन्वेंशन" से पोतों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रवृत्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत इसका समय-समय पर यथा संशोधित नवाचार भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(फ) "नौ सलाहकार" से भारत सरकार का नौ सलाहकार या पोत परिवहन महानिदेशालय में उप नौ सलाहकार अभिप्रेत है;

(ब) अनुसूची से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(भ) "सोलास कन्वेंशन" से समुद्र में जीवन सुरक्षा के लिए प्रवृत्त अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन जिसमें अंतर्रा-

ष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत इसका समय-समय पर यथा संशोधित नवीनतम भी सम्मिलित है ;

(म) "इमारती लकड़ी संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय इमारती लकड़ी डाक स्थोरा का वहन करने वाले पोतों के लिए अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत की गई संहिता समय-समय पर यथासंशोधित अभिप्रेत है ;

भाग 2

3. साधारण :

(1) प्रत्येक पोत जब प्रपुंज में ऐसे खतरनाक स्थोरा का वहन कर रहा हो जिसमें नशीली या ज्वलनशील गैस के उत्सर्जन या स्थोरा स्थान में आक्सीजन गैस की क्षीणता होने की संभावना हो तब उस पर वायु या ऐसे स्थान में गैस या आक्सीजन की सान्द्रता की माप के लिए समुचित उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा । ऐसे प्रत्येक उपस्कर के साथ उसके उपयोग के लिए विस्तृत अनुदेश दिया जाएगा और ऐसे प्रत्येक पोत के कर्मीदल को पोत पर उसके पहली बार कार्य संभालने के दो सप्ताह के भीतर ऐसे उपस्करों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक मास्टर जब स्थोरा या वास सुविधा स्थान के धूमीकरण के लिए नाशक जीवमार का उपयोग कर रहा हो तब पोत कर्मीदल और धूमीकरण कार्य में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित पूर्वावधानियां बरतेगा ।

(3) इन नियमों के अधीन खतरनाक स्थोरा का लदान करने वाले प्रत्येक पोत पर पोत की मजबूती और विभिन्न मानक लदान अवस्था में स्थोरा के वितरण के बारे में व्यापक सूचना होगी । वाणिज्य पोत परिवहन (लदान) नियम, 1979 के अधीन उपलब्ध सूचना पर्याप्त समझी जाएगी ।

4. स्थोरा सूचना : (1) माल भेजने वाला, मास्टर या उसके प्रतिनिधि को स्थोरा पर लदान से पर्याप्त अग्रिम में उन पूर्वावधानियों के बारे में समुचित सूचना उपलब्ध कराएगा जो स्थोरा के समुचित नौभरण और सुरक्षित वहन करने के लिए प्रभावी करना आवश्यक हो । ऐसी सूचना की, पोत पर स्थोरा की लदान से पूर्व लिखित में और समुचित पोत परिवहन दस्तावेजों द्वारा पुष्टि की जाएगी ।

(2) स्थोरा सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(क) साधारण स्थोरा की दशा में, और स्थोरा एककों में वहन किए गए स्थोरा के बारे में, स्थोरा का साधारण वर्णन, स्थोरा या स्थोरा एकक का सकल परिमाण और स्थोरा का कोई विशेष सुसंगत गुणधर्म ;

(ख) प्रपुंज स्थोरा की दशा में, स्थोरा के नौभरण तत्व की सूचना कतरन, प्रक्रिया, और सान्द्रण तथा अन्य स्थोरा की दिशा में, जो द्रवित हो सकता है स्थोरा की आर्द्रता धारित, और इसकी परिवहनीय आर्द्रता सीमा के बारे में प्रमाणपत्र के प्ररूप में अतिरिक्त सूचना ;

(ग) ऐसे प्रपुंज स्थोरा के बारे में जिसे नियम 10 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया है किन्तु जिसमें ऐसी रासायनिक गुणधर्मिता है जिससे संभाव्य परिसंकट उत्पन्न हो सकता है इस नियम द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त इसकी रासायनिक गुणधर्मिता की सूचना ;

(3) पोत के फलक पर स्थोरा एकक की लदाई करने से पूर्व, माल भेजने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे एकक का सकल परिमाण परिवहन दस्तावेज में घोषित सकल परिमाण के अनुसार है ।

5. अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन संहिता—प्रत्येक पोत को फलक पर वहन किए जाने के लिए आशयित विशिष्ट स्थोरा से संबंधित इन नियमों में निर्दिष्ट और अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत समुचित संहिता उपलब्ध कराई जाएगी ।

6. नौभरण और प्राप्त करना—पोत के फलक पर किसी स्थोरा के नौभरण और उसको प्राप्त करते समय मास्टर स्थोरा नौभरण संहिता में विनिर्दिष्ट उपबंधों का पालन करेगा और विशिष्ट रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि :

(1) डाक पर या उसके नीचे वहन किया जाने वाला स्थोरा या स्थोरा एकक की लदाई नौभरण और प्राप्ति इस प्रकार की जाएगी कि यथासाध्य पूरी समुद्री यात्रा के दौरान पोत को और फलक पर के व्यक्तियों को होने वाले नुकसान या परिसंकट को और फलक पर के स्थोरा को हानि से निवारित किया जा सके ।

(2) स्थोरा एकक में वहन किया जाने वाला स्थोरा, एकक के भीतर इस प्रकार पैक और प्राप्त किया जाएगा कि पूरी समुद्री यात्रा के दौरान पोत को और पोत फलक पर के व्यक्तियों को होने वाला नुकसान या परिसंकट को निवारित किया जा सके ।

(3) पोत को संरचनात्मक नुकसान न होने देने को सुनिश्चित करने और पूरी समुद्री यात्रा के दौरान पर्याप्त मजबूती बनाए रखने सुनिश्चित करने के लिए भारी स्थोरा या असामान्य भौतिक आकार वाले स्थोरा की लदाई और परिवहन के दौरान पर्याप्त पूर्वावधानियां बरती जाती है ।

(4) रो-रो पोतों के फलक पर या पोत पर स्थोरा एककों की लदाई और परिवहन के दौरान विशेषकर ऐसे पोतों के फलक पर प्रतिग्राहय व्यवस्था और स्थोरा एककों तथा प्रतिग्राहय बिन्दु और रस्सियों की मजबूती के संबंध में समुचित पूर्वावधानियां बरती जाती हैं ।

(5) सुरक्षित आधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (सी.एस.सी) के अधीन उस पर लगाई गई सुरक्षा अनुमोदन प्लेट पर उपदर्शित अधिकतम सकल भार से अधिक भार की आधानों पर लदाई नहीं की जाती है ।

(6) ऐसे किसी पोत पर जो स्थोरा नौभरण संहिता के अंतर्गत आने वाले स्थोरा एककों और अन्य तत्वों को ले जा रहा है, नौ सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित स्थायी प्रतिग्राह्य निर्देशिका साथ जाएगी ।

(7) खतरनाक स्थोरा वाली घटनाओं की रिपोर्ट करना :— (1) जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें फलक पर खतरनाक स्थोरा जिसमें पैक किया खतरनाक माल, प्रपुंज में खतरनाक स्थोरा की हानि या हानि होने की संभावना तब है मास्टर या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो पोत का भारसाधक है, ऐसी घटना की विशिष्टियों को अविलम्ब और जहां तक सम्भव हो पूरे विस्तार से तटीय राज्य को रिपोर्ट करेगा । रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अनुमोदित पोत रिपोर्ट प्रणाली के सामान्य सिद्धांत और पोत रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं जिसमें खतरनाक माल, हानिकर पदार्थ और/या सामुद्रिक प्रदूषण की घटना सम्मिलित है, पर आधारित होगी ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे पोत की दशा में जो परित्यक्त है या ऐसे पोत से रिपोर्ट की दशा में जो अपूर्ण या अग्राह्य है पोत का स्वामी, चार्टरकर्ता, प्रबंधक या प्रचालक या उसके अभिकर्ता यथासंभव पूरे विस्तार से इन नियमों के अधीन मास्टर पर सौंपी गई बाध्यताओं को संभालेगा ।

(3) प्रत्येक ऐसा पोत जो खतरनाक स्थोरा का वहन कर रहा है खतरनाक मालों का वहन करने वाले पोत के लिए आपातकालीन प्रक्रिया के अनुपालन में विशेष आपात-कालीन उपकरण जिसमें आई.एम.डी.जी. संहिता की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट (आपात-अनुसूची) सुरक्षात्मक पहनावा भी सम्मिलित है, का वहन करेगा । ऐसे सुरक्षात्मक पहनावे और उपकरण फलक पर स्थोरा का वहन या लदाई या उतराई किए जाने तक तैयार रखा जाएगा । प्रत्येक पोत का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मीदल ऐसे उपकरणों के उपयोग से सुपरिचित है ।

(4) प्रत्येक ऐसी घटना में जिसमें खतरनाक माल अंतर्वलित है, मास्टर अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा अंगीकृत पोत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मार्गदर्शन, आई.एम.डी.जी. संहिता के उपाबद्ध खतरनाक माल अंत-र्वलित घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा मार्गदर्शन और वाणिज्य पोत परिवहन (औषध वहन) नियम में विनिर्दिष्ट औषधियों की सूची द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा ।

भाग-3

8. लागू होना :— यह भाग निम्नलिखित के वहन को लागू होता है, अर्थात् :—

(i) पैकेज रूप में खतरनाक माल

(ii) ठोस प्रपुंज स्थोराओं और

(iii) डेक स्थोरा जिनमें टिम्बर डेक स्थोरा, सम्मिलित हैं,

9. पैकेज रूप में खतरनाक माल—(1) जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, नियम 10 के उपनियम (1) में यथा वर्गीकृत पैकेज रूप में खतरनाक माल ले जाने वाला प्रत्येक पोत, आई.एम.डी.जी. संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(2) 1 जुलाई, 1986 के पश्चात निर्मित प्रत्येक ऐसा पोत इसके अतिरिक्त, पहली अनुसूची की अपेक्षाओं का अनु-पालन करेगा और ऐसा अनुपालन करने पर दूसरी अनुसूची में यथा विहित प्रधान अधिकारी द्वारा एक अनुपालन दस्तावेज जारी किया जाएगा ।

(3) ऐसा अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अल्पावधि के लिए जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त होगा ।

10. वर्गीकरण, पहचान और प्लेखीकरण—(1) इन नियमों के प्रयोजनार्थ खतरनाक माल को निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया जाएगा ।

वर्ग 1	विस्फोटक
वर्ग 2	गैस संपीडित, द्रवित या दाब पर विलीन
वर्ग 3	ज्वलनशील/द्रव
वर्ग 4	ज्वलनशील/ठोस
वर्ग 4.2	ऐसे पदार्थ जो स्वतः दहन हो सकते हैं
वर्ग 4.3	ऐसे पदार्थ, जो, जल के संपर्क में ज्वलनशील गैस का उत्सर्जन करते है ।
वर्ग 5.1	आक्सीकारक पदार्थ
वर्ग 5.2	कार्बनिक परआक्साइड
वर्ग 6.1	विषाक्त (विषैले) पदार्थ
वर्ग 6.2	संक्रामक पदार्थ
वर्ग 7	रेडियो ऐक्टिव पदार्थ
वर्ग 8	संक्षारक
वर्ग 9	प्रकीर्ण खतरनाक पदार्थ अर्थात् ऐसा अन्य पदार्थ जिसके बारे में अनुभव से यह दर्शित हुआ है या दर्शित हो सकता है कि वह इतनी खतरनाक प्रकृति का है कि इस भाग के उपबन्ध उसे लागू होंगे ।

(2) समुद्री मार्ग द्वारा खतरनाक माल के वहन से संबंधित सभी दस्तावेजों में जहां माल का नाम दिया जाता है माल का सही तकनीकी नाम और आई एम.डी.जी. संहिता में उसे आबंटित यू.एन. संख्यांक का प्रयोग किया जाएगा (केवल व्यवसाय नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा) और उपनियम (1) में उपवर्णित वर्गीकरण के अनुसार सही विवरण दिया जाएगा । समुद्री प्रदूषक के रूप में परिलक्षित उपहानिकर पदार्थों की दशा में, दस्तावेजों में समुद्री प्रदूषक

दों को जोड़ कर पदार्थ को और परिलक्षित किया जाएगा ।

(3) माल भेजने वाले द्वारा तैयार किए गए पोत परि-न दस्तावेजों में, तीसरी अनुसूची में विनिदिष्ट प्ररूप में उपदर्शित करते हुए एक हस्ताक्षरित घोषणा होगी या कि साथ लगाई जाएगी कि वहन के लिए प्रस्तुत किया ा माल समुचित रूप से पैक किया हुआ और चिन्हित, ल या प्लेकार्ड लगा हुआ है और वह वहन के लिए चत दशा में है और जहां लागू हो, समुद्री पर्यावरण के संकट को कम करने के लिए है ।

(4) किसी भाड़ा आधान या सड़क यान में खतरनाक न को पैक करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक हस्ताक्ष-ा आधान पैकिंग घोषणा या यान पैकिंग घोषणा यह कथन ते हुए करेंगे कि एकक में स्थोरा को समुचित रूप से और सुरक्षित किया गया है और यह कि सभी लागू वहन अपेक्षाएं पूरी कर दी गई है । ऐसा प्रमाणपत्र, नियम के उपनियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेज के साथ ड़ा जा सकता है ।

(5) जहां, संदेह करने का सम्यक हेतु हो, प्रर्थात् ा भाड़ा आधान या सड़क यान, जिसमें खतरनाक माल किया गया है, उपनियम (2) या उपनियम (3) की क्षाओं के अनुपालन में नहीं है या जहां आधान पैकिंग ाणपत्र या यान पैकिंग घोषणा उपलब्ध नहीं है, वहां ड़ा आधान या यान लदाई के लिए स्वीकार नहा किया गा ।

(6) खतरनाक माल का वहन करने वाले प्रत्येक ा में एक विशेष सूची या माल सूची होगी जिसमें इस म के उपनियम (1) में उपवर्णित वर्गीकरण के अनुसार क पर के खतरनाक माल और उनका अवस्थान उपवर्णित । ऐसी विशेष सूची या माल सूची के स्थान पर एक ा ब्योरेवार भरण व्यवस्था का, जो फलक पर के सभी रनाक माल को वर्ग द्वारा परिलक्षित करती है और उनके स्थान को उपवर्णित करती है, प्रयोग किया जा सकेगा । के दशा में, समुद्री प्रदूषक के रूप में परिलक्षित उपहानि- पदार्थो और अन्य खतरनाक माल के बीच स्पष्ट विभेद ा जाएगा । इन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को एक ा प्रस्थान करने से पूर्व भारत में वाणिज्यिक समुद्री विभाग किसी व्यक्ति या पत्तन राज्य प्राधिकारी द्वारा भारत के र किसी पत्तन में अभिहित किसी संगठन, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जाएगी ।

11. पैकेजिंग; चिन्हांकन लेबल लगाना और प्लेकार्ड लगाना—

(1) खतरनाक माल की पैकेजिंग ।

(क) अच्छी तरह से तथा अच्छी हालत में की जाएगी,

(ख) इस स्वरूप की होगी कि उसकी कोई आंतरिक सतह, जिसके संपर्क में अंतर्वस्तु आ सके वहन किए जा रहे पदार्थ द्वारा खतरनाक ढंग से प्रभावित न हो, और

(ग) समुद्र मार्ग द्वारा वहन किए जाने और हैंडलिंग के साधारण जोखिम का मुकाबला करने में समर्थ हो ।

(2) जहां द्रवों की पात्रों में पैकेजिंग करने के लिए अवशोषक या गद्दीदार सामग्री का प्रयोग करना प्रचलित हो, वहां वह सामग्री :

(क) ऐसी होगी जो ऐसे खतरों को कम करने में समर्थ हो जो द्रव द्वारा उत्पन्न हो सकें,

(ख) इस प्रकार रखी जाएगी जिससे उसका संचलन रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र घिरा रहे, और

(ग) जहां युक्तियुक्त रूप से संभव हो, इतनी पर्याप्त मात्रा में होगी कि पात्र के टूट जाने की दशा में द्रव को सोख सके ।

(3) ऐसे पात्रों में, जिनमें खतरनाक माल है, भरण तापमान पर एक नोदक रिक्ति होगी जो सामान्य वहन के दौरान उच्चतम तापमान का सामना करने के लिए पर्याप्त हो ।

(4) ऐसे पैकेजों पर, जिनमें खतरनाक माल हो, सही तकनीकी नाम स्थायी रूप से चिन्हांकित किया जाएगा, केवल व्यापार नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(5) ऐसे पैकेजों पर, जिनमें खतरनाक माल हो, सुभिन्न लेबलों के स्टेंसिल या प्लेकार्ड, जो भी उचित हो, लगाए जाएंगे, जिससे कि उनमें अंतर्विष्ट माल की खतरनाक विशेषताएं स्पष्ट हो सकें ।

(6) खतरनाक माल से युक्त पैकेजों पर सही तकनीकी नाम चिन्हित करने और लेबल चिपकाने या लेबलों के स्टेंसिल लगाने या प्लेकार्ड लगाने की पद्धति ऐसी होगी कि यह जानकारी पैकेजों पर समुद्र में कम से कम तीन मास के निमज्जन के पश्चात भी परिलक्षित होती रहे । उपयुक्त चिन्हांकन लेबल लगाने और प्लेकार्ड लगाने की पद्धतियों पर विचार करते समय प्रयुक्त सामग्री के टिकाऊपन और पैकेज की सतह का ध्यान रखा जाएगा ।

(7) खतरनाक माल से युक्त पैकेज इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट रूप में चिन्हांकित किए जाएंगे या उन पर लेबल लगाए जाएंगे परन्तु नौ सलाहकार निम्नलिखित को चिन्हांकन की अपेक्षा से छूट दे सकेगा :

1. कम परिसंकट वाले खतरनाक माल से युक्त पैकेज या मात्रा में खतरनाक माल से युक्त पैकेज या,

2. ऐसे पैकेज, जो ऐसे एककों में भरे और हैंडल किए जाते है, जो लेबलों या प्लेकार्डों से पहचाने जाते है ।

12. भरण अपेक्षाएं :— (1) खतरनाक माल का भरण माल की प्रकृति के अनुसार सुरक्षित रूप से और समुचित रूप से किया जाएगा । असंगत माल को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा ।

(2) ऐसे विस्फोटक (गोला-बारूद के सिवाय), जो गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं, ऐसे मैगजीन में भारित किए जाएंगे जो समुद्र मार्ग द्वारा ले जाते समय सुरक्षित रूप से बंद रखा जाएगा । ऐसे विस्फोटकों को विस्फोट प्रेरकों से पृथक रखा जाएगा। किसी भी कम्पार्टमेंट में, जिसमें विस्फोटकों का वहन किया जा रहा हो, विद्युत साधित्र तथा केबल इस प्रकार व्यवस्थित और प्रयुक्त किए जाएंगे कि अग्नि या विस्फोट का जोखिम कम रहे ।

(3) पैकेज किए गए खतरनाक माल, जो खतरनाक वाष्प निकालते हैं, यांत्रिक रूप से संवातित स्थान या डेक पर भारित किए जाएंगे । प्रपुंज में ऐसे ठोस खतरनाक माल जो खतरनाक वाष्प निकालते हैं, सुसंवातित स्थानों पर भारित किए जाते हैं ।

(4) ज्वलनशील द्रवों या गैसों का वहन करने वाले पोतों में जहां आवश्यक हो, वहां अग्नि या विस्फोट से बचने की विशेष पूर्वाविधानियां बरती जाएंगी ।

(5) ऐसे पदार्थों का, जो स्वतः तप्त या दहन योग्य हों, तब तक वहन नहीं किया जाएगा जब तक आग लगने की संभाव्यता को कम करने की पर्याप्त पूर्वाविधानियां न बरती गई हों ।

(6) समुद्री प्रदूषकों के रूप में परिलक्षित अपहानिकर पदार्थों को उचित रूप से भारित और सुरक्षित किया जाएगा जिससे कि समुद्री पर्यावरण के परिसंकट को कम किया जा सके । ऐसे पदार्थ का पैकेज के रूप में अवभारण और ऐसे पदार्थ के किसी क्षरण का फलक पर धोना वहां के सिवाय जहां पोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने या समुद्र में प्राण रक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, प्रतिषिद्ध है ।

13. विस्फोटकों का वहन :— (1) इस नियम में विनिर्दिष्ट विस्फोटकों और संगत समूहों के खण्डों के वही अर्थ हैं जो आई एम डी जी संहिता में हैं ।

(2) आई एम डी जी संहिता के खंड 1.4 और संगत समूहों के विस्फोटकों का किसी भी मात्रा में यात्री पोतों में वहन किया जा सकेगा । निम्नलिखित में से किसी एक विस्फोटक के सिवाय, किसी अन्य विस्फोटक का वहन नहीं किया जाएगा :

(i) प्राण-रक्षा प्रयोजनों के लिए विस्फोटक वस्तुएं यदि ऐसी वस्तुओं का कुल शुद्ध विस्फोटक द्रव्यमान 50 कि.ग्रा. प्रति पोत से अधिक नहीं है,

(ii) संगत समूह ग, घ और ङ में के विस्फोटक, यदि कुल शुद्ध विस्फोटक द्रव्यमान 10 कि.ग्रा. प्रति पोत से अधिक नहीं है, या

(iii) संगत समूह छ में विशेष भारण की अपेक्षा करने वाली विस्फोटक वस्तुओं से भिन्न विस्फोटक वस्तुएं यदि कुल शुद्ध विस्फोटक द्रव्यमान 10 कि.ग्रा. प्रति पोत से अधिक नहीं है ; या

(iv) संगत समूह "ख" में की विस्फोटक वस्तुएं, यदि कुल शुद्ध विस्फोटक द्रव्यमान 5 कि.ग्रा. प्रति पोत से अधिक नहीं है ।

(3) इस नियम के उपनियम (2) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी विस्फोटकों की अतिरिक्त मात्रा या उनके प्रकार का ऐसे यात्री पोतों में वहन किया जा सकेगा जिनमें नौ-सलाहकार द्वारा अनुमोदित विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं ।

14. खाद्यान्न से भिन्न ठोस खुले स्थोरा का वहन:— (1) खाद्यान्न से भिन्न ठोस खुले स्थोरा का भारण करने वाला प्रत्येक पोत बी सी संहिता की साधारण अपेक्षाओं और उस संहिता के परिशिष्ट क, ख और ग में विनिर्दिष्ट विशिष्ट अपेक्षा या पूर्वाविधानियों का अनुपालन करेगा ।

(2) खुले स्थोरा युक्तियुक्त रूप से यथावश्यक स्तर पर स्थोरा के खाली स्थान की सीमाओं तक लादे और समांकृतिक किए जाएंगे जिससे स्थानांतरण के जोखिम को कम किया जा सके और पूरी यात्रा के दौरान पर्याप्त स्थिरता बनाई रखी जा सके ।

(3) जब खुला स्थोरा ट्वीन डैकों में वहन किए जाए तब ऐसे ट्वीन डैकों के विपात द्वार ऐसे मामलों में बंद कर दिए जाएंगे जहाँ लदाई-उतराई जानकारी सबसे निचली संरचना पर दबाव का अस्वीकार्य स्तर उपदर्शित करती है, यदि विपात द्वार खुले छोड़ दिए जाएं । स्थोरा का युक्तियुक्त स्तर तक समांकृतन किया जाएगा और वह या तो एक ओर से दूसरी ओर तक किया जाएगा या उसी पर्याप्त क्षमता वाले अतिरिक्त अनुदैर्ध्य विभाजनों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा । ट्वीन डैकों की सुरक्षित भारवहन क्षमता का यह सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन किया जाएगा कि डैक संरचना की भराई अधिक न हो ।

(4) सांद्र या अन्य स्थोरा, जो द्रवित हो सकते हैं, लदाई के लिए केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब कि स्थोरा की वास्तविक आर्द्रता अंतर्वस्तु, उसकी परिवहन योग्य आर्द्रता सीमा से कम हो । परन्तु ऐसे सांद्र और अन्य स्थोरा तब भी लदाई के लिए स्वीकार किए जा सकेंगे जब उनकी आर्द्रता अंतर्वस्तु ऊपरी सीमा से अधिक है, यदि सुरक्षा प्रबंध, जिसके अंतर्गत स्थोरा के किसी कल्पित स्थानांतरण की दशा में पर्याप्त स्थिरता और पर्याप्त संरचनात्मक समग्रता भी है, नौ-सलाहकार के समाधानप्रद रूप में किए गए हों ।

(5) किसी ऐसे खुला स्थोरा की लदाई से पूर्व, जो नियम 10 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार वर्गीकृत कोई स्थोरा नहीं है किन्तु जिसमें ऐसे रासायनिक गुण हैं जो संभाव्य परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं, उसके सुरक्षित वहन के लिए विशेष पूर्वाविधानियां बरती जाएंगी ।

(6) बी.सी. संहिता के परिशिष्ट क, ख और ग में विनिर्दिष्ट स्थोरा को वहन करने वाले प्रत्येक पोत को

द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा । ऐसा प्रमाण-पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा जब ऐसे पोत ने इन नियमों और बी.सी. संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया हो ।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट ऐसा अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या ऐसी अल्पावधि के लिए जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा ।

15. डैक स्थोरा, जिसके अंतर्गत टिम्बर डैक स्थोरा भी है, का वहन :–

(1) जब स्थोरा डैक पर वहन किए जाते हैं तब मास्टर इन नियमों के नियम 6 के उपबंधों का अनुपालन करेगा ।

(2) टिम्बर डैक स्थोरा का वहन करने वाला प्रत्येक जलयान टिम्बर कोड के उपबंधों और वाणिज्यिक पोत परिवहन (माल रेखा) नियम, 1978 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

भाग 4

16. लागू होना :– यह भाग थोक में खाद्यान्न के वहन को लागू होता है ।

17. खाद्यान्न का वहन :– (1) खाद्यान्न का वहन करने वाला प्रत्येक पोत खाद्यान्न संहिता की अपेक्षा का अनुपालन करेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा पोत तब तक खाद्यान्न का धारण नहीं करेगा, जब तक :

(क) पोत में खाद्यान्न संहिता द्वारा यथापेक्षित मुख्य सर्वेक्षक द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया प्राधिकार दस्तावेज न हो ।

(ख) ऐसे पोत का मास्टर, मुख्य सर्वेक्षक या लदान पत्तन पर मुख्य सर्वेक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि पोत खाद्यान्न संहिता की अपेक्षाओं का उसकी प्रस्तावित लदान दशा में अनुपालन करेगा ।

भाग 5

18. लागू होना : यह भाग–

(क) द्रवित गैसों, और

(ख) थोक खतरनाक या अपायकर द्रव पदार्थों को लागू होता है ।

19. खतरनाक द्रव रसायनों का थोक वहन :—(1) खतरनाक या अपायकर द्रव पदार्थों का :–

(क) 1 जुलाई, 1986 को या उसके पश्चात् सन्निर्मित रसायन टैंकरों के लिए आई बी सी संहिता

या

(ख) अन्य सभी रसायन टैंकरों के लिए बी सी एच संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार थोक वहन किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा रसायन टैंकर, उसके सन्निर्माण की तारीख को विचार में लाए बिना, जिसे खतरनाक या अपायकर द्रव पदार्थों के वहन के लिए संपरिवर्तित या अनुकूलित किया गया है, उस तारीख को, जब ऐसा संपरिवर्तन प्रारम्भ हुआ सन्निर्मित रसायन टैंकर माना जाएगा ।

(3) प्रत्येक रसायन टैंकर को, अधिनियम की धारा 299 क, धारा 300, धारा 301 और धारा 316 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त :–

(क) ऐसे रसायन टैंकर का आई बी सी संहिता में यथा-विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात् चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायनों के थोक वहन के लिए अंतरराष्ट्रीय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र या

(ख) ऐसे रसायन टैंकर का बी सी एच संहिता में यथा विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात् चौथी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायनों के थोक वहन के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी लघुतर अवधि के लिए, जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा ।

20. द्रवित गैसों का थोक वहन :—(1) खतरनाक या अपायकर द्रव पदार्थों का थोक में :

(क) 1 जुलाई, 1986 को या उसके पश्चात् सन्निर्मित रसायन टैंकरों के लिए आई जी सी संहिता,

या

(ख) अन्य सभी रसायन टैंकरों के लिए गैस संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार वहन किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा गैस वाहक, उसके सन्निर्माण की तारीख को विचार में लाए बिना, जिसे द्रवित गैस के वहन के लिए संपरिवर्तित या अनुकूलित किया गया है, उस तारीख को जिसको ऐसा संपरिवर्तन प्रारम्भ हुआ, सन्निर्मित गैस वाहक माना जाएगा ।

(3) प्रत्येक गैस वाहक को, अधिनियम की धारा 299क, धारा 300, धारा 301 और धारा 316 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त :

(क) ऐसे गैस वाहक को आई जी सी संहिता में यथाविनिर्दिष्ट सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात् छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट द्रवित गैसों के

थोक वहन के लिए अंतरराष्ट्रीय उपयुक्तता प्रमाणपत्र, या

(ख) ऐसे गैस वाहक का, गैस संहिता में यथा-विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात् सातवीं अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट द्रवित गैसों के थोक वहन के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र, जारी किया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी लघुत्तर अवधि के लिए जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा ।

भाग—6

प्रकीर्ण

21 (1) महानिदेशक द्वारा उस देश की सरकार को जिसको सुरक्षा कन्वेंशन लागू होता है इन नियमों में विनिर्दिष्ट योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे अनुरोध के अनुसरण में जारी और इस कथन वाले प्रमाण-पत्र का, कि इसे भारत सरकार की ओर इस प्रकार जारी किया जाता है, वही प्रभाव होगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का प्रभाव होगा ।

(2) महानिदेशक, उस देश की सरकार के अनुरोध पर, जिसको सुरक्षा कन्वेंशन लागू होती है उस देश में रजिस्ट्रीकृत पोत के बाबत जारी किया जाने वाला समुचित योग्यता प्रमाण पत्र जारी करवाएगा यदि यह समाधान है कि भारतीय पोत की दशा में ऐसा प्रमाणपत्र समुचित रूप से जारी किया जा सकता है और जहां ऐसे अनुरोध पर ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है उसमें ऐसा कथन होगा कि इसे इस प्रकार जारी किया गया है।

22(1) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी पोत में नियुक्त किए गए सर्वेक्षकों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय जिसे इसमें इसके पश्चात् सर्वेक्षक कहा गया है, निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए यह देखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि खतरनाक स्थोरा पर लेबल पैक, चिह्नांकन और लदाई इन नियमों के अनुसरण में की गई है ।

(2) यदि ऐसा सर्वेक्षक यह पाता है कि खतरनाक स्थोरा को लेबल, पैक चिह्नांकित या लदाई इन नियमों के अनुसरण में नहीं की गई है या खतरनाक स्थोरा ऐसी दशाओं से है कि पोत की सुरक्षा और बोर्ड पर व्यक्तियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वह कमियों को बताते हुए यह भी बताएगा कि उसके उपचार के लिए उसकी राय में क्या अपेक्षित है, एक नोटिस जारी करेगा ।

(3) ऐसी प्रत्येक नोटिस को उस पत्तन के सीमा-शुल्क कलक्टर की संसूचित किया जाएगा जिससे पोत को पत्तन निकासी अभिप्राप्त करना आशयित हो सकता है। ऐसा सीमा-शुल्क कलक्टर जिसे ऐसी संसूचना दी जाती है, ऐसे पोत को पत्तन निकासी प्रदान नहीं करेगा। पोत को तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसे सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र कि खतरनाक स्थोरा के लेबल और चिह्नांकित इन नियमों के अनुसरण में की गई है ।

23. शास्तियां :—किसी पोत का प्रत्येक स्वामी मास्टर या अभिकर्ता —

(क) जो खतरनाक माल का वहन करने के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उनके किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है जिनका अनुपालन करना उसका कर्तव्य है कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो पहले अपराध के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के दौरान, और जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(ख) जो इन नियमों के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो और जुर्माने से जो ऐसे पहली बार उल्लंघन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा।

पहली अनुसूची

[नियम 9(2) देखिए]

खतरनाक माल का वहन करने वाले पोतों के लिए विशेष अग्नि परित्राण अपेक्षाएं ।

1.0. निम्नलिखित अपेक्षाएं, वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधित्र) नियम, 1990 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अ.स. नियम कहा गया है) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त है ।

1.1. उससे संलग्न सारणी 1 और सारणी 2 निम्नलिखित प्रकार के पोतों को लागू होती है।

1. भाड़ा आधानों के वहन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से डिजाइन न किए गए पोत और स्थोरा स्थान किन्तु पैक रूप में खतरनाक माल का वहन करने के लिए जिसमें भाड़ा आधान वहनीय टैंक सम्मिलित हैं, आशयित हैं ; ।

2. भाड़ा आधानों और वहनीय टैंकों में खतरनाक मामले वहन के लिये आशयित इस प्रयोजनार्थ निर्मित आधान पोत स्थोरा स्थल।

3. आर. ओ./आर ओ पोत और आर ओ/आर ओ स्थोरा स्थल जो खतरनाक माल में वहन के लिये आशयित है।

4. ठोस खतरनाक माल का प्रपुंज में वहन के लिये आशयित पोत और स्थोरा स्थल।

5. पोत स्कंध बंध बजरों में, प्रपुंज में द्रव और गैसों से भिन्न खतरनाक माल के वहन के लिये आशयित पोत और स्थोरा स्थल

2.0. विशेष अपेक्षाएं: "डैक पर" और "डैक के नीचे" दोनों में खतरनाक माल के भरण के लिये निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुसरण किया जायेगा।

सारणी 1, 2 और 3 में ये अपेक्षाएं "उप पैरा संख्यांक द्वारा उपदर्शित की गई हैं। जहां कहीं सारणियों में "एक्स" प्रकट होता है। तो उप पैरा में सुसंगत रूप में लागू होना पोत की प्रकार के सामने इन नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट खतरनाक माल का वर्ग पैरा 1.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

1. जल प्रवाय

1.1 फायर मैन से जल प्रवाय की तुरन्त उपलभ्यता को सुनिश्चित करने के लिय या तो अपेक्षित दाब पर या स्थाई दाब पर अथवा फायर पम्प के लिये दूरस्थ चालू व्यवस्था समुचित रूप से लगाकर प्रबंध किया जायेगा। परिदत्त जल की मात्रा चार नोजल के साइज के दाब पर प्रवाय करने के लिये सक्षम होगा जैसा कि अ.श.सा. नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है जो स्थोरा स्थल के किसी भाग पर जब वह खाली हो, जांच करके सक्षम किया गया है। भरपूर जल की मात्रा द्वारा डैक स्थोरा स्थल के अधीन पटाभिहित प्रभावी रूप से शीतन युक्तियां किसी स्थिर व्यवस्था के नोजल फुहारन द्वारा या स्थोरा स्थल को जल के साथ बहा कर उपलब्ध कराई जायेंगी। छोटे स्थोरा स्थलों और विशाल स्थोरा स्थलों के लघु क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिय हौज उपयोग किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में निकासी और पम्पिंग व्यवस्था ऐसी होगी जिससे निर्बाध सतह के निर्माण को निर्धारित किया जा सके। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो जोड़े गये भाग और जल की निर्बाध सतह की स्थिरता पर हुए प्रतिकूल प्रभाव को उस सीमा तक हिसाब में लिया जायेगा जो अनुमोदित स्थिरता जानकारी में आवश्यक समझी गई है।

डैक स्थोरा स्थल समुचित रूप से विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती सहित इस रूप में पदाभिहित बहाव की व्यवस्था के स्थल पर पैरा 1.1.3 में की अपेक्षाओं को रखा जा सकता है।

ज्वलन के स्रोत —

विद्युत् उपस्कर और वायरिंग किसी घिरे हुए स्थोरा स्थलों, बंदयान डैक स्थलों, या खुले यान डैक स्थलों में तब तक नहीं लगाए जायेंगे जब तक कि मुख्य सर्वेक्षक की राय में प्रचालन प्रयोजनों के लिये ऐसा करना अनिवार्य न हो। तथापि यदि ऐसे स्थलों में विद्युत् उपस्कर लगा दिये जाते हैं तो यह एक प्रमाणिक सुरक्षा किस्म की पद्धति होगी जो ऐसे खतरनाक पर्यावरण में उपयोग के लिये हैं और जिससे इसमें खुला रखा जा सकेगा। जब तक कि विद्युत् प्रणाली को एकल रूप से पूरा करना संभव न हो। (फ्यूजों से भिन्न प्रणाली में लिंकों को हटाकर) डैकों और प्रपुंज शीर्षों के केबल प्रवेशनों को—या वाष्प के निकालने के स्थान को सील कर दिया जायेगा। केबलों और स्थोरा स्थल के भीतर के केबलों के अन्दर वाले भाग को उस पर पड़ने वाले प्रभाव से होने नुकसान से सुरक्षित रखा जायेगा। कोई ऐसे अन्य उपस्कर को जिसमें कोई ज्वलनशील वाष्प का ज्वलन स्रोत हो सकता है, अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

संसूचन प्रणाली—

सभी घिरे हुए स्थोरा स्थलों में जिसमें बंदयान डैक स्थल सम्मिलित है, एक अनुमोदित अग्नि संसूचन और अग्नि चेतावनी प्रणाली लगाई जाएगी। जहां ऐसे स्थोरा स्थलों से लिए गए वातावरण नमूनों के लिए संसूचन प्रणाली का उपयोग किया जाता है वहां स्थोरा रिसन, संदूषित वातावरण की दशा में उस स्थल में नमूना लेने की प्रणाली की मार्फत जिसमें संसूचन उपस्कर अवस्थित है, निवारित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। एक ऐसी सूचना जिसमें यह कथन होगा कि नमूनों को खुली हवा में विसर्जित किया जाएगा जब स्थोरा से विषैली लिपटे निकल रहीं हो, उपस्कर पर स्थाई रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

संवातन—

घिरे हुए स्थोरा स्थलों में पर्याप्त विद्युत संवातन की व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी जिससे किसी खाली स्थोरा स्थल पर आधारित स्थोरा स्थल के किसी ऊपरी या निचले भागों से जैसा उपयुक्त हो, वाष्प को हटाने के लिए एक घंटे में कम से कम छह बार वायु परिवर्तन की व्यवस्था हो। पंखे इस प्रकार लगे होंगे जिससे ज्वलन शील गैस के वायु मिश्रणों के ज्वलन की संभाव्यता का निराकरण किया जा सके। प्रवेश और निकासी संवातन मुहानों पर समुचित तार की जाली लगी होंगी।

बिल्ज पंपिंग—

जहां ज्वलन शील या विषैण द्रवों को घिरे हुए स्थोरा स्थलों में ले जाना आशयित हो वहां बिलज पंपिंग प्रणाली इस प्रकार डिजाइन की जाएगी जिससे ऐसे द्रवों को मशीनरी स्थल पाईपिंग पम्पों में से असावधानी पूर्वक पंपिंग के विरुद्ध सुनिश्चित किया जा सके। जहां ऐसे द्रवों की विशाल मात्रा का वहन किया जाता है वहां उन स्थोरा स्थलों की निकासी की अतिरिक्त युक्तियों की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। ये युक्तियां मुख्य सर्वेक्षक के समाधानप्रद रूप में होंगी।

कार्मिक सुरक्षा—

अग्नि शमन साधित्र नियमों की अपेक्षानुसार फायर मैन को दिए गए साज सामान के अतिरिक्त संलग्न रसायन से प्रतिरोधी पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र के चार सैट उपलब्ध कराए

जाएंगे। सुरक्षात्मक वस्त्र पूरी त्वचा को आच्छादित करेंगे जिससे कि शरीर का कोई भी अंग असुरक्षित न रह जाए।

अग्नि शमन माधित्र नियमों की अपेक्षानुसार दिए गए सामान के अतिरिक्त कम से कम दो स्वतः अंतर्विष्ट श्वसन साधित्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

वहनीय अग्निशामक—

कम से कम बारह किलोग्राम शुष्क चूर्ण या समतुल्य कुल क्षमता वहनीय अग्निशामक स्थोरा स्थल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये अग्नि शामक, अग्नि शमन साधित्र नियम के अधीन अपेक्षित किसी वहनीय अग्नि शामकों के अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएंगे।

मशीनरी स्थल सीमाओं का विद्युत रोधन

प्रवर्ग क के स्थोरा स्थलों और मशीनरी स्थलों के बीच सीमाएं निर्मित करने वाले प्रपुंज शीर्षों को "क–60" मानकों के अनुसार विद्युतरोधी किए जाएंगे जब तक कि ऐसे प्रपुंज शीर्षों से कम से कम तीन मीटर क्षैतिज रूप से दूर खतरनाक माल का भरण नहीं किया जाता है, ऐसे स्थलों के बीच अन्य सीमाओं को "क–60" मानक के अनुरूप विद्युतरोधी किया जाएगा।

जल फुहारन प्रणाली—

प्रत्येक खुला/रो स्थोरा स्थल में जिसमें ऊपर एक डैक हो और प्रत्येक स्थल को एक बंद आर ओ/आर ओ स्थोरा स्थल समझा जाएगा, जिसको शीत नहीं किया जा सकता है एक अनुमोदित स्थिर दाब जल फुहारन प्रणाली जो किसी डैक और यान प्लेट फार्म में सभी मार्गों को सुरक्षित रखेगा।

केवल उसके सिवाय कि मुख्य सर्वेक्षक की किसी अन्य स्थिर अग्नि शमन प्रणाली के उपयोग के लिए जिसको पूर्ण रूप से दर्शित किया गया हो और जो कम प्रभावी न हो, अनुज्ञात करे। निकासी और पंपिंग व्यवस्था किसी भी दशा में ऐसी होगी जो निर्बाध सतह के निर्माण को निवारित कर सके। यदि सम्भव न हो तो जोड़े गए भार और जल की निर्बाध सतह की स्थिरता पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को आवश्यक समझी गई सीमा तक ध्यान में रखा जाएगा।

दूसरी अनुसूची

[नियम 9(3), 14 (6) देखिए]

खतरनाक माल के वहन के लिए अनुपालन– प्रमाण पत्र

(समुद्र में प्राण सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1974 के 1981 के संशोधन के अध्याय 11-2 के विनियमन 54 के पैरा 3 उपबंधों के अनुसरण में जारी किया गया)

पोत का नाम	सुभिन्न संख्या या अक्षर	रजिस्ट्री पत्तन	कुल टन-भार

यह प्रमाणित किया जाना है

1. कि ऊपर उल्लिखित पोत का सन्निर्माण और उपस्कर, समुद्र में प्राण-सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन 1974 के 1981 के संशोधन के अध्याय 11–2 के विनियम 54 के उपबंधों के अनुसरण में पाए गए है।

2. कि पृष्ठ 2 पर यथा विनिर्दिष्ट खतरनाक माल के वहन के लिए पोत उपयुक्त है।

3. खतरनाक ठोस प्रपुंज स्थोरा के बाबत, स्थोरा सूची में ठोस प्रपुंज स्थोरा के लिए सुरक्षित व्यवहार के संहिता में वर्ग एम.एच.बी. के रूप पदार्थ हो, स्थोरा भी सम्मिलित है जिसके लिए जलयान उपयुक्त है।

यह प्रमाण पत्र—————————————तक वैविधिमान्य है

(प्रमाण पत्र जारी होने का स्थान)

(जारी होने की तारीख) 19

प्रधान अधिकारी

वाणिज्यिक समुद्री विभाग

तीसरी अनुसूची

[नियम 10 (3) देखिए]

खतरनाक माल की घोषणा

यह प्ररूप एस.ओ.एल.ए.एस. 74 अध्याय VII विनियम 4 एम.ए.आर. पो.ओ.एल. उपाबंध III विनियम 4 और आई.एम. डी.जी. साधारण अनुदेश धारा 9 की अपेक्षानुसार है ।

माल भेजने वाला	1	संदर्भ संख्या (संख्याएं)	2
परेषिती	3	वाहक	4
आधान पैकिंग प्रमाणपत्र/यान घोषणा	6	हस्ताक्षरी का नाम/प्रास्थिति कंपनी/संगठन	
घोषणा : यह घोषणा की जाती है कि आधान/यान की पैकिंग आई.एम.डी.जी. संहिता के साधारण अनुदेश पैरा 12, 3, 7 या 17.7.7 के अनुसरण में की गई हैं आधानों या यानों में लदाई के लिए पूरा किया जाना है।		पैकर की ओर से हस्ताक्षर	
पोत का नाम और वायज	लदाई पत्तन	पाठ, अनुदेश या अन्य मामलों के लिए आरक्षित	
उतराई पत्तन	8	कुल भार (कि.ग्रा.) शुद्ध परिणाम पत्र 5	— के रूप में माल का परिवर्त करना।
पहचान का चिन्ह और एकक की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		पैकजों की संख्या और प्रकार समुचित लदाई नाम/ सही तकनीकी नाम, आई.एस.ओ. परिसंकटमय वर्ग/प्रभाग, यू.एन.सं. पैकिंग समूह,	
यू.न. संख्यांक पैकिंग समूह, प्रज्वलक तापांक (डिग्री सेंटीग्रेड में) नियंत्रण और आपात तापमान, माल की पहचान प्रदूषक समुद्री के रूप में, ई.एम.एस. संख्या और एम.एफ.ए.जी. सारणी संख्यांक केवल स्वामित्व/व्यापार के नाम पर्याप्त नहीं है यदि लागू होता है : (1) "अपशिष्ट" शब्द नाम के बाद में आना चाहिए।		विफरित प्रपुंज स्थोरा उपयोग हुआ स्थोरा प्रपुंज पैकेज एकक की प्रकार (आधान, ट्रेलर, टंकी यान आदि खुला या बन्द। समुचित बाक्स में * लिख दें) ।	
(2) खाली अदावाकृत या अंत में अन्तर्दिष्ट अवशिष्ट जोड़े जाने चाहिए।		(इस स्तंभ को शीर्षक से अलग रखा जा सकता है उस दशा में समुचित वर्णन लिखें।	
(3) "परिसीमित मात्रा" तब जोड़ी जानी चाहिए जब आई एम डी जी संहिता के साधारण अनुदेश का पैरा 9.3 में ऐसी अपेक्षा की जाती है ।			
अतिरिक्त संसूचना— कतिपय परिस्थितियों में विशेष सूचना/प्रमाण पत्र अपेक्षित है। आई.एम.डी.जी. संहिता साधारण————————अनुदेय पैरा 9.7.1./9.7.2 देखिए			

घोषणा :—

मैं घोषणा करता हूं कि इस परेषण की अंतर्वस्तु का ऊपर यही तकनीकी नाम (नामों) समुचित लदापोत परिवहन का नाम (नामों) द्वारा पूर्णतया और सही रूप में वर्णन किया गया है और इसके वर्गीकृत पैकेज चिन्ह लेबल/पलेकार्ड वर्गीकृत है और यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरकारी विनियमों के अनुसार परिवहन के लिए हर प्रकार से सही दशा में है।

हस्ताक्षरकर्ता का नाम/प्रास्थिति कंपनी/संगठन

स्थान और तारीख

माल भेजने वाले के हस्ताक्षर

चौथी अनुसूची

[नियम 19 (3) (क) देखिए]

खतरनाक रसायनों को प्रपुंज में वहन के लिए अंतरराष्ट्रीय उपयुक्तता प्रमाणपत्र

खतरनाक रसायनों का प्रपुंज वहन करने के लिए पोतों के सन्निर्माण और उपस्कर के लिए अंतरराष्ट्रीय संहिता के उपबंधों में अधीन [संकल्प एम.एस.सी. 4 (48) और एम.ई.पी.पी.; 19(22)]

भारत सरकार के प्राधिकार में अधीन प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा जारी किया गया।

पोत का नाम	सुभिन्न संख्या और अक्षर	रजिस्ट्री का पत्तन	कुल टन भार	पोत प्रकार संहिता संहिता 1.2(2)

वह तारीख जिसको कील रखी गई या जिस को पोत सन्निर्माण के उसी प्रक्रम पर था या: (संपरिवर्तित पोत के मामले में) वह तारीख जिस को रसायन टैंकर में उसका संपरिवर्तन आरंभ हुआ था।

पांचवी अनुसूची

[नियम 19(3) (ख) देखिए]

खतरनाक रसायनों का प्रपुंज के वहन करने के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र

खतरनाक रसायनों का प्रपुंज में वहन करने के लिए पोतों के सनिर्माण और उपस्कर के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय परामर्शी संगठन के अनुसरण में

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन (देश का पूरा शासकीय पदनाम) प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा जारी किया गया।

पोत का नाम	सुभिन्न संख्यांक या अक्षर	रजिस्ट्री पत्तन	सकल टन भार	पोत प्रकार (कोड पैरा 2.2.4).1

वह तारीख जिसको नौतल रखा गया था या किसी संपरिवर्तित पोत की दशा में, वह तारीख जिसको पोत का रसायन टैंकर में संपरिवर्तन प्रारंभ हुआ।

5. यह प्रमाणपत्र, तारीख ——19—— तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाता ।

————पर ————19————को जारी किया गया ।

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

अधोहस्ताक्षरी यह घोषणा करता है कि वह इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए उक्त सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।

प्रधान अधिकारी
वाणिज्यिक समुद्री विभाग

प्रमाणपत्र के पूरा करने पर टिप्पण:—

1. "पोत प्रकार" : इस स्तंभ के अधीन कोई प्रविष्टि सभी सुसंगत सिफारिशों से संबंधित होनी चाहिए, उदाहरणार्थ" "प्रकार II" प्रविष्टि से संहिता द्वारा विहित सभी प्रकार के प्रकार II अभिप्रेत होने चाहिए । यह स्तंभ प्राय: किसी विद्यमान पोत की दशा में लागू नहीं होगा और ऐसे किसी मामले में "पैरा 2(ख) देखिए" टिप्पण लिखा जाए ।

2. पैरा 2(ii) (ख) : इस पैरा की सिफारिशों के संबंध में पोत की प्रास्थिति के अनुसार 1.7.3(क), (ख), (ग), (घ), अंत: स्थापित करें ।

3. पैरा 3 : संहिता के अध्याय IV में सूचीबद्ध उत्पाद या जिसका संहिता के पैरा 1.8 की अपेक्षानुसार प्रशासन द्वारा मूल्यांकन किया गया है, को ही सूचीबद्ध किया जाए । बाद वाले "नए" उत्पादों की बाबत अनंतिम रूप से विहित की गई किन्हीं विशेष अपेक्षाओं पर टिप्पण किया जाए ।

नियत कालिक सर्वेक्षण

यह प्रमाणित किया जाता है कि संहिता के पैरा 1.6 की अपेक्षानुसार नियत कालिक निरीक्षण करने पर यह पोत संहिता के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता पाया गया था ।

(क) सुरक्षा उपस्कर उपबंधों से संबंधित निरीक्षण स्थान————तारीख ————जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और/या मुद्रा स्थान————तारीख————जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और/या मुद्रा स्थान————तारीख ————जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और/या मुद्रा स्थान————तारीख ————जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और/या मुद्रा, स्थान———— तारीख————जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और/या मुद्रा

(ख) सनिर्माण उपबंधों में संबंधित निरीक्षण

स्थान————तारीख ————जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और/या मुद्रा

छठी अनुसूची

[नियम 20(3) (क) देखिए]

द्रवित गैसों का प्रपुंज के वहन के लिए अन्तरराष्ट्रीय उपयुक्तता प्रमाणपत्र

(शासकीय मुद्रा)

द्रवित गैसों को प्रपुंज में ले जाने के लिए पोतों के सनिर्माण और उपस्कर के लिए अन्तरराष्ट्रीय संहिता के उपबंधों के अधीन

[संकल्प एम. ए. सी. 5(48) और एम. ई. पी. सी. 19(22)]

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन

प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मुम्बई द्वारा जारी किया गया।

पोतों का नाम	सुविज्ञ पोत संख्यांक या अक्षर	रजिस्ट्री पत्तन	स्थोरा क्षमता (एम 3)	पोत प्रकार (संहिता की धारा 2.1)

वह तारीख जिसको नौतल रखा गया था या जिस पर पोत का सनिर्माण किसी सम रूप प्रक्रम पर था या (किसी संपरिवर्तित पोत की दशा में) वह तारीख जिसको पोत का गैस वाहक में संपरिवर्तन प्रारम्भ हुआ था ।

यह पोत संहिता के निम्नलिखित संशोधनों का पूर्णतः अनुपालन करता है ।

इस पोत को संहिता के निम्नलिखित उपबंधों के अनुपालन से छूट दी गई है ।

यह प्रमाणित किया जाता है :

1. 1. कि पोत का संहिता की धारा 1.5 के उपबंधों के अनुसार सर्वेक्षण किया गया है ।

   2. कि सर्वेक्षण दर्शित करता है कि पोत की संरचना, उपस्कर, फिटिंगें, व्यवस्था और सामग्री तथा उसकी शर्तें सभी प्रकार से समाधान प्रद हैं और कि पोत संहिता के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है ।

2. कि निम्नलिखित डिजाइन मानदंड का प्रयोग किया है

   1. परिवेश तापमान 0 सी [2]

   2. परिवेश जल तापमान 0 सी [2]/

संलग्नक

सर्वेक्षण

यह प्रमाणित किया जाता है कि संहिता की धारा 1.6 की अपेक्षानुसार सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि यह पोत संहिता के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता था ।

मध्यवर्ती सर्वेक्षण

स्थान———— तारीख————

जारी करने वाले प्राधिकारी
के हस्ताक्षर और मुद्रा

स्थान———— तारीख————

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

स्थान———— तारीख————

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

स्थान———— तारीख————

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

द्रवित गैसों को प्रपुंज में ले जाने के लिए विद्यमान पोतों के लिए संहिता के पैरा 1.2.3 के अनुसार पृष्ठांकन

संलग्नक

यह प्रमाणित किया जाता है

1. कि ऊपर वर्णित पोत

   (i) ऐसा पोत है जैसा संहिता के 1.2.2 में परिभाषित है,

   (ii) ऐसा पोत है जैसा संहिता के 1.2.3 में परिभाषित है

2. (i) कि पोत का संहिता की धारा 1.6 के उपबंधों के अनुसार सर्वेक्षण पर लिया गया है,

   (ii) कि सर्वेक्षण से यह दर्शित होता है कि पोत की संरचना, उपस्कर, फिटिंगें, व्यवस्था और सामग्री तथा उसकी शर्तें

सभी प्रकार से समाधान प्रद है और कि पोत संहिता के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है।

3. निम्नलिखित डिजाइन मानदंड का प्रयोग किया है

(क) परिवेश वायु तापमान .....°सी.[2]

(ख) परिवेश जल तापमान .....सी[2]

(ग)

टैंक प्रकार और संख्यांक	मौसमजन्य कारण 3/				सामग्री 3/	एमएआर बीएस
	क	ख	ग	घ		
स्थोरा पाइपिंग						

विशेष टिप्पणी:— इस सूची में निर्दिष्ट टैंक संख्यांकों की पहचान उपाबद्ध, हस्ताक्षरित और तारीख वाले टैंक प्लान सं. 2 क पर की जाती है।

(घ) स्थोरा टैंक सामग्री की यांत्रिक संपरितयां .....°सी. 4 पर अवधारित की गई थी।[4]

4. कि पोत निम्नलिखित उत्पादों को प्रपुंज में वहन करने के लिए उपयुक्त है, परन्तु वह संहिता के सभी सुसंगत परिवर्तित उपबंधों का पालन करता है।[5]

उत्पाद		वहन की शर्तें (टैंक संख्यांक, न्यूनतम तापमान, अधिकतम दबाव, अधिकतम सघनता टैंक की लदाई की शर्तें।

विशेष टिप्पणी:—उपाबद्ध ,हस्ताक्षरित और तारीख वाले सीट (तें) संख्यांक 1क पर जारी हैं।

विशेष टिप्पणी:—इस सूची में निर्दिष्ट टैंक संख्यकों की पहचान, उपाबद्ध, हस्ताक्षरित और तारीख वाले अंतिम प्लान संख्याक 2क पर की जाती है।

---

*समुचित रूप से लोप कर दें।

संलग्नक

5. कि धारा 1.5/2.7 के अनुसार पोत की बाबत संहिता के उपबंधों को निम्नलिखित रीति से उपांतरित किया है।

यह प्रमाणपत्र .....19 तक विधिमान्य है।

.....पर .....19 .....को जारी किया गया

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

अधोहस्ताक्षरी यह घोषण करता है कि वह उनके प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए उक्त सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है।

प्रमाणपत्र जारी करने वाले पदधारी के
हस्ताक्षर और/या जारी करने वाले
प्राधिकारी की मुद्रा)

(यथा समुचित जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प)

प्रमाणपत्र के समापन पर टिप्पण:—

1 "पोत प्रकार" : इस स्तंभ के अधीन कोई प्रविष्टि सभी सुसंगत सिफारिशों से संबंधित होनी चाहिए उदाहरणार्थ "प्रकार II छ" "प्रविष्टि से संहिता द्वारा विहित सभी प्रकार के प्रकार IIछ अभिप्रेत होने चाहिए।

2. पैरा 3 (ख) और (3) ख : संहिता के 4,5.1 के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा स्वीकृत या अपेक्षित परिवेश तापमान अंत:स्थापित किया जाए ।

3. पैरा 3 (ग) : संहिता के 4,5.1 (थ) (i) और 4.5.1 (ड़) के प्रयोजन के लिए प्रशासन द्वारा स्वीकृत या अपेक्षित मौसमजन्य कारण और सामग्री अंत:स्थापित की जाए।

4. पैरा 3 (घ) : संहिता के 4.5.1 (च) के प्रयोजन के लिए प्रशासन द्वारा स्वीकृत कक्ष तापमान या अन्य तापमान अंत:स्थापित किया जाए।

5. पैरा 4 : संहिता के अध्याय XIX—; —में सूचीबद्ध केवल वे उत्पाद या जिसका संहिता के पैरा 1.7.2 की अपेक्षानुसार प्रशासन द्वारा मूल्यांकन किया गया है, को ही सूचीबद्ध किया जाए/बाद वाले "नए" उत्पादों की बाबत अंतिम रूप से विहित की गई किन्हीं विशेष अपेक्षाओं पर टिप्पण किया जाए।

---

*समुचित रूप से लोप कर दें।

सातवीं अनुसूची

[नियम 20(3)(ख) देखिए]

द्रवित गैसों का प्रपुंज में वहन के लिए ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र

(शासकीय मुद्रा)

द्रवित गैसों को प्रपुंज में ले जाने के लिए पोतों में संनिर्माण और उपस्कर के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुद्री सलाहकार संगठन संहिता और अन्तरराष्ट्रीय समुद्री सलाहकार संगठन संकल्प ए 329()()के अनुसरण में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन भारत गणराज्य .....

(देश का पूर्ण शासकीय पदनाम)

प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा जारी किया गया ।

पोत का नाम	सुमिश संख्यक या अक्षर	रजिस्ट्री पत्तन	स्थोरा क्षमता (एम 3)	पोत प्रकार (संहिता की धारा 2.5)

निर्माण या मुख्य संपरिवर्तन संविदा की तारीख .....

वह तारीख, जिसको नौतल रखा गया था या पोत संनिर्माण की वैसी ही अवस्था में था या जिसको मुख्य संपरिवर्तन प्राप्त हुआ था .....

प्रमाणपत्र, जारी करने वाले देश की राजभाषा में तैयार किया जाना चाहिए । यदि प्रयोग की गई भाषा न तो अंग्रेजी है और न फ्रेंच है तो पाठ में इन भाषाओं में से एक भाषा के तीन अनुवाद होने चाहिए।

द्रवित गैस का प्रपुंज में वहन करने के लिए ठीक हालत में होने का अन्तरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र का संलग्नक 1 । धारा 3 में विनिर्दिष्ट वे उत्पाद और उनके वहन की शर्तों की विवरण सूचित ।

उत्पाद		वहन की शर्तें (टैंक संख्यांक आदि)	

तारीख .....

(प्रमाणपत्र के लिए)

प्रधान अधिकारी
वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मुम्बई

टैंक प्रकार और संख्यांक	मौसमज्य कारण 3				सामग्री 3	एम ए आर वी एल
क	ख	ग	घ			
स्थोरा पाइपिंग						

विशेष टिप्पणी : इस सूची में निर्दिष्ट टैंक संख्याकों की पहचान संलग्नक 2, हस्ताक्षरित और तारीखवाले टैंक प्लान पर की जाती है ।

4. स्थोरा टैंक सामग्री की यांत्रिक सम्पत्तियां .....°सी [4] पर अवधारित की गई थी ।

5. कि पोत निम्नलिखित उत्पादों को प्रपुंज में सहन करने के लिए उपयुक्त है, परन्तु वह संहिता के परिचालित उपबंधों का पालन करता है ।[5]

उत्पाद	वहन की शर्तें (टैंक संख्यक आदि)	

संलग्न 1, हस्ताक्षरित और तारीख वाले अतिरिक्त पन्नों पर जारी ।

इस सूची में निर्दिष्ट टैंक संख्याओं की पहचान संलग्नक 2, हस्ताक्षरित और तारीख वाले टैंक प्लान पर की जाती है।

4. कि धारा 1.4/2.8.2* के अनुसार पोत की बाबत संहिता के उपबंधों को निम्नलिखित रीति से उपांतरित किया है।

कि पोत की लदाई,—

*1. लदाई शर्तों के अनुसार अनुमोदित लदाई मैनुअल में उपबंधित, स्टाम्पित और तारीख ..... तथा प्रशासन के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संगठन द्वारा ;

*2. इस प्रमाणपत्र से संलग्न लदाई की सीमाओं के अनुसार,

होनी चाहिए।

---

*समुचित रूप से लोप कर दें।

यह प्रमाणपत्र ..... 19 ..... तक विधिमान्य है।

..... पर ..... को जारी किया गया।

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

..... 19

जारी करने की तारीख

.....

प्रधान अधिकारी

वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मुम्बई

(समुचित रूप से जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रा या स्टांप)

प्रमाणपत्र के पूरा करने पर टिप्पण —

(1) "पोत प्रकार : इस स्तम्भ के अधीन कोई प्रविष्टि सभी सुसंगत सिफारिशों से संबंधित होनी चाहिए उदाहरणार्थ "प्रकार 2क" प्रविष्टि से संहिता द्वारा विहित सभी प्रकार के, प्रकार 2क, अभिप्रेत होने चाहिए।

(2) पैरा पै2.1 और 2.2 : संहिता के 1.8.1 के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा स्वीकृत या अपेक्षित परिवेश तापमान अंत:स्थापित किया जाए।

(3) पैरा 2.3.1 : संहिता के 4.5.1.4 और 4.5.1.6 के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा स्वीकृत या अपेक्षित मौसम जन्य कारण और सामग्री अंत : स्थापित की जाए।

(4) पैरा 2.4 : संहिता 4.5.1.7 के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा स्वीकृत तापमान अंत : स्थापित किया जाए।

(5) पैरा 3: संहिता के अध्याय 19 में सूचीबद्ध केवल वे उत्पाद या जिसका संहिता के पैरा 1.1.6 की अपेक्षानुसार प्रशासन द्वारा मूल्यांकन किया गया है को ही सूचीबद्ध किया जाए। बाद वाले "नए" उत्पादों की बाबत अंनतिम रूप से विहित की गई किन्हीं विशेष अपेक्षाओं पर टिप्पण किया जाए।

आज्ञापक वार्षिक सर्वेक्षण के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि द्रवित गैस को प्रपुंज में ले जाने के लिए पोतों के संनिर्माण और उपस्कर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के पैरा 1.5.2.1.4 की अपेक्षानुसार आज्ञापक कालिक सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि यह सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता था।

हस्ताक्षरित .....

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

(समुचित प्राधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प)
हस्ताक्षरित .....
तारीख .....
(समुचित प्राधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प)
हस्ताक्षरित.....
(प्राधिकृत अधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प)
स्थान .....
तारीख .....
(समुचित, प्राधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प)
हस्ताक्षरित .....
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान .....
तारीख .....
(समुचित प्राधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प)

टिप्पण :— यह मध्यवर्ती सर्वेक्षण आज्ञापक वार्षिक सर्वेक्षण का स्थान लेगा जहां कि 1.5.2.1.3 और 1.5.2.1.4 के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

.....को शोध्य वार्षिक सर्वेक्षण +3 मास
.....को शोध्य मध्यवर्ती सर्वेक्षण +6 मास

मध्यवर्ती सर्वेक्षण के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि द्रवित गैस को प्रपुंज में ले जाने वाले पोतों के संनिर्माण और उपस्कर के लिए अन्तर-राष्ट्रीय संहिता के 1.5.2.1.3 की अपेक्षानुसार मध्यवर्ती सर्वेक्षण करने पर पोत को संहिता के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता पाया गया था।

हस्ताक्षरित .....
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान .....
तारीख .....
(समुचित प्राधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प)

.....को शोध्य वार्षिक सर्वेक्षण +3 मास
.....को शोध्य मध्यवर्ती सर्वेक्षण +6 मास।

[फा. सं. एस. आर. 11013/7/93 एम ए]
ओ. पी. महे, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

(Merchant Shipping)

New Delhi, the 16th January, 1995

G.S.R. 43.—The following draft Merchant Shipping (Carriage of Cargo) Rules, 1995 which Central Government propose to make, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) & (2) of Sections 330, 331 and sub-section (5) of section 332 read with section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of Merchant Shipping (Carriage of Dangerous Cargo) Rules, 1978, Merchant Shipping (Dock Cargo including Timber Cargo) Rules, 1980 and Merchant Shipping (Carriage of Grains) Rules, 1991, as amended from time to time, is hereby published as required under sections 330 and 332 of the Merchant Shipping Act of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

Any objection or suggestin which may be received from any person with respect to the said draft rules before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

REVISED DRAFT RULES

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called Merchant Shipping (Carriage of Cargoes) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to :—

(a) every Indian ship carrying or about to carry cargoes specified in these rules anywhere ; and

(b) every ship other than Indian ship carrying or about to carry cargoes specified in these rules in port or places in India :

Provided that where such cargoes are to be carried on Indian ships of less than 500 tons gross tonnage the Director General may permit other effective measures to ensure safety of the ship taking into account the nature and conditions of the voyage.

(4) These rules shall not apply to carriage of ship's stores and equipment.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "administration" as mentioned in the various International Maritime Organisation codes means the Directorate General of Shipping ;

(c) "BC Code" means the code of safe practice for solid bulk cargoes adopted by the International Maritime Organisation as amended from time to time ;

(d) "BCH code" means the Code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk for ships built before 1st July, 1986 by the International Maritime Organisation as amended from time to time.

(e) "cargo units" means a vehicle, container, flat pallet, portable tank, packaged unit, or any other equity and loading equipment or part thereof which may belong to the ship but is not fixed to the ship ;

(f) "cargo stowage code" means the Code of safe practice for cargo stowage and securing adopted by the International Maritime Organization as amended from time to time ;

(g) "chemical tanker" means a cargo ship constructed or adopted and used for the carriage of dangerous liquid chemicals in bulk listed in IBC/BCH code ;

(h) "Chief Surveyor" means the Chief Surveyor with the Government of India or the Deputy Chief Surveyor of the Deputy Chief Surveyor in the Directorate General of Shipping ;

(i) "container" means an article of transport equipment ;

(a) of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use ;

(b) specially designed to facilitate the transport of goods, by one or more modes of transport, without intermediate reloading ;

(c) designed to be secured and/or readily handled, having corner fittings for these purposes ;

(d) of such size that the area enclosed by the four outer bottom corners is either :

(i) at least 14 square metre (150 square feet) ; or

(ii) at least 7 square metre (75 square feet) if it is fitted with top corner fittings ;

(e) complying with the requirements of the International Convention for safe containers. The term "container" includes, neither vehicles nor packaging ; however, containers when carried on chassis are included ;

(j) "dangerous cargoes" include dangerous goods in packaged form, explosives as defined in the Explosive Act, 1884 and the IMDG code, noxious or dangerous chemicals liquid in bulk, solid bulk cargoes, liquefied gas, harmful substances identified as marine pollutants in the IMDG code. Deck cargoes including timber cargo and other such cargoes, which by reasons of their nature, quantity or mode of stowage are either singly or collectively liable to endanger the life or health of persons on or near the ship or liable to imperil the safety of the ship ;

(k) "dangerous goods" means dangerous cargoes carried in packaged form or solid form in bulk and includes harmful substances identified as marine pollutants in the IMDG code ;

(l) "documents" in the context of these rules includes information submitted through electronic data processing (EDP) and electronic data interchange (EDI) transmission techniques as an aid to paper documentation ;

(m) "gas carrier" means a cargo ship constructed or adapted and used for the carriage on blk of any liquefied gas or other product listed in the IGC/GAS code ;

(n) "gas code" means the Code for construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk applicable to ships construrted on or after 31st December, 1976 but prior to 1st July, 1986 adopted by the International Maritime Organisation as amended from time to time ;

(o) "grain" includes wheat, maize (corn) oats, rye, barley, rice, pulses, seed and processed from thereof whose behaviour is similar to that of grain in its natural state ;

(p) "grain code" means the international code for the safe carriage of grain in bulk adopted by the International Maritime Organisation as amended from time to time ;

(q) "IBC Code" means the International Code for constructions and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk applicable to ships constructed on or after 1st July, 1986 adopted by the International Maritime Organisations as amended from time to time ;

(r) "IGC code" means the international code for constructions and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk applicable to ships constructed on or after 1st July, 1986 adopted by the International Maritime Organisation as amended from time to time ;

(s) "IMDG code" means the International Maritime dangerous goods Code adopted the International Maritime Organization as amended from time to time ;

(t) "liquified gases" means gases having a vapour pressure exceeding 2.8 bar absolute at a temperature of 37.8 degree C and includes other product prescribed in the IGC code.

(u) "MARPOL Convention" means the International Convention for prevention of pollution from ships in force including its protocol adopted by the International Maritime Organisation and as amended from time to time ;

(v) "Nautical Advisor" means the Nautical Advisor to the Government of India or the Deputy Nautical Advisor in the Directorate General of Shipping;

(w) "Schedule" means schedules to these rules ;

(x) "SOLAS Convention" means the International Convention for Safety of Life at Sea in force including its protocols adopted by the International Maritime Organisation and as amended from time to time.

(y) "timber code" means the code for safe practice for ships carrying timber deck cargo adopted by the International Maritime Organisation as amended from time to time ;

(z) "timber deck cargo" means the deck cargo consisting of timber;

(za) "U.N. number" means a serial number assigned to a dangerous substances in the IMDG code.

PART II

3. General.—(1) Every ship, when carrying dangerous cargo in bulk which is liable to emit a toxic or flammable gas or cause oxygen depletion in the cargo space, shall be provided with an appropriate instrument for measuring the concentration of gas or oxygen in the air or in such spaces. Detailed instruction for use shall be provided with every such instrument and the crew on every such ship shall be trained in the use of such instrument within two weeks of their joining such ship for the first time.

(2) Every Master when using pesticides for fumigation of the cargo or accommodation spaces shall take appropriate precautions to ensure safety of ship's crew and those engaged in fumigation.

(3) Every ship loading dangerous cargoes under these rules shall be provided with comprehensive information on the ship's stability and the distribution of cargo in various standard loading conditions. Information as provided under Merchant Shipping (Loading) Rules, 1979 shall be considered adequate.

4. Cargo information.—(i) The shipper shall provide the master or his representative with appropriate information on the cargo sufficiently in advance of loading to enable the precautions which may be necessary for proper stowage and safe carriage of the cargo to be put in to effect. Such information shall be confirmed in writing and by appropriate shipping documents prior to loading the cago on the ship.

(2) The Corgo information shall include :

(a) in the case of general cargo, and of cargo carried in cargo units, a general description of the cargo, the gross mass of the cargo or of the cargo units, and any relevant special properties of the cargo ;

(b) in the case of a bulk cargo, information on the stowage factor of the cargo, the trimming procedures and, in the case of a concentrate or other cargo which may liquefy, additional information in the form of a certificate on the moisture content of the cargo and its transportable moisture limit;

(c) in the case of a bulk cargo not classified in accordance with the provisions sub-rule (i) of rule 10 but which has chemical properties that may create a potential hazard, in addition to the information required by this rule, information on its chemical properties.

(3) Prior to loading cargo units on board ships, the Shipper shall ensure that the gross mass of such units is in accordance with gross mass declared on the shipping documents.

5. International Maritime Organisation codes—Every ship shall be provided with the appropriate codes referred to in these rules and adopted by the International Maritime Organization relating to specific cargoes intended to be carried on board.

6. Stowage and securing—When stowing and securing any cargo on board ship the Master shall comply with the provisions specified in cargo stowage code and in particular ensure that :

(1) Cargo and cargo units carried on or under deck are so loaded, stowed and secured as to prevent as far as practicable, throughout the voyage, damage or hazard to the ship and the persons on board, and loss of cargo overboard.

(2) Cargo carried in a cargo unit is so packed and secured within the unit as to prevent, throughout the voyage, damage or hazard to the ship and the persons on board.

(3) Appropriate precautions are taken during loading and transport of heavy cargoes or cargoes with abnormal physical dimensions to ensure that no structural damage to the ship occurs and to maintain adequate stability throughout the voyage.

(4) Appropriate precautions are taken during loading and transport of cargo units on board ro-ro ships, especially with regard to the securing arrangements on board such ships and on the cargo units and with regard to the strength of the securing points and lashings.

(5) Containers are not loaded to more than the maximum gross weight indicated on the Safety Approval Plate fixed thereon under the International Convention for Safe Containers (CSC).

(6) A ship carrying cargo units and other entities covered in the cargo stowage code shall carry a cargo securing manual duly prescribed and approved by the Nautical Adviser.

7. Reporting of incidents involving dangerous cargoes—(1) When an incident taken place involving the loss on likely loss overboard of dangerous cargo including packaged dangerous goods, dangerous cargo in bulk. The Master, or other person having charge of the ship, shall report the particulars of such an incident without delay and to the fullest extent possible to the nearest coastal State. The report shall be based on the "General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants" approved by the International Mariflme Organisation.

(2) In the event of the ship referred to in sub-rule (1) being abandoned, on in the event of a report from such a ship being incomplete or unobtainable the owner, charterer, manager or operator of the ship, or their agents shall, to the fullest extent possible, assume the obligations placed upon the master by this rule.

(3) Every such ship when carrying dangerous cargo shall carry special emergency equipment including protective clothing as specified in the Schedule to IMDG code (Em Schedule) in compliance with emergency procedures for ship carrying dangerous goods. Such protective clothing and equipment shall be kept in readiness as long as such cargo is carried on board or is being loaded or discharged. aster of every such ship shall ensure that the crew is familiar with the use of such equipment.

(4) In every accident involving dangerous goods Master shall be guided by the International medical guide for ship adopted by International Maritime Organisation, the medical first and guide for use in accidents involving dangerous goods annexed to IMDG code and the list of medicines specified in Merchant Shipping (Carriage of Medicines) rules.

PART III

8. Application—This part applies to carriage of

(i) dangerous goods in packaged form

(ii) solid bulk cargoes, and

(iii) deck cargoes including timber deck cargo.

9. Dangerous goods in packaged form—(1) Unless expressly provided otherwise, every ship carrying dangerous goods in packaged form as classified in sub-rule (1) of rule 10 shall comply with the requirements of the IMDG code.

(2) Every such ship constructed after 1st July, 1986 shall in addition, comply with the requirements of the first Schedule and on such compliance shall be issued with a document of compliance by the Principal Officer as prescribed in the Second Schedule.

(3) Such certificate of compliance shall be in force for a period of 5 years from the date of issue or such short period as specified in the certificate.

10. Classification, identification and documentation—(1) For the purpose of these rules dangerous goods shall be classed as follows :

Class 1—Explosives

Class 2—Gases : compressed, liquefied or dissolved under pressure

Class 3—Flammable/liquids

Class 4—Flammable/solids

Class 4.2—Substances liable to spontaneous combustion

Class 4.3—Substances which, in contact with water emit flammable gases.

Class 5.1—Oxidizing substances.

Class 5.2—Organic Peroxides

Class 6.1—Poisonous (toxic) substances

Class 6.2—Infectious substances

Class 7—Radioactive materials

Class 8—Corrosives

Class 9—*Miscellaneous dangerous substance, that is any* other substance which experience has shown, or may show, to be of such a dangerous character that the provisions of this part shall apply to it.

(2) In all documents relating to the carriage of dangerous goods by sea where the goods are named, the correct technical name of the goods and the U.N. number allotted to it in the IMDG code shall be used (trade names alone shall not be used) and the correct description given in accordance with the classification set out in sub-rule (1) in case of harmfull substances identified as marine pollutant the document shall further identify the substance by the addition of words "marine pollutant".

(3) The shipping documents prepared by the shipper shall include, or be accompanied by, a signed declaration on a form specified in the Third Schedule, indicating that the shipment offered for carriage is properly packaged and marked, labelled or placarded, as appropriate, and in proper condition for carriage, and where applicable, to minimize the hazard to the marine environment.

(4) The persons responsible for the packing of dangerous goods in a freight container or road vehicle shall provide a signed container packing declaration or vehicle packing declaration stating that the cargo in the unit has been properly packed and secured and that all applicable transport requirements have been met. Such a certificate or declaration may be combined with the document referred to in sub-rule (3) of this rule.

(5) Where there is due cause to suspect that is freight container or road vehicle in which dangerous goods are packed is not in compliance with the requirements of sub-rule (2) or (3) or where a container packing certificate or vehicle packing declaration is not available, the freight container or vehicle shall not be accepted for shipment.

(6) Every ship carrying dangerous goods shall have a special list or manifest setting forth, the dangerous goods on board and the location thereof in accordance with the classification set out in sub-rule (1) of this rule. A detailed stowage plan, which identifies by class and sets out the location of all dangerous goods on board, may be used in place of such a special list or manifest. In either case clear distinction shall be made between harmful substances identified as marine pollutants and other dangerous goods. A copy of one of these documents shall be submitted before departure, to the Mercantile Marine Department in India or to the person or if any organization designated by the port State authority in a port outside India.

11. Packaging, marking, labelling and placarding.—(1) The packaging of dangerous goods shall be :

(a) well made and in good condition;

(b) of such a character that any interior surface with which the contents may come in contact is not dangerously affected by the substance being conveyed; and

(c) capable of withstanding the ordinary risks of handling and carriage by sea.

(2) Where the use of absorbent or cushioning materials is customary in the packaging of liquids in receptacles, that material shall be :

(a) capable of minimizing the dangers to which the liquid may give rise;

(b) so disposed as to prevent movement and ensure that the receptacle remains surrounded; and

(c) where reasonably possible of sufficient quantity to absorb the liquid in the event of breakage of the receptacle.

(3) Receptacles containing dangerous liquids shall have an ullage at the filling temperature sufficient to allow for the highest temperature during the course of normal carriage.

(4) Packages containing dangerous goods shall be durably marked with the correct technical name; trade names alone shall not be used.

(5) Packages containing dangerous goods shall be provided with distinctive labels or stencils of the labels, or placards as appropriate, so as to make clear the dangerous properties of the goods contained therein.

(6) The method of marking the correct technical name and of affixing labels or applying stencils of labels, or of affixing placards on packages containing dangerous goods, shall be such that this information will still be identifiable on packages surviving at least three months' immersion in the sea. In considering suitable marking, labelling and placarding methods, account shall be taken of the durability of the materials used and of the surface of the package.

(7) Packages containing dangerous goods shall be marked and labelled as specified in this rule provided that the NauticalAdviser may exempt the following from marking requirement :

1. packages containing dangerous goods of a low degree of hazard or packages containing small quantities of dangerous goods, or

2. packages that are stowed and handled in units that are identified by labels or placards.

12. Stowage requirements.—(1) Dangerous goods shall be stowed safely and appropriately in accordance with the nature of the goods. Incompatible goods shall be segregated from one another.

(2) Explosives (except ammunition) which present a serious risk shall be stowed in a magazine which shall be kept securely closed while at sea. Such explosives shall be segregated from detonators. Electrical apparatus and cables in any compartment in which explosive are carried shall be so designed and used as to minimize the risk of fire or explosion.

(3) Dangerous goods in packaged form which give off dangerous vapours shall be stowed in a mechanically ventilated space or on deck. Dangerous goods in solid form in bulk which give off dangerous vapours shall be stowed in well ventilated spaces.

(4) In ships carrying flammable liquids or gases, special precautions shall be taken where necessary against fire or explosion.

(5) Substances which are liable to spontaneous heating or combustion shall not be carried unless adequate precautions have been taken to minimize the likelyhood of the outbreak of fire.

(6) Harmful substances identified as marine pollutants shall be properly stowed and secured so as to minimize the hazards to the marine environment. Jettisoning of any such substances in packaged form and washing overboard of any leakage of such substance is prohibited except where necessary for the purpose of securing the safety of the ship or saving life at sea.

13. Carriage of explosives.—(1) Divisions of explosives and compatibility groups specified in this rule have the same meaning as those specified in IMDG code.

(2) Explosives in division 1.4 of the IMDG code, and the compatibility group S may be carried in any amount in passenger ships. No other explosives shall be carried except any one of the following :

(i) explosive articles for life-saving purposes, if the total net explosives mass of such articles does not exceed 50 Kg per ship ;or

(ii) explosives in compatibility groups C, D and E if the total net explosives mass does not exceed 10 Kg per ship ; or

(iii) explosive articles in compatibility group G other than those requiring special stowage, if the total net explosives mass does not exceed 10 Kg per ship ; or

(iv) explosive articles in compatibility group B, if the total net explosives mass does not exceed 5 Kg per ship.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-rule (2) of this rule additional quantities or types of explosives may be carried in passenger ships in which special safety measures approved by the Nautical Advisor are taken.

14. Carriage of solid bulk cargoes other than grain.—(1) Every ship loading solid bulk cargoes other than grain shall comply with the general requirements of the BC code and the particular requirement or precautions specified in appendices A, B and C of that code.

(2) Bulk cargoes shall be loaded and trimmed reasonably level, as necessary, to the boundaries of the cargo space as to minimise the risk of shifting and to maintain adequate stability throughout the voyage.

(3) When bulk cargoes are carried in "tween-decks" the hatchways of such "tween-decks" shall be closed in those cases where the loading information indicates an unacceptable level of stress on the bottom structure if the hatchways are left open. The cargo shall be trimmed reasonably level and shall either extend from side to side or be secured by additional longitudinal divisions of sufficient strength. The safe load-carrying capacity of the "tween-decks" shall be observed to ensure that the deck-structure is not overloaded.

(4) Concentrates or other cargoes which may liquify shall only be accepted for loading when the actual moisture content of the cargo is less than its transportable moisture limit. Provided that : such concentrates and other cargoes may be accepted for loading even when their moisture content exceeds the above limit, where the safety arrangements including adequate stability in case of an assumed shift of cargo and adequate structural integrity are to the satisfaction of the Nautical Adviser.

(5) Prior to loading a bulk cargo which is not a cargo classified in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 10 but which has chemcial properties that may create a potential hazard, special precautions for its safe carriage shall be taken.

(6) Every ship carrying cargoes specified in Appendices 'A B' and C of B.C. Code shall be issued with a certificate of compliances as specified in the Second Schedule. Such certificate shall be issued only after such ship complies with the requirements of these rules and the B.C. Code.

(7) Such certificate of compliance referred to in Sub-rule (6) shall be in force for a period of 5 years from date of issue or such short period as specified in the certificate.

15. Carriage of deck cargoes including timber deck cargo.—(1) When cargoes are carried on deck the master shall comply with the provisions of rule 6 of these rules.

(2) Every vessel carrying timber deck cargo shall comply with the provisions of the timber code and the requirements of part V of Merchant Shipping (Load Line) Rules, 1978.

PART IV

16. Application.—This part applies to carriage of grain in bulk.

17. Carriage of grain.—(1) Every ship carrying grain shall comply with the requirement of grain code.

(2) Every such ship shall not load grain unless :

(a) The ship holds a document of authorisation as required by the grain code duly issued by the chief surveyor.

(b) The Master of such ship satisfies the Chief Surveyor or any other authority at the port of loading authorised by the Chief Surveyor that the ship shall comply with the requirements of the grain code in its proposed loading condition.

PART V

18. Application.—This part applies to carriage of :

(a) liquified gases, and

(b) dangerous or noxious liquid substances in bulk.

19. Carriage of dangerous liquid chemicals in bulk.—(1) Dangerous or noxious liquid substances in bulk shall be carried in accordance to the requirements of :

(a) The IBC code for chemicals tankers constructed on or after 1st July, 1986 ; or

(b) the BCH code for all other chemicals tankers.

(2) Every chemical tanker, irrespective of the date of constructions, which is converted or adopted for carriage of dangerous or noxious liquid substances shall be treated as a chemical tanker constructed on the date on which such conversion commenced.

(3) Every chemical tanker, in addition to the certificates specified in Sections 299A, 300, 301 and 316 of the Act shall be issued with:—

(a) International certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk specified in the Fourth Schedule after such chemical tanker has undergone surveys as specified in the IBC code ; or

(b) a certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk as specified in the Fifth Schedule after such chemical tanker has undergone surveys as specified in the BCH code.

(4) Certificate of fitness referred to in sub-rule (3) shall be in force for a period of five years from date of issue or for such shorter period as specified in the certificate.

20. Carriage of liquified gases in bulk.—(1) Dangerous of noxious liquid substances in bulk shall be carried in accordance to the requirements of :

(a) the IGC code for chemical tankers constructed on or after 1st July, 1986, or

(b) the gas code for all other chemical tankers.

(2) Every gas carrier, irrespective of the date of constructions, which is converted or adopted for carriage of liquiled gas shall be treated as a gas carrier constructed on the date on which such conversion commenced.

(3) Every gas carrier, in addition to the certificates specified in sections 299A, 300, 301 and 316 of the Act shall be issued with :

(a) International certificate of fitness for the carriage of liquified gases in bulk as specified in the Sixth Schedule after such gas carrier has undergone surveys as specified in the IGC code; or

(b) A Certificate of fitness for the carriage of liquified gases in bulk as specified in the Seventh schedule after such gas carrier has undergone surveys as specified in the gas code.

(4) Every certificate of fitness referred to in sub-rule (3) shall be inforce for a period of five years from the date of issue or for such shorter periods as may be specified in the certificate.

PART VI

MISCELLANEOUS

21. (1) The Director General may request the Government of a country to which the safety convention applies to issue an appropriate certificate of fitness specified in these rules. A certificate issued in pursuance of such a request and containing a statement that it has been so issued on behalf of the Government of India shall have the same effect as one issued by the Central Government.

(2) The Director General may, at the request of the Government of a country to which the safety Convention applies

cause an appropriate certificate of fitness to be issued in respect of a ship registered in that country, if it is satisfied that as in the case of an Indian ship that such a certificate can appropriately be issued and where a certificate is issued at such request it shall contain a statement that it has been so issued.

22. (1) The Director General may in addition to the surveyors appointed under section 7 of the Act authorise any person or a body of persons in any port hereinafter called a surveyor, to inspect for the purpose of seeing that the dangerous cargoes are labelled, packed, marked and loaded in compliance with these rules.

(2) If such surveyor finds that the dangerous cargoes are not labelled, packaged, marked or loaded in compliance with these rules or that the dangerous goods are in such conditions that the safety of ship and lives on board are likely to be adversely affected, he shall issue a notice pointing out the deficiencies and also pointing out what in his opinion is requisite to remedy the same.

(3) Every such notice shall be communicated to the Custom Collector at the port from which the ship may seek to obtain port clearance. No Custom Collector to whom such communication is made, shall grant such ship a port clearance. The ship shall be detained until a certificate signed by such surveyor is produced to the effect that the dangerous cargo is labelled, packaged, marked and loaded in compliance with these rules.

23. Penalties :—Every owner, Master or Agent of a ship who

(a) contravences any provision of these rules relating to carriage of dangerous goods or fails to comply with any provisions thereof which it is his duty to comply shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand Rupees or with both and if the offence is a continuing one with further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which the contravention continues.

(b) Every owner, Master or Agent of a ship who contravenes any other provisions of these rules shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and if the offence is a continuing one with further fine which may extends to fifty rupees for every day after the first during which the breach continues

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 9(2)]

Special fire protection requirements for ships carrying dangerous goods.

1.0 The following requirements are additional to the requirements specified in Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1990, (hereinafter specified as "FFA Rules").

1.1 Table I and Table II annexed hereto are applicable to the following ship types.

1. Ship and cargo spaces not specifically designed for the carriage of freight containers but intended for the carriage of dangerous goods in packaged form including goods in freight containers and portable tanks.

2. Purpose built container ships and cargo spaces intended for the carriage of dangerous goods in freight containers and portable tanks.

3. Ro/ro ships and ro/ro cargo spaces intended for the carriage of dangerous goods.

4. Ships and cargo spaces intended for the carriage of solid dangerous goods in bulk.

5. Ships and cargo spaces intended for carriage of dangerous goods other than liquids and gases in bulk in shipborne barges.

2.0 Special requirements : The following requirements shall be complied with to stowage of dangerous goods both "on deck" and "under deck". Tables I, II, III indicate this requirements by the sub-paragraphs numbers. Whenever "X" appears in the tables applicability of the relevant sub-paragraph is indicated against ship types as specified in para 1.1 and/or class of dangerous goods specified in rule 10 of these rules.

1. Water Supply

1.1 Arrangements shall be made to ensure immediate availability of a supply of water from the fire main at the required pressure either by permanent pressurization or by suitably placed remote starting arrangements for the fire pumps.

The quantity of water delivered shall be capable of supplying four nozzles of a size and at pressure as specified in FFA Rules, capable of being trained on any part of the cargo space when empty.

Means of effectively cooling the designated under deck cargo space by copious quantities of water, either by a fixed arrangements of spraying nozzles, or flooding the cargo space with water, shall be provided. Hoses may be used for this purpose in small cargo spaces and in small areas of larger cargo spaces. In any event the drainage and pumping arrangements shall be such as to prevent the build up of free surfaces. If this is not possible the adverse effect upon stability of the added weight and free surface of water shall be taken into account to the extent deemed necessary in the approved stability information.

Provision to flood as designated under deck cargo space with suitable specified medial may be substituted for the requirements in paragraph 1.1 3.

Sources of ignition

Electrical equipments and wiring shall not be fitted in enclosed cargoes spaces, closed vehicle deck space, or open vehicle deck space unless it is essential for operational purposes in the opinion of the chief surveyor. However, if electrical equipments is fitted in such spaces, it shall be of a certified safe type for use in the dangerous environments to which it may be exposed unless it is possible to completely isolate the electrical system (by removal of links in the system, other than fuses), Cable penetrations of the decks and bulkheads shall be sealed against the passage of gas or vapour. Through runs of cables and cables within the cargo spaces shall be protected against damage from impact. Any other equipment which may constitute a source of ignition of flammable vapour shall not permitted.

Detection system

An approved fire detection and fire alarm system shall be fitted to all enclosed cargo spaces including closed vehicle deck spaces. Where the detection system utilizes samples of atmosphere drawn from such cargo spaces provisions shall be made to prevent, in the event of cargo leakage, the discharge of contaminated atmosphere through the sampling system into the space in which the detection apparatus is situated. A notice stating that the samples shall be discharged to the open air when cargoes giving off toxic fumes are being carried shall be permanently exhibited at the equipment.

Ventilation

Adequate power ventilation shall be provided in enclosed cargo spaces. The arrangement shall be such as to provide for at least six air changes per hour in the cargo space based on an empty cargo space and for removal of vapour from the upper or lower parts of the cargo space as appropriate.

The fans shall be such as to avoid the possibility of ignition of flammable gas air mixtures. Suitable wire mesh guards shall be fitted over inlet and outlet ventilation openings.

Bilge Pumping

Where it is intended to carry flammable or toxic liquids in enclosed cargo spaces the bilges pumping system shall be designed to ensure against inadvertent pumping of such liquids through machinery space piping or pumps. Where large quantities of such liquids are carried, consideration shall be given to the provisions of additional means of desiging those cargo spaces. These means shall be to the satisfaction of the Chief Surveyor.

Personnel protection

Four sets of full protective clothing resistant to chemical attach shall be provided in addition to the firemen's outfits required by Fire Fighting Appliances rule. The protective clothing shall cover all skin, so that part of the body is unprotected.

At least two self-contained breathing apparatuses additional to those required by Fire Fighting Appliances rules shall be provided.

Portable fire extinguishers

Portable fire extinguishers with a total capacity of at least 12 kg of dry power or equivalent shall be provided for the cargo spaces. These extinguishers shall be in addition to any portable fire extinguishers required under FFA rules.

Insulation of machinery space boundaries

Bulkheads forming boundaries between cargo spaces and machinery spaces of category A shall be insulated to "A-60" standards, unless the dangerous goods are stowed at least 3m horizontally away from such bulkheads, other boundaries between such spaces shall be insulated "A-60" standard.

Water spray system

Each open ro/ro cargo space having a deck above it and each space deemed to be a closed ro/ro cargo space not capable of being sealed shall be fitted with an approved fixed pressure water-spraying system for manual operation which shall protect all parts of any deck and vehicle platform in such space, except that the Chief Surveyor may permit the use of any other fixed fire-extinguishing system that has been shown by full scale test to be no less effective. In any event the drainage and pumping arrangements shall be such as to prevent the build-up of free surfaces. If this is not possible the adverse effect upon stability of the added weight and free surface of water shall be taken into account to the extent deemed necessary.

SECOND SCHEDULE

[See Rule 9(3), 14(6)]

CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS

(Issued in pursuance of the provisions of paragraph 3 of regulation 54 of Chapter 11-2 of 1981 Amendment to the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974).

Name of Ship	Distinctive No. or Letters	Port of Registry	Gross Tonnage

THIS IS TO CERTIFY :

1. That the construction and equipment of the above-mentioned ship have been found to comply with the provisions of Regulation 54 of Chapter 11-2 of 1981 Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.

2. That the ship is suitable for carrying dangerous goods as specified on page 2.

3. In respect of dangerous solid bulk cargoes, the cargo list also includes cargoes designated class MHB in the code of safe Practice for solid Bulk cargoes for which the vessel is suited.

This Certificate is valid until ____________________

issued at ____________________

(Place of issue of Certificate)

____________19____

(Date of Issue)

PRINCIPAL OFFICER Mercantile Marine Department.

THIRD SCHEDULE

[See Rule 10(3)]

DANGEROUS GOODS DECLARATION

This form meets the requirements of SOLAS 74 Chapter VII regulation 5; MARPOL 73/78 Annex III, regulation 4 and the IMDG Code. General Introduction, Section 9

Shipper	1	Reference Number(s)	2
Consignee	3	Carrier	4
Container packing certificate/vehicle declaration DECLARATION It is declared that the packing of the container/-vehicle has been carried out in accordance with the general Instruction IMDG code, Paragraph 12,3,7 or 17.7.7 TO BE COMPLETED FOR SHIPMENTS IN CONTAINERS OR VEHICLES	6	Name/status, company/organisation of signatory Signature on behalf of Packer.	5
Ship's name and Vouage No.	Port of loading	(Reserved for text, instructions or other matter)	7
Port of discharge	8		

Marks & Nos. If applicable identification or registration number (s) of the Unit.	Number and kind of packages, proper shipping name/correct technical name, IMO hazard class/division, UN number packaging group, flash point (in COC.) control and emergency temperature, identification of the goods as MARINE POLLUTANT, Ems No. and MFAG Table Nos.	Gross mass (kg) net quantity mass	Goods delivered as: Break bulk cargo Utilized cargo Bulk packages.

Proprietary/trade names alone are not sufficient If applicable: (1) the word 'WASTE' should precede the name. (2) EMPTY UNCLEANED or RESIDU Last Contained should be added. (3) "LIMITED QUANTITY" should be added. "When required in 9.3 of the General Introduction to the IMDG CODE when required.	Type of Unit (container trailer, tank vehicle etc. Open. Closed. Insert 'X' in appropriate box. (This column may be left apart from the heading in which case insert appropriate description.

ADDITIONAL INFORMATION

In certain circumstances special information/certificates are required. See IMDG Code, General Introduction. Paragraphs 9-7-1/9-7-2

	Name/status, company/organisation of signatory
DECLARATION	PLACE AND DATE
I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the correct technical name(s), proper shipping name(s), and are classified packaged marked and labelled/placard and are in all respects in proper conditions for transport according to the applicable international and national government regulations.	Signature of shipper.

FOURTH SCHEDULE

[See rule 19(3)(a)]

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CODE FOR CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK

[resolutions MSC. 4(48) and MEPC 19(22)]

Under the authority of the Government of India

by the Principal Officer, Mercantile Marine Deptt.

Name of ship	Distinctive Number or Letters	Port of Registry	Gross Tonnage	Ship type (Code paragraphs 2.1.22)

Date on which keel was laid or on which the ship was at a similar stage of construction or (in the case of a converted ship) date on which conversion to chemical tanker was commenced:

FIFTH SCHEDULE

[See rule 19(3)(b)]

CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK

Issued in pursuance of the

INTERNATIONAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANISATION CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS BULK

Under the authority of the Government of India

(full official designation of country)

by the Principal Officer, Mercantile Marine Deptt.

Name of Ship	Distinctive Number or Letters	Port of Registry	Gross Tonnage	Ship type (Code Paragraphs 2.2.4.1)

Date on which keel was laid or in the case of a converted ship date of conversion to Chemical tanker commended.

5. This certificate will remain in force, unless previously cancelled, until the.....day of.....19....
Issued at (Place of issue of certificate).....19....

The undersigned declares that he is duly authorised by the said Government to issue this certificate.

Principal Officer, Mercantile Marine Deptt.

Notes on completion of Certificate :

1. "Ship Type" Any entry under this column must relate to all relevant recommendations', e.g. an entry "Type II" should mean Type II in all respects prescribed by the Code. This column would not usually apply in the case of an existing ship and in such a case should be noted "See Paragraph 2(b)".

2. Paragraph 2(ii)(b), Insert 1.7.3(a), (b), (c), (d) according to the status of the ship in relation to the recommendations of this paragraph.

3. Paragraph 3: Only products listed in Chapter VI of the code, or which have been evaluated by the Administration in accordance with paragraph 1.8 of the Code, should be listed. In respect of the latter "new" products, any special Requirements provisionally prescribed should be noted.

Periodical Surveys

This is to certify that at a periodical inspection required by paragraph 1.6 of the Code, this ship was found to comply with the relevant provisions of the code.

(a) Inspection related to the safety equipment provisions

Place.....date.....

Signature and/or seal of issuing authority

Place..... date.....

Signature and/or seal of issuing authority

Place..... date.....

Signature and/or seal of issuing authority

Place..... date.....

Signature and/or seal of issuing authority

Place..... date.....

Signature and/or seal of issuing authority

(b) Inspection related to the constructional provisions

Place..... date.....

Signature and/or seal of issuing authority

THE SIXTH SCHEDULE

[See rule 20(3) (a)]

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK

(official seal)

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING LIQUEFIED GASES IN BULK

[Resolution M.S.C. 5(48) and MEPC 19(22)]

Under the authority of Government of India

by the PRINCIPAL OFFICER, MERCANTILE MARINE DEPARTMENT, BOMBAY

Name of Ships	Distinctive ship No. or letters	Port of Registry	Cargo Capacity (m^3)	Ship type (section 2.1 of the code) V

Date on which keel was laid or on which the ship was at a similar stage of construction or (in the case of converted ship) date on which conversion to a gas carrier was commenced.

.....

This ship complies fully with the following amendments to the Code

.....

.....

This ship is exempted from compliance with the following provisions of the code

.....

.....

THIS IS TO CERTIFY :

1. 1. That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of Section 1.5 of the Code.

2. That the survey showed that the structure, equipment, fittings, arrangements and material of the ship and the conditions thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the relevant provisions of the Code.

2. That the following design criteria have been used.

1. ambient temperature.....°C[2]/

2. ambient water temperature.....°C[2]/

Attachment.

SURVEYS

This is to certify that at a survey required by section 1.6 of the code, this ship was found to comply with the relevant provisions of the Code

Intermediate survey

Place..... Date .....

Signature and seal of issuing authority

Place..... Date.....

Signature and seal of issuing authority

Place..... Date.....

Signature and seal of issuing authority

Place..... Date.....

Signature and seal of issuing authority

Endorsements in accordance with paragraph 1.2.3 of the Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk.

Attachment.

THIS IS TO CERTIFY

1. That the above metioned ship is

*(i) a ship as defined in 1.2.2 of the Code

*(ii) a ship as defined in 1.2.3 of the Code.

*Delete as appropriate.

2. (i) That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section 1.6 of the Code,

(ii) that the survey showed that the structure, equipment, fittings, arrangements and materials of the ship and the conditions thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the relevant provisions of the Code.

3. That the following design criteria have been used

(a) ambient air temperature.....°C[2]/

(b) ambient water temperature.....°C[2]/

(c)

Tank type and number	*Stress Factors[3] A	B	C	D	Materials[3]/	MARVS
Cargo piping						

N.B. Tank numbers referred to in this list are identified on the annexed signed and dated tank plan numbered 2°A.

(d) Mechanical properties of the cargo tank material were determined at.....°C[4]/

4. That the ship is suitable for the carriage in bulk of the following products, provided that all relevant operational provisions of the Code are observed;*

Products	Conditions of carriage (tank numbers, minimum temperature maximum pressure, maximum density, tank loading conditions)

N.B. Continued on the annexed, signed and dated sheet (s) numbe) 1 A

N.B. Tank numbers referred to in this list are identified on the annexed signed and dated last plan number2A

Attachment

5. That in accordance with sections 1.5/2.7 the provisions of the Code are modified in respect of the ship in the following manner:

This certificate is valid until the.....day of.....19 ..... Issued at.....19

(place of issue of certificate)

The undersigned declares that he is duly authorised by the said Government to issue their certificate.

(Signature of Official issuing the certificate a id/or seal of issuing authority)

(Seal or stamp of the issuing authority as appropriate)

Notes on completion of Certificate;

1. "Ship Type"; Any entry under this column must relate to all relevant recommendations, e.g. an entry "Type IIG" should mean type IIG in all respects prescribed by the Code.
2. Paragrpah 3(a) and 3(b): The ambient temperatures accepted or required by the Administration for the purposes of 4.5.1. of the Code to be inserted.
3. Paragraph 3(c): Stress factors and materials as acepted or required by the Administration for the purpose of 4.5.1(d))(i) and 4.5.1(e) of the Code to be inserted.
4. Paragraph 3(d): Room temperature or other temperature accepted by the Administration for the purpose of 4.5.1(f) to be inserted.
5. Paragraph 4: Only products listed in Chapter XIX of the Code or which have been evaluated by the Administration in accordance with paragraph 1.7.2 of the Code, would be listed in respect of the latter "new' products, any special Requirements provisionally prescribed should be noted.

*Delete as appropriate

THE SEVENTH SCHEDULE

[See rule 20(3)(b)]

CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUIFIED GASES IN BULK

(Official Seal)

Issued in pursuance of the

INTERNATIONAL MARITIME CONSULATATIVE ORGANISATION CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING LIQUIFIED GASES IN BULK

and International Maritime Consultative Organisation Resolution A. 329 (IX)

Under the authority of the Government of
REPUBLIC OF INDIA .....

(full official designation of the country)

by The Principal Officer, Mercantile Marine Department.

Name of ship	Distinctive No. or letter	Port of Registry	Cargo Capacity (m^3)	Ship type (section 2.5 of the Code)

Date of building or major conversion contract.....

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or on which major conversion was commenced.....

The certificate should be drawn up in the official language of the issuing country. If the language used is neither English nor French the next should include 3 translation into one of these languages.

ATTACHMENT TO THE INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK

Continued list of products to those specified in Section 3 and their conditions of carriage.

Products	Conditions of carriage (tank numbers, etc.)

DATE.....
(as for Certificate)

PRINCIPAL OFFICER
Mercantile Marine Department
Bombay

.3

Tank type and nzmbe:	Stress factor[5]				Materials[3]	MARVS
	A	B	C	D		
Cargo piping						

N.B. Tank numbers referred to in this list are identified on attachment 2, signed and dated tank plan.

4. Mechanical properties of the cargo tank material were determined at.....°C[4]

3. That the ship is suitable for the carrying in bulk of the following products, provided that all relevant operational provisions of the Code are observed[5].

Products	Conditions of carriage (tank numbers etc.)

Continued on attachment 1, additional signed and dated sheets.

Tank numbers referred to in this list are identified on attachment 2, signed add dated tank plan.

4. That in accordance with Sections 1.4/2.8.2* the provisions of the Code are modified in respect of the ship in the following manner:

That the ship must be loaded:

*.1 in accordance with the loading conditions provided in the approved loading manual, stamped and dated..... and signed by a responsible officer of the Administration, or of an organization recognised by the Administration :

*.2 in accordance with the loading limitations appended to this Certificate.

*Delete as appropriate.

This certificate is valid until.....
issued at.....
(Place of issue of certificate)

.....19
Date of Issue

.....
PRINCIPAL OFFICER,
Mercantile Marine Department,
Bombay.

(Seal or Stamp of issuing Authority, as appropriate)

Notes on completion of Certificate"

1. "Ship type". Any entry under this column must be related to all relevant recommendations e.g. an entry "type 2G" should mean type 2G in all respects prescribed by the Code.

2. Paragraphs 2.1 and 2.2. The ambient temperatures accepted or required by the Administration for the purposes of 1.8.1 of the Code to be inserted.

3. Paragraph 2.3 Stress factors and materials as accepted or required by the Administration for the purpose of 4.5.1.4 and 4.5.1.6 of the Code to be inserted.

4. Paragraph 2.4: Temperature accepted by the Adminisration the purposes of 4.5.1.7 to be inserted.

5. Paragraph 3: Only Products listed in Chapter 19 of the Code or which have been evaluated by the Administration in accordance with Paragraph 1.1.6 of the Code should be listed. In respect of the latter "new" products, any special requirements provisionally prescribed should be noted.

ENDORSEMENT FOR MANDATORY ANNUAL SURVEYS

This is to Certify that at a mandatory annual survey required by paragraph 1.5.2.1.4 of the International code for the construction and Equipment of Ships carrying Liquified Cases in Bulk, the ship was found to comply with the relevant provisions.

Signed: .....
(Signature of authorised official)
Place :.....
Date : .....
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Signed .....
(Signature of authorised official)
Place .....
Date .....
(Seal or stamp of the Authority, as Appropriate)

Signed .....
(Signature of authorised official)
Place .....
Date:.....
Seal or stamp of the Authority as appropriate)

Signed : .....
(Signature of authorised official)
Place : .....
Date .....
(Seal or stamp of the Authority as appropriate)

Note.—An intermediate survey may take the place of a mandatory annual survey where the relevant provisions of 1.5.2.1.3. and 1.5.2.1.4 are complied with.

Annual Surveys due on..... ±3 months

Intermediate Survey due on ..... ±6 months.

ENDORSEMENT FROM INTERMEDIATE SURVEYS

This is to certify that at intermediate survey required by 1.5.2.1.3 of the International Code for the Construction and Equipment of ships carrying Liquefied Gases in Bulk, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Code.

Signed.....
(Signature of authorised Official)
Place : .....
Date : .....
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Annual Surveys due on..... ±3 months.

Intermediate Survey due on..... ±6 months.

[F.No. SR 11013/7/93-MA.]
O.P. MAHEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1995

सा.का.नि. 44—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (लुधियाना स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान का एकक और आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उ.प्र.) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय लुधियाना स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान का एकक और आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उ.प्र.) समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय लुधियाना स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान का एकक और आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उ.प्र.) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) को उद्देशिका में :—

"और आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उ.प्र.) " शब्दों के पश्चात् "तथा फरीदाबाद स्थित प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय" शब्द अंत:स्थापित किये जायेंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 1 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (लुधियाना स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान का एकक और आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उ.प्र.) तथा फरीदाबाद स्थित प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 है।" ;

4. उक्त नियम की अनुसूची में आरक्षण (इलैक्ट्रोनिकी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 28 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
29. कनिष्ठ तकनीकी सहायक	3* (1995) 1. ए.टी.आई., लुधियाना-1 2. आर.डी.ए.टी., फरीदाबाद-2 ----- योग—3 ----- *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	अचयन	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : -आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा

1	2	3	4	5	6
					चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है। टिप्पण 2 :—ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (क) शैक्षिक : गणित और विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ख) तकनीकी : सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र। या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र। या किसी औद्योगिक संस्थान में इंजीनियरी व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून अवधि की शिक्षुता। या रक्षा सेवाओं से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुसंगत व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की हो। या इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में डिप्लोमा। (ग) व्यावहारिक अनुभव : पांच वर्ष से अन्यून हो जिसमें उपयुक्त (ख) में दी गई प्रशिक्षण अवधि भी है। वांछनीय : केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक या विद्युत् या सिविल ग्रुप में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
10	11
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : (क) ऐसा कुशल कार्यकर्ता जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1400-2300 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में दो वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है। (ख) जिसके न हो सकने पर ऐसा औजार भंडार कक्ष भारसाधक जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1200-2040 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। स्थानान्तरण :— रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अधीन या केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जो फील्ड संस्थानों में समरूप या समतुल्य पद धारण किये हुए हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
12	13
समूह "ग" पदों के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता ।
अध्यक्ष :	
1. निदेशक, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना।	
2. प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद।	
टिप्पण : उपरोक्त दोनों में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होगा।	
सदस्य :	
3. प्रशासनिक अधिकारी, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना।	

[फा.सं. डी जी ई टी-ए-12018/7/92 टी.ए.-II-(iv)]

बी.डी. नागर, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. 12(1)/68-टी.ए.-VI, दिनांक 5-6-1974 (सा.का.नि. 684, दिनांक 29-06-1974) द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना/राजपत्र द्वारा किया गया है।

1. सा.का.नि. सं. 655, दिनांक 21-5-1977
2. सा.का.नि.सं. 1119, दिनांक 8-9-1978
3. सा.का.नि.सं. 28, दिनांक 06-01-1979
4. सा.का.नि.सं. 223, दिनांक 10-02-1979
5. सा.का.नि.सं. 909, दिनांक 30-06-1979
6. सा.का.नि.सं. 1222, दिनांक 29-09-1979
7. सा.का.नि.स. 979, दिनांक 31-10-1981
8. सा.का.नि.सं. 172, दिनांक 13-02-1982
9. सा.का.नि.सं. 458, दिनांक 05-05-1984
10. सा.का.नि.सं. 284, दिनांक 27-02-1985
11. सा.का.नि.सं. 941, दिनांक 04-09-1985
12. सा.का.नि. सं. 539, दिनांक 18-08-1990
13. सा.का.नि.सं. 182, दिनांक 03-04-1993
14. सा.का.नि.सं. 421, दिनांक 21-08-1993
15. सा.का.नि.सं. 424, दिनांक 21-08-1993

New Delhi, the 10th January, 1995

G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules frther to amend the Directorate of Training (the Unit of the Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto; at Ludhiana and the Model Industrial Training Institute, Haldwani (U.P.) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto at Ludhiana and Model Industrial Training Institute, Haldwani (U.P.) Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the preamble, to the Directorate of Training (the Unit of the Advanced Training Institute and the Model Training Institute attached thereto at Ludhiana and the Model Industrial Training Institute, Haldwani (U.P.) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, (hereinafter referred to as the said rules) :

after the words "and the Model Industrial Training Institute, Haldwani (U.P.)" the words "and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Faridabad" shall be inserted;

3. In rule 1 of the said rules for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) These rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto at Ludhiana and the Model Industrial Training Institute, Haldwani (U.P.) and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Faridabad) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974";

4. In the Schedule to the said rules, after serial number 28 relating in the post of Maintenance (Electronics), the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
29. Junior Technical Assistant.	3* (1995) 1. A.T.I. Ludhiana-1 2. R.D.A.T., Faridabad-2.	General Central Service Group 'C' (Non Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.
	Total 3		
	*Subject to variation dependent on work load.		

Whether Selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7
Non-Selection.	Between 18—25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2 :—In respect of posts, appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential :— (a) Academic : Matriculation or equivalen with Sience and Mathematics. (b) Technical :— National Trade Certificate in the relevant trade. OR National Apprenticeship Certificate in the relevant trade. OR Apprenticeship in an Engineering trade in an Industrial concern for a period not less than 3 years. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years service in relevant trade. OR Diploma in the relevant branch of Engineering. (c) Practical Experience : Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. Desirable :— Instructors Training Certificate in Mechanical or Electrical or Civil Group of trades from the Central Training Institutes for Instructors.

Whether age and education l qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by Transfer failing both by direct recruitment.	Promotion :— (a) Skilled worker in the pay scale of Rs. 1400—2300 with not less than 2 years	Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts consisting of :—	Not applicable

8	9	10	11	12	13
			regular service in the grad in the unit subject to passing of trade test, in the relevant trade. (b) failing which, Tool Store/ Room Incharge in the Pay Scale of Rs. 1200-2040 with 5 years of regular service in the grade in the unit subject to passing of a trade test, in the relevant trade. Transfer :— Officers holding similar or equivalent posts in field institutes under control of Directorate General of Employment and Training or from other Central Government Offices.	CHAIRMAN 1. Director, Advanced Training Institute, Ludhiana. 2. Regional Director, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad NOTE :—Seniormost of the above two shall be the Chairman and the other shall be a Member. Members :— 3. Administrative Officer, Advanced Training Institute, Ludhiana.	

[File No. DGET-A-12018/7/92-TA-II(iv)]
V. D. NAGAR Under Secy.

Note :—The Principal rules were published vide notification No. 12(1)68 TA-VI, dated 5-6-1974 (GSR No. 684, dated 29-6-1974) have been amended vide notification/Gazette as detailed below :—

1. GSR No. 655 dated 21-5-1977
2. GSR No. 1119 dated 9-9-1978
3. GSR No. 28 dated 6-1-1979
4. GSR No. 223 dated 10-2-1979
5. GSR No. 909 dated 30-6-1979
6. GSR No. 1222 dated 29-9-1979
7. GSR No. 979 dated 31-10-1981
8. GSR No. 172 dated 13-2-1982
9. GSR No. 458 dated 5-5-1984
10. GSR No. 284 dated 27-2-1985
11. GSR No. 941 dated 4-9-1985
12. GSR No. 539 dated 18-8-1990

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1995

सा. का. नि. 45—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (कानपुर स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान का एकक और उससे संलग्न आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, जोधपुर स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (कानपुर स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान का एकक और उससे संलग्न आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, जोधपुर, स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (कानपुर स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान का एकक और उससे संलग्न आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, जोधपुर स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक	4* (1995) 1. आर.डी.ए.टी. कानपुर–3 2. ए.टी.आई., कानपुर–1] योग—4 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	अचयन	18–25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।) न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल, प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है) । टिप्पण 2 : —ऐसे पदों की बाबत जिनपर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (क) शैक्षिक गणित और विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ख) तकनीकी : सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या किसी औद्योगिक संस्थान में इंजीनियरी व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून अवधि की शिक्षुता । या रक्षा सेवाओं से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुसंगत व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की है। या इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में डिप्लोमा। (ग) व्यावहारिक अनुभव : पांच वर्ष से अन्यून हो जिसमें उपर्युक्त (ख) में दी गई प्रशिक्षण अवधि भी है	नहीं	दो वर्ष

7
वांछनीय : केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक या विद्युत् या सिविल ग्रुप के व्यवसायों में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जायेगा ।
10	11
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : (क) ऐसा कुशल कार्यकर्ता जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1400—2300 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में दो वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है । (ख) जिसके न हो सकने पर ऐसा औजार भंडार कक्ष भारसाधक जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1200—2040 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । स्थानान्तरण : रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अधीन या केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जो फील्ड संस्थानों में समरूप या समतुल्य पद धारण किये हुए हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "ग" पद के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी । 1. निदेशक, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर । 2. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर । टिप्पण: उपरोक्त दोनों में से ज्येष्टतम अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होगा । सदस्य : 3. संयुक्त, निदेशक, प्रशिक्षण, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ।	लागू नहीं होता

[फा.सं. डी.जी.ई.टी.-ए, 12087/7/92-टी.ए.-II) (III)]

वी. डी. नागर, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम अधिसूचना सं. डी. जी ई टी- 12 (1) /68-टी. ए. II दिनांक 29.5.1974 (सा. का. नि. सं. 608) दिनांक 15-6-1974 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना/राजपत्र द्वारा किया गया है ।

1. सा. का. नि. सं. 825, दिनांक 5.7.75
2. सा. का. नि. सं. 894, दिनांक 19-6-76
3. सा. का. नि. सं. 652, दिनांक 21-5-77
4. सा. का. नि. सं. 1116 दिनांक 9-9-78
5. सा. का. नि. सं. 29, दिनांक 6-1-79
6. सा. का. नि. सं. 222 दिनांक 10-2-79
7. सा. का. नि. स. 902, दिनांक 30-6-79
8. सा. का. नि. स. 1225, दिनांक 29-9-79
9. सा. का. नि. सं. 982, दिनांक 31-10-81
10. सा. का. नि. सं. 169, दिनांक 13-2-82
11. सा. का. नि. सं. 362, दिनांक 7-4-84
12. सा. का. नि. सं. 363; दिनांक 7-4-84
13. सा. का. नि. सं. 455, दिनांक 5-5-84

14. सा. का. नि. सं. 893, दिनांक 18-8-84
15. सा. का. नि. सं. 744, दिनांक 31-5-85
16. सा. का. नि. सं. 690, दिनांक 10-11-90
17. सा. का. नि. सं. 187, दिनांक 11-3-93

New Delhi, the 16th January, 1995

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto; the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Kanpur, the Model Industrial Training Institute at Jodhpur and the Regional Vocational Training Institute for Women at Allahabad) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Advanced Training Institute and the Model Training Institute attached thereto ; the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Kanpur, the Model Industrial Training Institute at Jodhpur and the Regional Vocational Training Institute for Women at Allahabad) Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Advanced Training Institute and the Model Training Institute attached thereto; the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Kanpur, the Model Industrial Training Institute at Jodhpur and the Regional Vocational Training Institute for Women at Allahabad) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, for the entries against serial number 2, relating to the post of Junior Technical Assistant the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
2. Junior Technical Assistant.	4* (1995) 1. ROAT, Kanpur —3 2. ATI, Kanpur —1 Total 4 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

Whether Selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7
Non-Selection.	Between 18—25 years : (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chemba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	Essential :— (a) Academic : Matriculation or equivalent with Science and Mathematics. (b) Technical : National Trade Certificate in the relevant trade. OR National Apprenticeship Certificate in the relevant trade. OR Apprenticeship in an Engineering trade in an industrial concern for a period not less than 3 years. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years service in the relevant trade.

6	7
Note 2 :—In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	OR Diploma in the relevant branch of Engineering. (c) Practical Experience : Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. Desirable : Instructor Training Certificate in Mechanical or Electrical or Civil group of trades from the Central Training Institute for Instructors.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer grades from which promotion/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted, in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by transfer failing both by direct recruitment.	Promotion : (a) Skilled worker in the pay scale of Rs. 1400—2300 with not less than 2 years regular service in the grade in the unit subject to passing of trade test, in the relvant trade. (b) failing which, Tool Store/Room Incharge in the pay scale of Rs. 1200—2040 with 5 years of regular service in the grade in the unit subject to passing of a trade test in the relevant trade. Transfer : Officers holding similar or equivalent posts in field institutes under control of DGE&T or from other Central Government Offices.	Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts consisting of :— 1. Director, Advanced Training Institute, Kanpur. 2. Regional Director, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kanpur. Note :—Senior-most of the above two shall be Chairman and the other shall be a Member. Members : 3. Joint Director of Training, Advanced Training Institute, Kanpur.	Not applicable.

[F. No. DGET-A-12018/7/92-TA-II(III)]
V.D. NAGAR, Under Secy.

The principal rules were published vide notification No. DGET-12(1)/68-TA-II, dated 29-5-1974 (GSR No. 608, dated 15-6-1974) have been amended vide Notification/Gazette detailed below :—

1. GSR No. 825, dated 5-7-1975
2. GSR No. 894, dated 19-6-1976
3. GSR No. 652, dated 21-5-1977
4. GSR No. 1116, dated 9-9-1978
5. GSR No. 29, dated 6-1-1979
6. GSR No. 222, dated 10-2-1979
7. GSR No. 902, dated 30-6-1979
8. GSR No. 1225, dated 29-9-1979
9. GSR No. 982, dated 31-10-1981
10. GSR No. 169, dated 13-2-1982
11. GSR No. 362, dated 7-4-1984
12. GSR No. 363, dated 7-4-1984
13. GSR No. 454, dated 5-5-1984

14. GSR No. 893, dated 18-8-1984
15. GSR No. 744, dated 31-5-1985
16. GSR No. 690 dated 10-11-1990

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1995

सा. का. नि. 46:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (हैदराबाद स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और उससे संलग्न आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, उच्च इलैक्ट्रानिकी और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय का एकक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (हैदराबाद स्थित उच्च प्राशक्षण संस्थान और इससे संलग्न आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, उच्च इलैक्ट्रॉनिकी और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय का एकक) समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (हैदराबाद स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संलग्न आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, उच्च इलैक्ट्रॉनिकी और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय का एकक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. कनिष्ठ तकनीकी सहायक	4* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 1. ए टी आई, हैदराबाद—1, 2. ए टी आई-ई पी आई, हैदराबाद—3 योग—4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	1400-40-1600-50-2300-द० रो.-60-2600 रु.	अचयन	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी) न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:—ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (क) शैक्षिक :—गणित और विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन समतुल्य। (ख) तकनीकी :—सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र। या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षण प्रमाणपत्र। या किसी औद्योगिक समुत्थान में इंजीनियरी व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून अवधि की शिक्षुता। या रक्षा सेवाओं से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुसंगत व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की है। या इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में डिप्लोमा। (ग) व्यावहारिक अनुभव : पांच वर्ष से अन्यून हो जिसमें उपर्युक्त (ख) में दी गई प्रशिक्षण अवधि भी है। वांछनीय : केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या सिविल ग्रुप के व्यवसायों में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानांन्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :— (क) ऐसा कुशल कार्यकर्ता जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1400-2300 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में दो वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है। (ख) जिसके न हो सकने पर ऐसा औजार भंडार कक्ष भारसाधक जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1200-2040 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। स्थानान्तरण :—रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अधीन या केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जो फील्ड संस्थानों में समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "ग" पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता

12	13
सदस्य :— 1. निदेशक, उच्च इलैक्ट्रोनिकी और प्रोसेस इंस्ट्रूमेन्टेशन प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद। 2. निदेशक, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद। 3. प्रादेशिक निदेशक, प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद। टिप्पण :—उपरोक्त तीनों अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। सदस्य : 4. एकक में प्रशिक्षण का ज्येष्ठतम संयुक्त निदेशक।	

[फाइल सं. डी जी ई टी ए-12018/7/92-टीए-II(ii)]
बी०डी० नागर, अवर सचिव

टिप्पण : —मूल नियम अधिसूचना सं. 12(1)/68—टी. ए.—V, दिनांक 15-6-74 (सा. का. नि. 609, दिनांक 15-6-74) द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना/राजपत्र द्वारा किया गया है।

1. सा. का. नि. 654, दिनांक 21-5-1977
2. सा. का. नि. 1117, दिनांक 9-9-1979
3. सा. का. नि. 227, दिनांक 10-2-1979
4. सा. का. नि. 907, दिनांक 30-6-1979
5. सा. का. नि. 27, दिनांक 6-7-1979
6. सा. का. नि. 1200, दिनांक 22-9-1979
7. सा. का. नि. 1223, दिनांक 23-9-1979
8. सा. का. नि. 984, दिनांक 31-10-1981
9. सा. का. नि. 171, दिनांक 13-2-1982
10. सा. का. नि. 502, दिनांक 19-5-1984
11. सा. का. नि. 942, दिनांक 4-9-1985
12. सा. का. नि. 916 दिनांक 9-9-1985
13. सा. का. नि. 540, दिनांक 18-3-1990
14. सा. का. नि. 661, दिनांक 22-8-1990
15. सा. का. नि. 144, दिनांक 21-3-1992
16. सा. का. नि. 185, दिनांक 3-4-1993

New Delhi, the 16th January, 1995

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training the Unit of the Advanced Training Institute and the Model Training Institute attached thereto; the Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Hyderabad) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and the Model Training Institute attached thereto; the Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Hyderabad) Group 'C' Posts Recruitment (Amenudment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and the Model Training Institute attached thereto ; the Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Hyderabad) Group 'C' Posts Recruitment Rules 1974, for the entries against serial number 2 relating to the post of Junior Technical Assistant, the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
2. Junior Technical Assistant	4* (1995) 1. ATI Hyderabad 1 2. ATI-EPI Hyderabad 3 Total 4 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 1400-40-1600-50-2300-E B 60-2600.

Whether selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7
Non-selection	Between 18—25 years : (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2 :—In respect of posts, appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age lmit in each case shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : (a) Academic : Matriculation or equivalent with Science and Mathehmatics. (b) Technical : National Trade Certificate in the relevant trade. OR National Apprenticeship Certificate in the relevant trade. OR Apprenticeship in an Engineering trade in an industrial concern for a period not less than 3 years. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years service in the relevant trade. OR Diploma in the relevant branch of Engineering. (c) Practical Experience : Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. Desirable : Instructors Training Certificate in Mechanical or Electrical or Civil group of trades from the Central Training Institute for Instructors.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted, in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by Transfer failing both by direct recruitment.	Promotion : (a) Skilled worker in the pay scale of Rs. 1400-2300 with not less than 2 years regular service in the grade in the unit subject	Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts consisting of :— Members : 1. Director, Advanced Training Institute for Electronics	Not applicable

8	9	10	11	12	13
			to passing of trade test, in the relevant trade. (b) failing which, Tool Store/ Room Incharge in the pay scale of Rs. 1200-2040 with 5 years of regular service in the grade in the unit subject to passing of a grade test, in the relevant trade. Transfer :— Officers holding similar or equivalent posts in field institutes under control of Directorate General of Employment and Training or from other Central Government Offices.	and Process Instrucmentation, Hyderabad. 2. Director, Advanced Training Institute, Hyderabad. 3. Regional Director, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad. Note :—Senior most of the above three officers will be Chairman and others two will be Members. Member : 4. Senior most Joint Director of Training in the Unit.	

[F. No. DGET-A.12018/7/92-TA-II(ii)]
V.D. NAGAR, Under Secy.

Note :—The principal rules were published vide Notification No. DGET-12(1)/68-TA-V dated 15-6-74 (GSR No. 609, dated 15th June, 1974) and have been amended vide notification/Gazettes as detailed below :—

1. GSR No. 654, dated 21-5-1977
2. GSR No. 1117, dated 9-9-1978
3. GSR No. 227, dated 10-2-1979
4. GSR No. 907, dated 30-6-1979
5. GSR No. 27, dated 6-7-1979
6. GSR No. 1200, dated 22-9-1979
7. GSR No. 1223, dated 23-9-1979
8. GSR No. 984, dated 31-10-1981
9. GSR No. 171, dated 13-2-1982
10. GSR No. 502, dated 19-5-1984
11. GSR No. 942, dated 4-9-1985
12. GSR No. 916, dated 9-9-1985
13. GSR No. 540, dated 18-8-1990
14. GSR No. 661, dated 22-8-1990
15. GSR No. 144, dated 21-3-1992.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1995

सा. का. नि. 47.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (कलकत्ता स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान की यूनिट और उससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय तथा चौदवार (उड़ीसा) स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता और महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तूरा (मेघालय) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (कलकत्ता स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान की यूनिट और उससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रीय कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय तथा चौदवार (उड़ीसा) स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता और महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान तूरा (मेघालय) समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन नियम, 1995) है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (कलकत्ता स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान की यूनिट और उससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय तथा चौदवार (उड़ीसा) स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता और महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तूरा (मेघालय) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	4	5
2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक	8* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 1. आर डी ए टी कलकत्ता--3 2. ए टी आई, कलकत्ता--1 3. सी एम टी ए आर आई, कलकत्ता--4 योग---8	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	1100-40-1600-50-2300-द. रो.-60-2600 रुपये	अचयन	18—25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1:--आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2:—ऐसे पदों के बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
7	8	9
आवश्यक शैक्षिक : (क) गणित और विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ख) तकनीकी :—सुसंगत व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या किसी औद्योगिक संगठान में इंजीनियरी व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून अवधि की शिक्षुता या रक्षा सेवाओं से	नहीं	दो वर्ष

7	8	9
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुसंगत व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की है या इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में डिप्लोमा। (ग) व्यावहारिक अनुभव :—पांच वर्ष से अन्यून हो जिसमें उपर्युक्त (ख) में दी गई प्रशिक्षण अवधि भी है। वांछनीय : केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या सिविल ग्रुप के व्यवसायों में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
10	11
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :— (क) ऐसा कुशल कार्यकर्ता जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1400-2300 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में दो वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है। (ख) जिसके न हो सकने पर ऐसा औजार भंडार/कक्ष भारसाधक जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1200-2040 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। स्थानान्तरण :— रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अधीन या केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जो फील्ड संस्थानों में समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "ग" पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— निदेशक, केन्द्रीय कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता। 2. निदेशक, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता। 3. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता। टिप्पण :—उपरोक्त तीनों में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा और अन्य दो सदस्य होंगे। सदस्य : 4. प्राचार्य, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता	लागू नहीं होता

[फा. सं. डीजी ईटी ए-12018/7/92-प्रशि. II (1)]

बी. डी. नागर, अवर सचिव

टिप्पण - मूल नियम अधिसूचना सं. जी. टी. सं. 12 (1)/68-प्रशि. 1, दिनांक 5-6-71 (सा. का. नि. सं. 682, दिनांक 29-6-71) द्वारा प्रकाशित किये गए थे और उनका संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना/राजपत्र द्वारा किया गया है।

1. सा. का. नि. सं. 826, दिनांक 5-7-75
2. सा. का. नि. सं. 897, दिनांक 19-6-76

3. सा. का. नि. सं. 619, दिनांक 21-5-77
4. सा. का. नि. सं. 650, दिनांक 21-5-77
5. सा. का. नि. सं. 1114, दिनांक 9-9-78
6. सा. का. नि. सं. 25, दिनांक 6-1-79
7. सा. का. नि. सं. 225, दिनांक 10-2-79
8. सा. का. नि. सं 899, दिनांक 30-6-79
9. सा. का. नि. स. 684, दिनांक 5-8-79
10. सा. का. नि स. 1201, दिनांक 22-9-79
11. सा. का. नि. सं. 221, दिनांक 2-10-79
12 सा. का. नि. स. 980, दिनांक 31-10-81
13 सा. का. नि स 167, दिनांक 13-2-82
14. सा. का. नि. स. 365, दिनांक 7-1-84
15. सा. का. नि. स. 153, दिनांक 5-5-84
16 सा. का. नि स. 614, दिनांक 16-6-84
17. सा. का. नि. स. 890, दिनांक 18-8-84
18. सा. का. नि. सं. 1288, दिनांक 22-12-84
19 सा. का. नि. स 967, दिनांक 25-9-88
20. सा. का. नि. स. 200, दिनांक 8-3-86
21. सा. का. नि. सं. 585, दिनांक 1-8-87
22. सा का. नि. सं. 538, दिनांक 18-8-90
23. सा. का. नि. सं. 232, दिनांक 6-4-91
24. सा. का. नि. सं. 183, दिनांक 3-4-93
25. सा. का. नि. सं. 422, दिनांक 21-8-93

New Delhi, the 16th January, 1995

G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto; the Central Staff Training and Research Institute and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta and the Model Industrial Training Institute at Choudwar (Orissa), the Regional Vocational Training Institute for Women, Calcutta and the Regional Vocational Training Institute for Women, Tura (Meghalaya) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto; the Central Staff Training and Research Institute and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta and the Model Industrial Training Institute at Choudwar (Orissa), the Regional Vocational Training Institute for Women, Calcutta and the Regional Vocational Training Institute for Women; Tura (Meghalaya) Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto; the Central Staff Training and Research Institute and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta and the Model Industrial Training Institute at Choudwar (Orissa), the Regional Vocational Training Institute for Women, Calcutta and the Regional Vocational Training Institute for Women, (Tura Meghalaya) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, for the entries against serial number 2, relating to the post of Junior Technical Assistant the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts*	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
"2. Junior Technical Assistant.	8* (1995) 1. RDAT Calcutta 3 2. ATI Calcutta 1 3. CSTARI Calcutta 4 Total : 8	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

*Subject to variation dependent on work load.

Whether selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7
Non selection.	Between 18—25 years : (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Divisions of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2 :—In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial dates for determining the age limit in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : (a) Acadamic : Matriculation or equivalent with Science and Mathematics. (b) Technical : National Trade Certificate in the relevant trades. OR National Apprenticeship Certificate in the relevant Trade. OR Apprenticeship in an Engineering trade in an industrial concern for a period not less than 3 years. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years service in the relavant trade. OR Diploma in the relevant branch of Engineering. (c) Practical Experience : Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. Desirable : — Instructors Training Certificate in Mechanical or Electrical or Civil Group of Trades from the Central Training Institutes for Instructors.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted, in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by Transfer failing both by direct recruitment.	Promotion :— (a) Skilled Worker in the pay scale of Rs. 1400-2300 with not less than 2 years regular service in the grade in the unit subject to passing of trade test, in the relevant trade. (b) failing which, Tool Store/ Room Incharge in the pay scale of Rs. 1200-2040 with 5 years of regular service in the grade in the unit subject to passing of a trade test, in the relevant trade. Transfer :— Officers holding similar or equivalent posts in field	Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts consisting of :— 1. Director, Central Staff Training and Research Institute, Calcutta. 2. Director, Advanced Training Institute, Calcutta. 3. Regional Director, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Calcutta. Note :—Seniormost of the above three will be Chairman and others two will be Membres. Members : 4. Principal, Regional Voca-	Not applicable

SCHEDULE

	institutes under control of Directorate General of Employment & Training or from other Central Government Offices.	tional Training Institute for Women, Calcutta."

[F. No. DGET-A-12018/7/92-TA-II(i)]
V.D. NAGAR, Under Secy.

Note :— The Principal rules were published vide Notification No. 12(1)/68-TA-I, dated 5-6-1974 (GSR No. 682, dated 29-6-1974) have been amended vide Notification/Gazette as detailed below :—

1. GSR No. 826 dated 5-7-75
2. GSR No. 897 dated 19-6-76
3. GSR No. 649 dated 21-5-77
4. GSR No. 650 dated 21-5-77
5. GSR No. 1114 dated 9-9-78
6. GSR No. 25 dated 6-1-79
7. GSR No. 225 dated 10-2-79
8. GSR No. 899 dated 30-6-79
9. GSR No. 684 dated 5-8-79
10. GSR No. 1201 dated 22-9-79
11. GSR No. 221 datce 2-10-79
12. GSR No. 980 dated 31-10-81
13. GSR No. 167 dated 13-2-82
14. GSR No. 365 dated 7-4-84
15. GSR No. 453 dated 5-5-84
16. GSR No. 614 dated 16-6-84
17. GSR No. 890 dated 18-8-84
18. GSR No. 1288 dated 22-12-84
19. GSR No. 967 dated 25-9-88
20. GSR No. 200 dated 8-3-86
21. GSR No. 585 dated 1-8-87
22. GSR No. 538 dated 18-8-90
23. GSR No. 232 dated 6-4-91

नई दिल्ली, 16 जनवरी 1995

सा. का. नि. 48—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (मुंबई स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय का एकक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (मुंबई स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय का एकक) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (मुम्बई स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय का एकक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक	3* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 1. आर.सी.एटी, मुंबई-2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	अचयन	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों

1	2	3	4	5	6
	2. ए टी आई, मुंबई-1				और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है)।
	योग 3				टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
					टिप्पण 2 : ऐसे पदों की बावत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों, के माध्यम से की जाती है आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (क) शैक्षिक :—गणित और विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ख) तकनीकी :—सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या किसी औद्योगिक संस्थान में इंजीनियरी व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून अवधि की शिक्षुता या रक्षा सेवाओं में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुसंगत व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की है। या इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में डिप्लोमा (ग) व्यावहारिक अनुभव :—पांच वर्ष से अन्यून हो जिसमें उपयुक्त (ख) में दी गई शिक्षण अवधि भी है। वांछनीय :— केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या सिविल ग्रुप के व्यवसाय में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :— (क) ऐसा कुशल कार्यकर्ता जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1100-2300 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में दो वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है। (ख) जिसके न हो सकने पर ऐसा औजार भंडार/कक्ष भारसाधक जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1200-2040 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। स्थानांतरण : रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अधीन या केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जो फील्ड संस्थानों में समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "ग" पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— अध्यक्ष :— 1. निदेशक उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई। 2. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई। टिप्पण :—उपरोक्त दोनों में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होगा। सदस्य :— 3. प्रशासनिक अधिकारी उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई। 4. प्राचार्य, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई।	लागू नहीं होता

[फा. सं. डी जी ई टी ए-12018/7/92-टी ए-II (vi)]

बी. डी. नागर, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, अधिसूचना सं. 12(1)/68-टी.ए.II, दिनांक 29-5-71 (सा का नि. सं. 807, दिनांक 15-6-74) द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना/राजपत्र द्वारा किया गया है।

अधिसूचना सं. एवं दिनांक	राजपत्रित/अधिसूचना का ब्योरा एवं दिनांक
1	2
1. सं. डी जी ई टी 49/24/68-एपी (1) दिनांक 21-6-1975	सा. का नि. संख्या 827, दिनांक 5-7-1975
2. सं. 12(19)/75-टी ए-II दिनांक 1-6-1976	सा. का. नि. संख्या 895, दिनांक 19-6-1976
3. सं. 12(29)/76-टी.ए -II दिनांक 1-5-77	सा. का. नि. संख्या 651, दिनांक 21-5-1977
4. मिसिल सं. 12(4)/75-टी ए-II दिनांक 22-8-1978	सा. का. नि. संख्या 1115, दिनांक 9-9-1978
5. मिसिल सं. 1(1)/77 सी टी (डब्ल्यू ओ) दिनांक 1-4-1978	सा. का. नि. संख्या 621, दिनांक 13-5-1978
6. मिसिल सं. 19/2/78-एबीटी एस दिनांक 14-12-1979	सा. का नि. संख्या 26, दिनांक 6-1-1979
7. मिसिल सं. 12(51)/77 टी ए-II दिनांक 11-1-1979	सा. का. नि. संख्या 221 दिनांक 10-2-1979

1	2
8. मिसिल सं. 12(51)/77-टी ए-VII, दिनांक 12-1-1979	सा.का.नि. संख्या 228, दिनांक 10-2-79
9. मिसिल सं. 12(29)/76-टी ए-II दिनांक 8-6-79	सा.का.नि. संख्या 900, दिनांक 30-6-79
10. मिसिल सं. 19(2)/78-ए बी टी एस दिनांक 6-9-1979	सा.का.नि. संख्या 1202, दिनांक 22-9-79
11. मिसिल सं. 12(14)/79-टी ए-II दिनांक 19-11-1979	सा.का.नि. संख्या 1510, दिनांक 15-12-1979
12. मिसिल सं. 12(29)/76-टी ए-II (ii)	सा.का.नि. संख्या 523, दिनांक 30-5-1981
13. मिसिल सं. 12(20)/79-टी ए-II (iii) दिनांक 30-5-1981	सा.का.नि. संख्या 573, दिनांक 15-6-1981
14. मिसिल सं. ए-43(4)-80/टीए II(ii) दिनांक 14-10-81	सा.का.नि. संख्या 981, दिनांक 31-10-82
15 मिसिल सं. ए-12018/3/81-टीए-II(ii) दिनांक 30-1-1982	सा.का.नि. संख्या 168, दिनांक 13-2-1982
16. मिसिल सं. दिनांक	सा.का.नि. संख्या 892, दिनांक 10-8-1984
17. " " " "	सा.का.नि. संख्या 130, दिनांक 15-1-1985
18. " " "	सा.का.नि. संख्या 131, दिनांक 15-1-1985
19. " " " "	सा.का.नि. संख्या 172, दिनांक 9-2-1985
20 मिसिल सं. ए-12018/15/86-टी ए-II(iii)	सा.का.नि. संख्या 586, दिनांक 1-8-1987
21. मिसिल संख्या ए-12018/2/88-टी ए-II दिनांक 18-8-1990	सा.का.नि. संख्या 537, दिनांक 18-8-1990
22 मिसिल संख्या ए-12018/14/91-टी ए-II, दिनांक 8-7-1992	सा.का.नि. संख्या 340, दिनांक 25-7-92
23. मिसिल सं. ए-12018/19/91-टी-ए-II, दिनांक 11-3-1993	सा.का.नि. संख्या 184, दिनांक 3-4-1993
24. मिसिल सं. डी जी ई टी ए-12018/5/92-टी ए-II, दिनांक 3-8-1993	सा.का.नि. संख्या 419, दिनांक 21-8-1993
25. मिसिल संख्या डी जी ई टी-ए-12018/14/91-टीए-II, दिनांक 10-12-1993	सा का.नि. संख्या 37, दिनांक 15-1-1994

New Delhi, the 16th January, 1995

G.S.R. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and Model Training Institute attached thereto ; the Regional Directorate of Apprenticeship Training Bombay Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Training (the Unit of Advanced Training Institute and the Model Training Institute attached thereto ; the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Bombay Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the unit of Advanced Training Institute and Model Training Institute thereto ; the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Bombay Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, for the entries against serial number 2, relating to the post of Junior Technical Assistant the following entries shall be substituted, namely :—

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
2. Junior Technical Assistant.	3* (1995) 1. RDAT, Bombay — 2 2. ATI, Bombay — 1 — 3 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB 60-2600.

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruit
5	6	7
Non-selection.	Between 18—25 years : (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu, and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lahshadweep. Note 2 :—In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential :— (a) Academic :— Matriculation or equivalent with Science and Mathematics. (b) Technical : National Trade Certificate in the relevant trade. OR National Apprenticeship Certificate in the relevant Trade. OR Apprenticeship in an Engineering trade in an industrial concern for a period not less than 3 years. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years service in the relevant trade. OR Diploma in the relevant branch of Engineering. (c) Practical Exeprience : Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. Desirable :— Instructors Training Certificate in Mechanical or Electrical or Civil group of trades from the Central Training Institutes for Instructors.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recrt.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by transfer failing both by direct recruitment.	Promotion :— (a) Skilled worker in the the pay scale of Rs. 1400-2300 with not less than 2 years	Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts consisting of :— Chairman :—	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
			regular service in the grade in the unit subject to passing of trade test in the relevant trade. (b) failing which, Tool Store Room Incharge in the pay scale of Rs. 1200—2040 with 5 years of regular service in the grade in the unit subject to passing of a trade test in the relevant trade. Transfer :— Officers holding similar or equivalent posts in field institutes under control of Directorate General of Employment and Training or from other Central Government offices.	1. Director, Advanced Training Institute, Bombay. 2. Regional Director, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Bombay. Note :—Senior of the above two shall be the Chairman and the other shall be a Member. Members :— 3. Administrative Officer, Advanced Training Institute Bombay. 4. Principal, Regional Vocational Training Institue for Women, Bombay.	

[File No. DGET-A-12018/7/92-TA-II(VI)]
V.D. NAGAR, Under Secy.

Note :—The Principal Recruitment Rules were published vide Notification No. 12(1)68-TA-II dated 29-5-74 (GSRNo.607, dated 15-6-74 and have amended vide Notification/Gazette detailed below :—

No. and date of Notification	Particulars of Gazette Notification
1. No. DGET-49/24/68-AP(1) dt. 21-6-75	GSR No. 827 dated 5-7-75.
2. No. 12(19)/75-TA-II 1-6-75	GSR No. 895 dated 19-6-76.
3. No. 12(29)/76-TA-II 4-5-77	GSR No. 651 dated 21-5-77.
4. F. No. 12(41)/76-TA-II 22-8-78	GSR No. 1115 dated 9-9-78.
5. F.1(1)/77-PCT(WO) 1-4-78	GSR No. 621 dated 13-5-78.
6. F. 19/2/78-AVTS 14-12-78	GSR No. 26 dated 6-1-79.
7. F.12(51)/77-TA-II 11-1-79	GSR No. 221 dated 10-2-79.
8. F. 12(51)/77-TA-VII 12-1-79	GSR No. 220 dated 10-2-79.
9. F.12(29)/76-TA-II 8-6-79	GSR No. 900 dated 30-6-79.
10. F. 19(2)/78-AVTS 6-9-79	GSR No. 1202 dated 22-9-79.
11. F.12(14)/79-TA-II 19-11-79	GSR No. 1510 dated 15-12-79.
12. F.12(29)/76-TA-II(ii)	GSR No. 523 dated 30-5-91.
13. F.12(20)/79-TA-II(iii) 30-5-81	GSR No. 573 dated 13-6-81.
14. F.43(4)/80-TA-II(ii) 14-10-81	GSR No. 981 dated 31-10-82.
15. F. 12018/3/81-TA-II(ii) 30-1-82	GSR No. 168 dated 13-2-82.
16.	GSR No. 892 dated 18-8-84.
17. F-12018/10/84-TA-II 15-1-85	GSR No. 130 dated 15-1-85.
18. F. No. A-12018/4/84-TA-II(i) 15-1-85	GSR No. 131 dated 15-1-85
19.	GSR No. 172 dated 9-2-85
20. F. No. A-12018/15/86-TA-II(ii) 1-8-87	GSR No. 586 dated 1-8-87.
21. F. No. A-12018/2/88-TA-II 18-8-90	GSR No. 537 dated 18-8-90.
22. F. No. 12018/14/91-TA-II 8-7-92	GSR No. 340 dated 25-7-92.
23. F.No. A-12018/14/91-TA-II 17-12-73	GSR No. 37, dated 15-1-94.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1995

सा. का. नि. 49—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (मद्रास स्थित, केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान का एकक और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय और उच्च प्रशिक्षण संस्थान, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काकीकट, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेन्द्रम और केन्द्रीय अनुदेशीय माध्यम संस्थान मद्रास) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (मद्रास स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान का एकक और इससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय और उच्च प्रशिक्षण संस्थान आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काकीकट, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेन्द्रम और केन्द्रीय अनुदेशीय माध्यम संस्थान, मद्रास) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (मद्रास स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान का एकक और उससे संबद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय और उच्च प्रशिक्षण संस्थान, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेन्द्रम और केन्द्रीय अनुदेशीय माध्यम संस्थान, मद्रास) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक	10* (1995) 1. आर.डी.ए.टी., मद्रास— 3 2. ए.टी.आई., मद्रास— 1 3. सी.आई.एस. आई, मद्रास 6 योग 10 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	अचयन	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान, और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2—ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (क) शैक्षिक : गणित और विज्ञान विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ख) तकनीकी : सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र । या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या किसी औद्योगिक समुत्थान में इंजीनियरी व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून अवधि की शिक्षुता । या रक्षा सेवाओं से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुसंगत व्यवसाय में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की है या इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में डिप्लोमा (ग) व्यावहारिक अनुभव : पांच वर्ष से अन्यून हो जिसमें उपर्युक्त (ख) में दी गई प्रशिक्षण अवधि भी है । वांछनीय : केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या सिविल ग्रुप के व्यवसायों में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र ।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : (क) ऐसा कुशल कार्यकर्ता जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1400–2300 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में दो वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है । (ख) जिसके न हो सकने पर ऐसा औजार भंडार कक्ष भारसाधक जिसने सुसंगत व्यवसाय में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए एकक में 1200–2040 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। स्थानान्तरण : रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अधीन या केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से ऐसे अधिकारी जो फील्ड संस्थानों में समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "ग" पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अध्यक्ष 1. निदेशक, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास	लागू नहीं होता

12

2. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मद्रास ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुदेशीय माध्यम संस्थान मद्रास ।

टिप्पणी :

उपरोक्त तीनों में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा और अन्य दो सदस्य होंगे ।

सदस्य :

1. प्राचार्या, केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास ।

[फा.सं. डीजी ई टी-ए-12018/7/92-टी ए-II(v)]
बी. डी. नागर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. 12(1)/68-टी.ए.-IV, दिनांक 5-6-1974 (सा.का.नि. 684 दिनांक 29-6-1974) द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना/राजपत्र द्वारा किया गया है।

1. सा.का०नि० सं. 820, दिनांक 5-7-1975
2. सा.का.नि. स. 653, दिनांक 21-5-1977
3. सा.का.नि. सं. 1117, दिनांक 9-9-1978
4. सा.का.नि.सं. 30, दिनांक 6-1-1979
5. सा.का.नि. स. 984, दिनांक 30-6-1979
6. सा.का.नि. स. 1221, दिनांक 29-9-1979
7. सा.का.नि. सं. 226, दिनांक 10-2-1979
8. सा.का.नि. सं. 1414 दिनांक 24-11-1979
9. सा.का.नि. सं. 983, दिनांक 31-10-1981
10. सा.का.नि. सं. 170, दिनांक 13-02-1982
11. सा.का.नि. सं. 425, दिनांक 28-4-1984
12. सा.का.नि. सं. 456, दिनांक 5-5-1984
13. सा.का.नि. सं. 891, दिनांक 18-8-1984
14. सा.का.नि. सं. 1286, दिनांक 22-12-1984
15. सा.का.नि. स. 357, दिनांक 17-5-1986
16. सा.का.नि. सं. 825, दिनांक 27-9-1986
17. सा.का.नि. सं. 584, दिनांक 1-8-1987
18. सा.का.नि. सं. 31, दिनांक 30-11-1990
19. सा.का.नि. सं. 743, दिनांक 8-12-1990
20. सा.का.नि. स. 64, दिनांक 26-1-1991
21. सा.का.नि. स. 186, दिनांक 3-4 1991
22. सा.का.नि. स. 420, दिनांक 21-8-1993
23. सा.का.नि. सं. 231, दिनांक 14-5-1994

New Delhi, the 16th January, 1995

G.S.R. 49.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of th Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto ; the Regional Directorate of Apprenticeship Training and the Advanced Training Institute at Madras, the Model Industrial Training Institute, Calicut, Regional Vocational Training Institute for Women, Trivandrum and Central Instructional Media Institute, Madras) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Training (the Unit of Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; the Regional Directorate of Apprenticeship Training and the Advanced Training Institute at Madras, the Model Industrial Traing Institute, Calicut, the Regional Vocational Training Institute for Women, Trivandrum and Central Instructional Media Institute, Madras) Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of Central Training Insitute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; the Regional Direcorate of Apprenticeship Training and the Advanced Training Institute at Madras, the Model Industrial Training Institute, for Calicut, Regional Vocational Training Institute, for Women, Trivandrum and Central Instructional Media Institute, Madras) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1974, for the entries against serial number 2 relating to the post of Junior Technical Assistant the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
2. Junior Technical Assistant	10* (1995) 1. R.A.D.A., Madras— 3 2. A.T.I.— Madras 1 3. C.I.M.I. Madras 6 Total 10 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB 60-2600.

Whether selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7
Non-selection.	Between 18—25 years Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Note 2 :—In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : (a) Academic : Matriculation or equivalent with Science and Mathematics. (b) Technical : National trade Certificate in the relevant trade. OR National Apprenticeship Certificate in the relevant trade. OR Apprenticeship in an Engineering trade in an industrial concern for a period not less than 3 years. OR Persons from Defence services with not less than 3 years service in the relevant trade. OR Diploma in the relevant branch of Engineering. (c) Practical Experience : Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. Desirable :— Instructors Training Certificate in Mechanical or Electrical or Civil group of trades from the Central Training Institutes for Instructors.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted, in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by transfer failing both by direct recruitment.	Promotion :— (a) Skilled Worker in the pay scale of Rs. 1400-2300 with not less than 2 years regular service in the grade in the unit subject to passing of trade test in the relevant trade. (b) Failing which, Tool Store/ Room Incharge in the pay scale of Rs. 1200-2040 with 5 years of regular service in the grade in the unit subject to passing of trade test in the relevant trade. Transfer :— Officers holding similar or equivalent posts in field institutes under control of Directorate General of Employment and Training or from other Central Government offices.	Departmental Promotion Committee for Group 'C' posts consisting of :— Chairman :— 1. Director Advanced Training Institute, Madras. 2. Regional Director, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Madras. 3. Director, Centarl Instructional Media Institute, Madras. Note :—Seniormost of the above three will be Chairman and the other two will be Members. Members 1. Principal, Central Training Institute for Instructors, Madras.	Not applicable.

[F. No. DGET-A-12018/7/92-TA-II(V)]
V.D. NAGAR, Under Secy.

Note :—The Principal rules were published vide Notification No. 12(1) 68-TA-iv, dated 05-06-1974 (GSR No. 684, dated 29-6-1974) have been amended vide Notification/Gazette as detailed below :—

1. GSR No. 820, dated 5-7-1975
2. GSR No. 653, dated 21-5-77
3. GSR No. 1117, dated 9-9-1978
4. GSR No. 30, dated 6-1-79
5. GSR No. 904, dated 30-6-79
6. GSR No. 1221, dated 29-9-79
7. GSR No. 226, dated 10-2-79
8. GSR No. 1414, dated 24-11-79
9. GSR No. 983, dated 31-10-81
10. GSR No. 170, dated 13-2-82
11. GSR No. 425, dated 28-8-84
12. GSR No. 456, dated 5-5-84
13. GSR No. 891, dated 18-8-84
14. GSR No. 1286, dated 22-12-84
15. GSR No. 357, dated 17-5-86
16. GSR No. 825, dated 27-9-86
17. GSR No. 584, dated 1-8-87
18. GSR No. 31, dated 30-11-90
19. GSR No. 743, dated 8-12-90
20. GSR No. 64, dated 26-1-91
21. GSR No. 186, dated 3-4-93
22. GSR No. 420, dated 21-8-93
23. GSR No. 231, dated 14-5-94

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995